CITU

13 वां अखिल भारतीय सम्मेलन

कमिशन की कार्यवाही
रिपोर्ट एवं दस्तावेज

सीआइटीयू प्रकाशन

विषयसूची

पृष्ठ

1. मजदूर वर्ग की क्रांतिकारी विचारधारा नवउदारवादी हमला और ट्रेड यूनियनें 7

2. मजदूर वर्ग की एकता और हमारा दृष्टिकोण 19

3. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संगठित करने की चुनौतियां 43

4. कामकाजी महिलाओं को संगठित करना – हमारा उद्देश्य 65

5. सुरक्षा, स्वास्थ्य व पर्यावरण 83

6. न्यूज़ मीडिया और मज़दूर वर्ग 87

प्रस्तावना

सीआइटीयू के तेरहवें महाधिवेशन में देश में श्रमिक आंदोलन से सम्बन्धित छः महत्वपूर्ण विषयों पर अलग–अलग कमिशनों का आयोजन किया गया था। इन कमिशनों में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने आधा दिन इन पर विस्तृत विचार विमर्श किया। ये दस्तावेज सीआइटीयू के पदाधिकारियों द्वारा पेश किए गए और कमिशनों में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने अपने विशाल एवं समृद्ध अनुभवों के द्वारा इन दस्तावेजों को और अधिक समृद्ध बनाया था। इन्हीं दस्तावेजों का सम्पादन करके यह पुस्तिका तैयार की गई है। इसमें बहस के समय आए सुझावों और टिप्पणियों का उल्लेख भी किया गया है।

इस विषयों पर सीआइटीयू के रुख और उसकी नीतियों को ये दस्तावेज प्रतिबिम्बित करते हैं, ये भावी कार्यों तथा विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए संघर्ष की भावी कार्रवाईयों को रेखांकित करते हैं जिनकी रूपरेखा तेरहवें महाधिवेशन में तय की गई थी। इन विषयों पर और अधिक अध्ययन किया जाना चाहिए और सीआइटीयू संगठन के सभी स्तरों पर इन दस्तावेजों पर बहस कराई जानी चाहिए।

हमारा विश्वास है कि सीआइटीयू की सभी समितियों तथा उससे सम्बद्ध सभी यूनियनें इस पुस्तिका तथा इसके साथ तेरहवें महाधिवेशन में पारित किए गए दूसरे दस्तावेजों जिन्हें अलग से प्रकाशित किया जा रहा है, का उपयोग श्रमिक आंदोलन के लाभ में करेंगी। हमें यह आशा भी है कि सीआइटीयू के मित्र संगठन अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में इन्हें उपयोग में लाएंगे; वे इसे लाभदायक और अपनी नीतियों के अनुरूप पाएंगे।

इन दस्तावेजों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करा कर प्रकाशित करने से श्रमिकों की व्यापक श्रेणियों तथा देश में श्रमिक आंदोलन के कार्यकर्ताओं के बीच व्यापक स्तर पर सीआइटीयू के तेरहवें महाधिवेशन का संदेश पहुंचाने में मदद मिलेगी।

ए के पद्मनाभन

8 जुलाई, 2010 अध्यक्ष

मजदूर वर्ग की क्रांतिकारी विचारधारा, नवउदारवादी हमला और ट्रेड यूनियनें

(नोटः इस सत्र में 351 साथियों ने भाग लिया। सत्र की अध्यक्षता कामरेड सुधा भास्कर ने की जबकि कामरेड सुकोमल सेन ने दस्तावेज प्रस्तुत किया। बहस में 36 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 48 प्रतिनितियों ने लिखित में अपने विचार पेश किए। मौखिक तथा लिखित दोनों तरह की टिप्पणियों में अनेक बहुमूल्य सुझाव शामिल थे। उन्होंने संगठन के सभी स्तरों पर इस विषय पर सघन विचार विमर्श की प्रक्रिया चलाने पर जोर दिया। वक्ताओं का कहना था कि विचारधारा के मुद्दों को सभी स्तरों पर ट्रेड यूनियन शिक्षा के कार्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए और ट्रेड यूनियन शिक्षा कार्यक्रम संगठन के विभिन्न स्तरों पर हमारी नियमित गतिविधियों का अभिन्न अंग होना चाहिए। प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों और दिए गए सुझावों को ध्यान में रख कर इस दस्तावेज को फिर से बनाया गया है और उसे फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है।)

नव–उदारवादी वैश्वीकरण का सर्वव्यापी और जबरदस्त हमला जारी है। यह सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक दायरों या श्रम अधिकारों तक ही सीमित नहीं है। विचारधारा और संस्कृति के क्षेत्र को भी इसकी मार झेलनी पड़ रही है। यह वैचारिक हमला, आर्थिक–राजनीतिक दायरे और श्रम अधिकारों पर चल रहे हमले को ताकतवर समर्थन देता है। अतः नव–उदारवादी वैश्वीकरण का मुकाबला करने के लिए हर मोर्चे पर इसके खिलाफ संघर्ष छेडना जरूरी है। इस कमिशन में हम वैचारिक हमले के ऐसे कुछेक पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो मजदूर आन्दोलन और ट्रेड यूनियनों से सम्बन्ध रखते हैं। इसके लिए सबसे पहले मजदूर आन्दोलन और ट्रेड यूनियनों के उस वैचारिक दृष्टिकोण को हमें समझना होगा जो हमले के निशाने पर है। हम इस विषय पर ठोस रूप में चर्चा करें और हमारी चर्चा से यह बात समझ में आ जाएं, इसका प्रयास हम यहां करेंगे।

वर्गीय संगठन के रूप में ट्रेड यूनियन

ट्रेड यूनियन मजदूर वर्ग का वर्गीय संगठन है, मगर मजदूर वर्ग की क्रांतिकारी विचारधारा की दृष्टि से ट्रेड यूनियन क्या है?

प्रमुख प्रश्न यह हैः वर्ग किसे कहते हैं? मजदूर वर्ग के क्रांतिकारी सिद्धांतों और सामाजिक विश्लेषण के अनुसार, वर्ग समाज का आर्थिक

विभाजन है, एक आर्थिक कोटि (अथवा श्रेणी) है। इस विभाजन की प्रकृति इस बात पर निर्भर करती है कि उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व किसका है और किसका नहीं है। क्योंकि उत्पादन प्रणाली की प्रकृति समाज की एक आर्थिक कोटि के रूप में उस विभाजन के वर्गीय चरित्र का निर्धारण करती है। इसके अनुसार कहा जा सकता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में समाज दो वर्गों में विभक्त होता है, ये दोनों वर्ग परस्पर विरोधी होते हैं– पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग। यह तथ ट्रेड यूनियन आंदोलन में काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं में सर्वविदित है।

मगर क्रांतिकारी विचारधारा को अच्छी तरह समझने के लिए और वह भी जब हम ट्रेड यूनियन आंदोलन में काम करते हों, उपरोक्त प्रचलित विवरण पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं को सफलतापूर्वक विचारधारा के पक्ष को संगठन के साथ जोड़ना होता है।

यहां हम कुछ पुराने किन्तु बहुत प्रासंगिक रिकार्ड का उल्लेख करेंगे। वर्ष 1864 में अन्तर्राष्ट्रीय कामगार एसोसिएशन के गठन के लिए लंदन में होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय कामगार कांग्रेस और उसके बाद वर्ष 1866 में जेनेवा की अन्तर्राट्रीय बैठक की तैयारी के दौरान मार्क्स और एंगेल्स ने कुछ दिशा निर्देश दिए थे। इनमें ट्रेड यूनियन की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा था कि वे "वेतन भोगी श्रम और पूंजी के शासन की पूरी व्यवस्था को ही पछाड़ देने वाला संगठित बल" हैं। उस समय ये शब्द विश्व व्यापी स्तर पर श्रमिक वर्ग के सुविख्यात संगठनों के उद्देश्य वक्तव्य (दूसरे शब्दों में नीति सम्बन्धी वक्तव्य) का भाग थे।

इस वैचारिक तत्व को समझने के बाद, अगला सवाल यह आता है कि पूंजीवादी समाज में श्रम की क्या स्थिति है ?

पूंजीवादी समाज में मजदूर की अपने श्रम, और श्रम के अपने लक्ष्य से भावनात्मक तौर पर दूरी बनी रहती है। वह यह अनुभव नहीं कर पाता कि उसकी यह गतिविधि पूरे समाज की गतिविधि का एक भाग है। उसे लगता है कि वह मजबूरी के कारण काम कर रहा है, सिर्फ जिन्दा रहने के लिए कुछ मेहनताना कमाने के लिए उसे एक मशीन में बदला जा रहा है। पूंजीवाद व्यवस्था प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ–साथ श्रम का विभाजन भी बढ़ता जाता है।

समाजवादी समाज में मजदूर अपने श्रम से भावनात्मक रूप से अलग नहीं होता क्योंकि उस समाज में मजदूर का उत्पीड़न नहीं होता।

उत्पादन के पूंजीवादी सम्बन्ध

पूंजीवादी की विशेषता यह नहीं है कि स्वतंत्र उत्पादकों के श्रम से बनी वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, बल्कि यह है कि मजदूरों की मेहनत करने की क्षमता को खरीदा व बेचा जाता है और उसका उपयोग लाभ अर्जित करने के लिए वस्तुओं के उत्पादन के रूप में किया जाता है। श्रम शक्ति स्वयं एक वस्तु बन जाती है। वस्तु के रूप में इस श्रम शक्ति की एक विशेष प्रकृति होती है क्योंकि वही मूल्य का स्त्रोत होती है।

मजदूर गुलाम नहीं होता जिसे दूसरी वस्तुओं की तरह बेच दिया जाए। वह अपनी श्रम शक्ति का मालिक होता है और वह अपनी श्रम शक्ति को बेचता है। दूसरे शब्दों में वेतनभोगी गुलाम होता है, उसका श्रम प्रकिया और अंतिम उत्पाद पर कोई नियंत्रण नहीं होता और यदि होता है तो न के बराबर। औपचारिक तौर पर उसे अपना श्रम बेचने से इन्कार करने की पूरी स्वतंत्रता होती है किन्तु यदि वह अपना श्रम बेचने से इन्कार करता है तो उसके सामने केवल एक विकल्प ही शेष रह जाता है और वह है भूखों मरने का।

दूसरी ओर मजदूर वर्ग के विरोध में पूंजीपति खड़े है। मजदूरों के वेतनों के भुगतान, उत्पादन के उपकरणों और कच्चे माल पर अथवा उत्पादन के साधनों पर अपने नियंत्रण के माध्यम से वे पूरी तरह मजदूरों को अपने वश में रखते हैं। यदि मजदूर खुद ही उत्पादन के साधनों के स्वामी होते या उनके इस्तेमाल के हकदार होते तो उन्हें अपनी श्रम शक्ति बेचने की जरूरत नहीं होती। वे अपने श्रम से उत्पादन करके बाजार में अपना उत्पाद बेचते। इन तरह न उत्पादन प्रकिया और न ही समाज में उन्हें पूंजीपतियों का नियंत्रण मानना पड़ता।

कार्ल मार्क्स ने अपने चिर परिचित श्रम सिद्धान्त का और विकास करते समय श्रम और पूंजीपतियों के सम्बन्धों की वास्तविक प्रकृति को

जग जाहिर करते समय मजदूर एवं उसकी श्रम शक्ति के बीच के भेद अथवा अंतर को स्पष्ट किया था।

यही भेद अथवा अंतर अतिरिक्त मूल्य के प्रसिद्ध मार्क्सवादी सिद्धान्त का आधार है। यह स्पष्ट और सटीक तौर पर पूंजीवादी शोषण की पोल खोलता है और उस शोषण को छुपाए रखने के लिए गढ़े गए आर्थिक सिद्धांतों का भी भण्डा फोड़ करता है। यह आश्चर्य की बात नहीं कि यह अहम अंतर अर्थशास्त्र की मुख्यधारा में शामिल नहीं किया जाता।

अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत न केवल पूंजीपति वर्ग द्वारा मजदूर वर्ग के शोषण की प्रकृति का वर्णन करता है बल्कि पूंजीवादी व्यवस्था में बार–बार आने वाले आर्थिक संकटों के कारण जो पूंजीवादी व्यवस्था में अन्तर्निहित होते हैं, भी समझाता है। इन संकटों से भारी बेरोजगारी फैलती है, उत्पादक संसाधनों को भारी क्षति पहुंचती है और मजदूरों व मेहनतकशों के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है।

कार्ल मार्क्स का विश्लेषण यही रुक नहीं जाता। मजदूर वर्ग की सम्पूर्ण विचारधारा का यह शुरूआती बिंदु है मगर उसे पूरा करने के लिए उन्हें एक और सवाल का जबाब देना जरूरी था। वह है– संसाधनों की बर्बादी और जनता के दुःख व तकलीफें सदा चलती रहेंगी और क्या मानव समाज की यही क्रूर नियती है? यह जग जाहिर है कि इतिहास की मार्क्सवादी भौतिकवादी समझ ने यह बेशक साबित कर दिया कि, पूंजीवाद भी,उससे पहले के सामाजिक –आर्थिक निजामों की तरह, इतिहास से गुजरता हुआ एक दौर है। इसलिए अनिवार्य है कि उसका स्थान एक ऐसी व्यवस्था लेगी जिसमें पूंजीवाद के अर्न्तविरोध समाप्त हो जाएंगे। यही ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सामाजिक होगा। ऐसे में शोषण का नामो निशान मिट जाएगा जो पूंजीवादी व्यवस्था की सभी बीमारियों की जड़ है। इस व्यवस्था का नाम है समाजवाद!

समाजवाद का विचार

मार्क्स के लिए समाजवाद कोई अविष्कार नहीं है या कोई सैद्धांतिक निष्कर्ष नहीं है। पूंजीवादी व्यवस्था में चल रहे विकास क्रम के आधार पर यह विचार बना।

सबसे पहले, उन्होंने यह दिखाया कि पूंजीवादी जीवन का सामाजीकरण कर रहा है–उत्पादन और पूरे अर्थतंत्र को संगठित करके, और राजसत्ता द्वारा। मगर इस सामाजीकरण पर बाजार की निजी प्रकृति, निजी संपत्ति और मुनाफा कमाने की ललक की बेड़ियां पड़ी हुई है। प्रतिस्पर्धा के कारण पूंजीवादी उत्पादन सामाजीकृत होता जाता है–कारखाने से लेकर पूरे समाज के पैमान पर काम का बटवारा जटिल और विस्तृत रूप ले लेता है। इसके अलावा कल्याणकारी प्रावधानों, पुनर्वितरण और योजनाबद्ध या राष्ट्रीयकृत उत्पादन में राजसत्ता की बढ़ती भूमिका भविष्य के समाजवाद के कई आर्थिक व सामाजिक लक्षणों को दर्शाती है। यही बात मजदूरों के को–आपरेटिव पर भी लागू होती है, चाहे वे सरकार समर्पित हो या न हों। मगर ये सभी अंकुरित होते हुए बीज की तरह हैं जो पूंजीवादी व्यवस्था की गिरफ्त में मुनाफे की होड़ और उससे जुड़े तमाम आर्थिक सामजिक ढांचों की जकड़ होने के कारण बढ़ नहीं पाते। सामाजीकरण के कुछ रूप –जैसे बड़े कारखाने में उत्पादन प्रकिया की योजना बनाना– समाजवादी उत्पादन व्यवस्था से बहुत मिलते जुलते होते हैं, यदि मुनाफे के लक्ष्य को (तर्क के लिए) हटा दिया जाए। राजसत्ता द्वारा स्वास्थ, शिक्षा और कल्याण का प्रबंध करने से यह भिन्न हैं। एक लोकप्रिय नारा 'मुनाफे से पहले जनता ' सरल शब्दों में एक प्रकार की समाजवादी कल्याणकारी समझ को व्यक्त करता है जो पूंजीवाद के दायरे के अंदर ही है। इसके अनुसार मुनाफा कमाने के लिए अनुमति है यदि वह चन्द लोगों की बपौती बन कर न रह जाए। इन सभी से एक इशारा मिलता है कि समाजवादी उत्पादन व्यवस्था का क्या स्वरूप होगा।

अतः दूसरी बात यह है कि पूंजीवाद के अन्तर्विरोधों से ही समाजवाद का रूप झलकता है चाहे वे समाजवादी रूप के बीज के रूप में विकसित हुए हो या न हुए हों। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात मजदूर वर्ग की क्रांतिकारी भूमिका है। उत्पादन के लिए पूंजीवाद स्वयं ही मजदूर वर्ग को जन्म देता है, उसे बढ़ाता है, मजबूत करता है और संगठित करता है। मगर साथ–साथ उसका शोषण भी करता है और उसकी आर्थिक –सामाजिक आकांक्षाओं को कुचलता भी है। जैसा कि कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में कहा गया है, "पूंजीपति वर्ग अपनी कब्र खोदने वालों को पैदा करता है। उसकी हार और मजदूर वर्ग की जीत बराबर रूप से अवश्यंभावी है।"

यह अखिरी वाक्य ऐतिहासिक महत्व का है। मार्क्स से पहले भी कई विचारक विशेष तौर पर स्वप्नदर्शी समाजवादी आए; उन्होंने वैज्ञानिक समाज व्यवस्था के बारे में लिखा। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व होगा और सारी सामाजिक सम्पत्ति निजी संपत्ति का स्थान लेगी। मगर मार्क्स ने पहली बार यह साबित किया कि समाजवाद की स्थापना अवश्यंभावी है। और वह मार्क्स ही थे जिन्होंने बताया था कि समाजवाद को लाने का काम मजदूर वर्ग ही करेगा। चूंकि मार्क्स ने समाज के विकास का वैज्ञानिक विश्लेषण करके समाजवाद के बारे में अपने विचार बनाए, इसलिए उसे वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। उन्होंने सिखाया कि मजदूर वर्ग की ऐतिहासिक जिम्मेदारी है कि वह समाजवाद का निर्माण करे ताकि न केवल वह स्वयं बल्कि सभी शोषित वर्ग शोषण से मुक्ति पाएं। इस प्रकार मजदूर वर्ग और तमाम शोषित लोगों को एक सम्पूर्ण विचारधारा मिली जिससे प्रेरित होकर वे कार्यवाही में जुट जाएं। मेहनतकश जनता के सचेत तबके इसी विचारधारा से मार्ग दर्शन लेते हैं और उनकी कई उपलब्धियां भी हैं। इसी विचारधारा पर विश्व पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के जर खरीद कलमघिस्सू हमला कर रहे हैं।

पूंजीवादी वर्ग का घातक विचारधारक अभियान

दुनिया भर में नव–उदारवादी नीतियों व वैश्वीकरण के खिलाफ लड़ने वाली ताकतों का सबसे मजबूत दास्ता संगठित मजदूर वर्ग है। इसका यह मतलब नहीं समाज के अन्य तबकों को कम करके देखा जाए क्योंकि वे भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। मगर पूंजीवादी व्यवस्था के सबसे संगठित तबके के नाते मजदूर वर्ग,और ट्रेड यूनियनों को एक खास भूमिका अदा करनी है–अन्य तबको के संघर्ष में खींचना और कारगर ताकत बनने के लिए उन्हें संगठित करना। यह भी गौर तलब है कि पूंजीवादी हमले का पहला प्रत्यक्ष निशाना मजदूर वर्ग पर ही साधा जाता है। अतः इस लड़ाई में मजदूर वर्ग का स्थान सबसे आगे की कतार में होना चाहिए। और यही कारण है कि ट्रेड यूनियनों के तहत संगठित मजदूर वर्ग को पंगु बनाने के लिए विश्व पूंजीवाद तथा साम्राज्यवाद ने एक पुरजोर वैचारिक हमला शुरू किया है कि मजदूर वर्ग की प्रेरणा के स्रोत–उसकी क्रांतिकारी दृष्टि को ध्वस्त कर दिया जाए।

पूंजीवाद के बुद्धिजीवी प्रतिनिधि समाजवादी आदर्शों की आलोचना शुरूआती दिनों से ही करने लगे थे जब उनका पूरा स्वरूप भी तैयार नहीं हुआ था। सोवियत संघ में समाजवाद के खत्म हो जाने के बाद पूंजीवादी वैचारिक हमले ने और जोर पकड़ लिया। एक स्वर में जो राग अलापा जाना उस समय शुरू हुआ। उसकी धुने आज भी सुनाई देती हैं–समाजवाद असफल हो गया, मार्क्सवाद गलत साबित हुआ, पूंजीवाद ही इतिहास का आखिरी मुकाम है, इसका कोई विकल्प नहीं है।' उत्तर आधुनिकता जैसे जटिल सिद्धांत बनाए गए जिसके अलग–अलग प्रकारों का एक ही लक्ष्य था–यह साबित करने की कोशिश करना कि मौजूदा सामाजिक परिस्थितियों को सचेत प्रयासों से बदला नहीं जा सकता। पूंजीवाद, हमेशा बरकरार रहेगा। फुकुयामा की किताब "इतिहास का अंत" का ढिंढोरा साम्राज्यवादी मीडिया व बुद्धिजीवी तबको ने पूरी दुनिया में पीटा।

इसके अलावा मजदूरों व आम लोगों में विभाजन पैदा करने के लिए वे जहरीली विचारधाराओं को फैला रहे हैं। इनमें से एक प्रचलित सिद्धांत है 'सभ्यताओं का टकराव'। हमले का एक अन्य मोर्चा है उपभोक्तावाद को बढ़ावा देना जिसे मीडिया, खासकर इलेक्ट्रानिक मीडिया, पूरे जारे शोर से प्रचलित कर रहा है। यह आत्म केन्द्रित और स्वार्थी इन्सान की वाहवाही करता है और श्रम बाजार में नए प्रवेशार्थी नौजवानों मजदूरों में ट्रेड यूनियनों के प्रति उदासीनता को बढ़ावा देता है। एक वर्गीय समाज में, स्वार्थपरकता का यह पहलू पहले से विद्यमान था, किन्तु नव–उदार भूमण्डलीयकरण के रूप में पूंजीवाद के पराकाष्ठा पर पहुंचने यह स्वार्थपरकता व्यक्तिवाद, कैरियरवाद, अहंकार जन्य रुख और अकेलेपन के रूप में सामने आया है जहां दूसरों की समस्याओं से व्यक्ति कोई सरोकार नहीं रखता। यह स्वार्थपरकता भी अपनी ऊंचाईयों को छू रही है।

एक तरफ ट्रेड यूनियन अधिकारों पर सीधा हमला हो रहा है और बहुराष्ट्रीय कम्पनियां या दस बड़े औद्योगिक घरानों की आधुनिक इकाइयों में ट्रेड यूनियन बनने से रोकने की कवायद चल रही है तो दूसरी तरफ ऐसे साहित्य की भरमार हो गई है जो ट्रेड यूनियनों की निरर्थकता और वर्तमान में उनके बेकार पड़ जाने से उपदेश देते नहीं थकता।

श्रमिक वर्ग का ढांचागत बदलाव और उससे जुड़ी विचारधारक समस्याएं

पिछले एक अथवा दो दशकों से हम श्रमिक वर्ग में तेजी से आ रहे ढांचागत बदलाव को देख रहे हैं। भारत भी इस मामले में अपवाद नहीं है।

पूंजीवाद की नव–उदारीकृत सत्ता के परिणामस्वरूप उद्योगों के संगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या सिकुड़ रही है और अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। संगठित क्षेत्र में भी नियमित श्रमिकों के साथ–साथ संविदा श्रमिकों, नैमित्तिक, दैनिक वेतन भोगी (दिहाड़ीदार) तथा उजरत दर (पीस रेट पर काम करने वाले) श्रमिकों की विशाल संख्या काम कर रही है। इन श्रमिकों को रोजगार की सुरक्षा प्राप्त नहीं होती और न ही इन्हें किसी सामाजिक सुरक्षा का सुख हासिल होता है। इनके साथ ही साथ उच्चतर वेतन पाने वाले और अत्यंत अल्प वेतन पाने वाले श्रमिक भी काम करते हैं।

श्रमिकों की इन कोटियों के चलते श्रमिक संघों का काम बहुत कठिन हो गया है–सांगठनिक रूप में अथवा इससे कहीं अधिक विचारधारक तौर पर। किसी भी ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं को इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

श्रमिकों की वह कोटि जो अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र में काम करती है, उन्हें या तो बहुत छोटे सेवायोजकों ने काम पर लगा रखा है अथवा अधिकतर वे स्वःरोजगार प्राप्त होते हैं और उनकी आय की दर बहुत कम होती है। ये श्रमिक पूरे देश में फैले हैं; ये एक ही छत के नीचे अथवा उस कामकाजी स्थल पर जहां श्रमिकों की बहुत भारी संख्या केन्द्रित होती है, में काम नहीं करते। वे अलग–अलग स्वः रोजगार के कामों में लगे होते हैं इसलिए ये दूसरे श्रमिकों से अलग–थलग रहते हैं। उन्हें संगठित करने का काम बहुत कठिन है और उनके बीच विचारधारक अभियान चलाना और भी कठिन है तथा इसमें बहुत परेशानी भी झेलनी पड़ती है। क्योंकि वे एक दूसरे से अलग–थलग होते हैं इसलिए उनका यूनियन करण करने तथा उन्हें विचारधारक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान के लिए उन्हें समूहों में लाना

होगा अथवा उन्हें एकजुट करना होगा। यह विश्वव्यापी घटनाक्रम है, भारत भी इसमें अपवाद नहीं है, जहां इन श्रमिकों की संख्या अत्यंत विराट है और संगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों से कहीं अधिक है।

श्रमिकों की इन कोटियों में विचारधारक एवं राजनीतिक शिक्षा का काम करने के लिए श्रमिक संघों को यह गम्भीर काम करना होगा और इसे दृढ़ता से करना होगा और अपनी पूरी मेधा इस काम में लगा देनी चाहिए। ये श्रमिक विजातीय विचारधारा का भी बड़ी आसानी से शिकार बन सकते हैं और बुर्जुआजी तथा दूसरी प्रतिगामी शक्तियां अपने हित साधने के लिए कभी कभार उनका उपयोग भी कर सकती है।

यह एक निर्णायक महत्व का विचारधारक काम है और वर्तमान स्थितियों में सीआइटीयू को यह काम करना होगा। हमें पूरी दृढ़ता के साथ इसे पूरा करना होगा।

बदलती स्थिति

सच यह है कि जनता, खास तौर पर मजदूर वर्ग, समाजवाद के प्रति सिर्फ सैद्धांतिक विश्वास के कारण नहीं आकर्षित हुआ था। समाजवाद की लोकप्रियता के पीछे सोवियत संघ की उपलब्धियां एक सशक्त कारण थीं। यह स्वाभाविक है कि समाजवाद का विश्वास, सोवियत संघ व पूर्वी यूरोप में उसके ढह जाने के बाद लड़खड़ा जाए। खास तौर पर जब साम्राज्यवाद लोगों के दिमाग में समाजवाद के बारे में संदेह के बीज बो रहा हो।

मगर परिस्थितियां अब बदल रहीं है। पूंजीवादी दुनिया जिस वित्तिय व आर्थिक संकट से घिरा हुआ है उसने फिर से मार्क्स के पूंजीवाद के विश्लेषण को सही साबित किया है और फिर से समाजवाद के मूल विचार सामने आए हैं। दुकानों में मार्क्स की जो किताबें धूल खा रही थीं, इस संकट के दौरान हाथों हाथ बिक गई। अब बारी है मजदूर वर्ग के आंदोलन के सबसे अगुआ दस्ते की। हम इस मौके का फायदा उठा कर उन विचारधाराओं के खिलाफ तीखा अभियान छेड़ें जो विश्व पूंजीवाद मजदूर वर्ग को पंगु बनाने के लिए लोगों के बीच फैलाता चला जा रहा है।

स्थानाभाव के कारण यहां हम साम्राज्यवादी अभियान के सभी विवरणों का विश्लेषण नहीं कर सकते अथवा पूरे विस्तार में इसका जबाब नहीं दे सकते। मगर यह स्पष्ट है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन और सीआइटीयू को मजदूर वर्ग की विचारधारा को बुलंद करने का वैचारिक पलटवार संगठित करना पड़ेगा।

भारत की विशेष स्थितियों में क्या करें?

भारत की वर्तमान स्थितियों में पूंजीवादी समाज के सामान्य मुद्दों के साथ अनेकानेक समस्याएं हैं। क्योंकि भारत एक बहुराष्ट्रीय, बहुजातीय एवं बहुधर्मी समाज है, इसके साथ जाति व्यवस्था का बहुत बड़ी जंजाल है इसलिए श्रमिक आंदोलन की समस्याएं कई गुणा बढ़ जाती हैं।

यही नहीं, अलगाव वादी जातीय राजनीति में हाल ही में आए उभार; "माओवाद" के नाम पर चरमपंथ के सिर उठाने; सबसे घिनावने हत्यारे एवं विध्वंसक संगठनों के चलते क्रांतिकारी श्रमिक आंदोलन के साथ–साथ जनवादी आंदोलन के लिए भारी रुकावटें खड़ी हो चुकी हैं। इनमें से अधिकांश समस्याएं भारत की विशेष स्थितियों की उपज हैं और इन समस्याओं का समाधान किए बिना भारत का श्रमिक आंदोलन जिसका उद्देश्य बर्बर पूंजीवादी समाज को बदल कर शोषण मुक्त समाजवादी समाज की स्थापना करना है, विचारधारक तौर पर और सांगठनिक रूप में क्रांतिकारी विचारधारा के आधार पर श्रमिक वर्ग को एकजुट नहीं कर सकता। तथापि, हमारे सामने सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण काम ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं को मार्क्सवादी समाजवाद की सबसे शानदार एवं मानवीय विचारधारा से शिक्षित करना और शिक्षा के इस हथियार से सुसज्जित करने का है।

किन्तु हमारी ओर से समाजवाद की जरूरत समझने पर ही समाजवाद की स्थापना अपने आप नहीं हो जाएगी। यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया लम्बी और उकता देने वाली हो सकती है; हमें धैर्य रखना होगा और इस तथ्य को हमेशा ध्यान में रख कर हमें अपना काम करना होगा। किन्तु एक ऐतिहासिक आवश्यकता के रूप में इन अथक संघर्षों की प्रक्रिया में समाजवाद एक वास्तविकता है, इसमें संदेह नहीं।

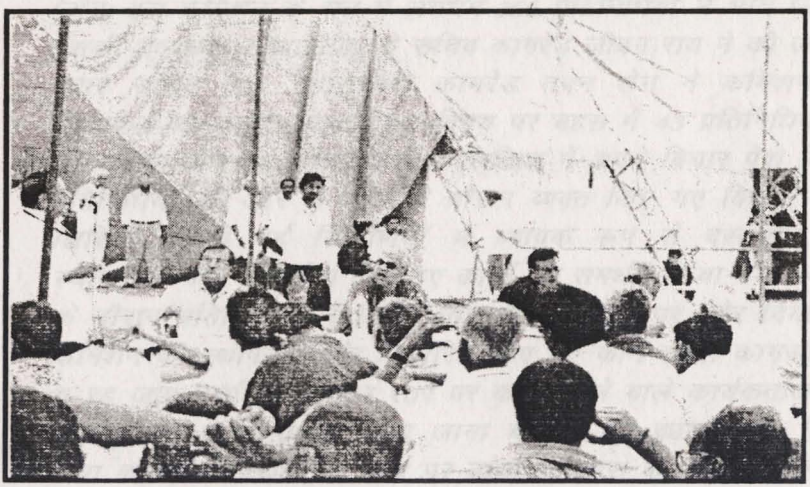

मजदूर वर्ग की एकता और हमारा दृष्टिकोण

(नोटः इस कमिशन के सत्र में लगभग 355 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसकी अध्यक्षता सीआइटीयू के सचिव कामरेड जीवन राय ने की जबकि दूसरे सचिव (अब महासचिव) कामरेड तपन सेन ने कमिशन के दस्तावेज को प्रस्तुत किया। इस विषय पर बहस में 43 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 36 प्रतिनिधियों ने लिखित में अपने विचार पेश किए। प्रतिनिधियों की ओर से चर्चा के दौरान व्यक्त किए गए विचारों और लिखित में दी गई टिप्पणियों में व्यापक रूप से दस्तावेज की स्थापनाओं और निर्धारित किए गए कार्यों का समर्थन किया गया। बहस के दौरान प्रतिनिधियों ने विशेष तौर पर इस बात पर जोर दिया कि कमिशन की स्थापनाएं और निर्धारित किए गए काम केवल कागजों पर न रह जाएं इसलिए तृणमूल स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के बीच इनका प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए; यह काम राज्य, जिला तथा कामकाजी स्थलों के स्तर पर ढांचागत बहस के माध्यम से किया जाए; श्रमिक आंदोलन को जिन मुद्दों से निपटना पड़ रहा है, उन पर तृण मूल स्तर पर एकता का निर्माण करने के प्रश्न पर एकमत बनाने और वर्गोन्मुखी जागरूकता के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए यह काम करना अत्यंत आवश्यक है।)

सीआइटीयू का तेरहवां महाधिवेशन, उसकी स्थापना के चालीसवें वर्ष में हो रहा है। इन चार दशकों में स्थापना सम्मेलन में दिए गए नारे 'एकता और संघर्ष' को मुस्तैदी से लागू करते हुए सीआइटीयू आगे बढ़ा है। एकजुट आंदोलन के अनुभवों और विभिन्न चरणों से गुजरते हुए जिस प्रकार उसने विकास किया है, उससे हमें जो शिक्षाएं मिलीं, उनके आलोक में यह दस्तावेज मजदूर वर्ग की एकता को बढ़ाने एवं उसे मजबूत बनाने तथा भविष्य के लिए उपयुक्त कार्यों तथा आगे की कार्यनीति का निर्धारण करेगा। समीक्षा करने का यह काम राजनीतिक–आर्थिक परिदृश्य में घटने वाली नवीनतम घटनाओं के संदर्भ में किया जाएगा।

सीआइटीयू के संविधान में, उसके लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का उल्लेख करते हुए लिखा गया है, *''सीआइटीयू का मानना है कि मजदूर वर्ग का शोषण तभी खत्म हो सकता है जब उत्पादन, वितरण और विनिमय के सभी साधनों का सामाजीकरण हो जाए और समाजवादी*

राजसत्ता स्थापित हो। समाजवाद के आदर्शों पर दृढ़ रहते हुए, समाज को हर तरह के शोषण से मुक्त कराने के लिए सीआइटीयू कृत संकल्प है।"

"उसका दृढ़ मत है कि बिना वर्ग संघर्ष के कोई भी सामाजिक बदलाव सम्भव नहीं है, और मजदूर वर्ग को वर्ग सहयोग के रास्ते पर ले जाने के सभी प्रयासों का सीआइटीयू लगातार प्रतिरोध करेगा।"

इसी को आधार बनाते हुए, भुवनेश्वर में 4–6 जून 1993 को सम्पन्न सीआइटीयू कार्य समिति की बैठक में अपनाई गई 'संगठन सम्बन्धी रिपोर्ट' जिसे 'भुवनेश्वर रिपोर्ट' के नाम से जाना जाता है, के शुरू में लिखा गया था कि, *"23 साल पहले भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन में सीआइटीयू के उभरने के बाद से ही उसने मजदूर वर्ग के सामने खड़े समान मुद्दों पर एकजुट आंदोलन का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है–। सीआइटीयू ने लगातार वर्ग संघर्ष और समाजवाद के सिद्धांतों को ऊपर रखा है और इन महान आदर्शों से बैर रखने वाली विचारधाराओं का मुकाबला किया है। कई बार, सीआइटीयू अकेले ही लड़ता रहा, मगर उसने कभी भी मजदूरों के वर्ग हितों को बचाए रखने के संघर्ष को छोड़ा नहीं।"*

मजदूर वर्ग की एकता के बारे में सीआइटीयू का रुख, अपने संविधान में वर्णित बुनियादी पहलुओं जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, पर आधारित होना चाहिए और भुबनेश्वर दस्तावेज़ में बनाए गए संगठनात्मक दृष्टिकोण इस समझ का अधार होना चाहिए।

सीआइटीयू जनरल कौंसिल में नीति सम्बन्धी दस्तावेज "संयुक्त संघर्ष तथा श्रमिक आंदोलन की संगठनात्मक मजबूती" पर बहस की गई थी और दिसम्बर 2002 में आयोजित सीआइटीयू कार्य समिति की बैठक में इसे अंतिम रूप से पारित कर दिया गया था। उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है:

"यह अनुभव इस तथ्य को रेखांकित करता है कि संघर्ष के लिए व्यापक एकता बनाने हेतु संयुक्त संघर्ष चलाने की नीति का अनुसरण करने और 'केवल संघर्ष के लिए एकता' के सिद्धान्त पर अडिग रहने की जरूरत सदा बनी रहती है। संघर्ष की अवधारणा से रहित एकता

व्यर्थ है और उसका कोई अर्थ नहीं। संघर्ष पर समझौता करके इस तरह की एकता कदापि स्थापित नहीं की जा सकती।''

इसलिए श्रमिक वर्ग की एकता का सीआइटीयू का दृष्टिकोण उसके इसी बुनियादी रुख पर आधारित है:

- संघर्षों के लिए एकता
- मजदूर वर्ग और जनता के अधिकारों व रोजी–रोटी को बचाने के लिए संघर्ष. ये संघर्ष शासक वर्ग की शोषणकारी व दमनकारी नीतियों के खिलाफ होंगे।
- मजदूर वर्ग की बढ़ती एकता व इन संघर्षों के दौरान यह सचेत प्रयास करना होगा कि ट्रेड यूनियन चेतना को राजनीतिक चेतना में तबदील किया जाए जिसमें शासक वर्ग की नीतियों व तमाम मुद्दों पर वर्ग– आधारित समझ शामिल हो।
- जमीनी स्तर पर स्वतंत्र अभियान बहुत जरूरी हैं क्योंकि इन्हीं से अलग–अलग संगठन संघर्ष के संयुक्त मंच पर आएंगे और एकता की नींव पडेगी; साथ ही संयुक्त कार्यक्रमों को लागू करने के लिए स्वतंत्र अभियान भी जरूरी है ताकि पूरे वर्ग को एकजुट किया जाए सके और उसकी चेतना बढ़ाई जा सके।

वर्तमान संदर्भ

वर्तमान राजनीतिक–आर्थिक परिस्थितियों में शासक वर्ग की वर्तमान में जारी नीतियों के खिलाफ समूचे मजदूर वर्ग को एकजुट करने और संघर्ष में उतारने की जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो गई है। साम्राज्यवादी शक्तियों की मदद से शासक वर्ग, नव–उदारवाद तथा साम्राज्यवाद–परस्त नीतियों का विरोध करने वालों को कुचलना चाहता है। पिछले आम चुनाव के बाद से, कांग्रेस के नेतृत्व वाला शासक गठबंधन बेलगाम हो गया है और वह पूंजीवाद की नव–उदारवादी नीतियों को थोपने के लिए आतुर हो उठा है। ऐसी नीतियों को यूपीए–I के दौरान वामपंथी विरोध के कारण लागू नहीं किया जा सका था। साथ–साथ मौजुदा यूपीए—II शासक अमरीकी साम्राज्यवाद के

साथ विस्तृत रणनीतिक गठबंधन बनाने के लिए भी उतनी ही आतुरता दिख रहा है। ऐसे गठबंधन से आत्म निर्भरता, आजादी और हमारे राष्ट्रीय हितों को गहरा धक्का लगेगा। कुल मिलाकर भारत को उस नव–उदारवादी राजनीतिक–आर्थिक पिंजरे में धकेलने के जोरदार प्रयास चल रहे है जो अमरीकी शासन चाहता है। आज के भारतीय शासक भी इस चाल में हाथ बटा रहे हैं। गहरी मंदी और वित्तीय संकट से तिलमिलाया अमरीकी साम्राज्यवाद और भी तत्परता के साथ भारत को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहता है।

शासक वर्ग के इन साम्राज्यवाद परस्त और राष्ट्र विरोधी मंसूबों के एकमात्र विरोधी वामपंथी ताकतें हैं और इस विरोध को जीवन देने, उसे मुखर बनाने का काम करता है मजदूर वर्ग का आन्दोलन। स्वाभाविक है कि लोक सभा के पिछले चुनावों में वामपंथ को लगे धक्के का पूरा फायदा उठाने के लिए शासक वर्ग एड़ी चोटी का जोर लगाएगा ताकि राजनीतिक स्तर पर उनका विरोध कमजोर पड़े। इससे वे और भी तेजी से राजनीतिक व आर्थिक नीतियों के स्तरों पर अपने राष्ट्र विरोधी हथकण्डे लागू कर पाएंगे और देश को दक्षिणपंथी दिशा में धकेल पाएंगे। यह देश की आजादी, आत्म निर्भरता और जनतांत्रिक प्रणाली के लिए खतरे की घण्टी है। इसका एक परिणाम यह भी होगा कि मजदूर व मेहनतकशों पर हमला तेज होगा क्योंकि सिर्फ वही नव–उदारवादी नीतियों के मजबूत विरोधी है।

अतः चुनावों के बाद के परिदृश्य में देश भर में दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी ताकतें, प्रशासन संचार माध्यमों और तमाम पूंजीवादी निपान के हथियारों का इस्तेमाल वामपंथ पर चौमुखी हमले के लिए कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में यह हमला सबसे तेज है, जो कि वामपंथ का सबसे मजबूत किला है। वहां चौतरफा हमला बोल दिया गया है। एक तरफ मीडिया के माध्यम से जहरीला प्रचार प्रतिक्रियावादी ताकतों द्वारा किया जा रहा है जबकि दूसरी ओर वाम चरमपंथी गठजोड़ वामपंथी संगठनों पर खूनी हमले कर रहा है।

वामपंथी ताकतें हमेशा मजदूर वर्ग के अधिकारें के लिए लड़ती रही हैं और उसके साथ–साथ दक्षिण पंथी प्रतिक्रियावादी और साम्राज्यवादी मंसूबों का भी मुस्तैदी से विरोध करती रही हैं। यदि वामपंथ को कमजोर करके हाशिए पर धकेल दिया गया तो पहला हमला मजदूर वर्ग

के अधिकारों पर होगा और उसके बाद जनतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली व उसके संस्थानों पर गाज गिरेगी। आज मजदूर आंदोलन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि संसद में वामपंथ के कमजोर पड़ने की भरपाई संसद के बाहर मेहनतकश जनता की विशाल गोलबंदी से की जाए जो हर जन विरोधी चाल का जम कर मुकाबला करे। इस चुनौती को नजर अंदाज करना, मजदूर आंदोलन के लिए खतरा खड़ा कर देगा।

संसद में विरोध के कमजोर पड़ने की भरपाई पूरे देश में मजदूर वर्ग के जुझारू संघर्षों की आंधी से करनी पड़ेगी। इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए मजदूर आंदोलन की एकता के मंच को और विस्तृत करना होगा। यह एकता आत्म निर्भरता व आजादी जनतंत्र पर मंडरा रहे खतरे की गम्भीरता को समझते हुए बनानी होगी ताकि इन खतरों के खिलाफ जन-प्रतिरोध संगठित किया जा सके। इसलिए मजदूर वर्ग की एकता को और विस्तृत और गहरा बनाने जरूरी है।

दो आयाम

मजदूर वर्ग को एकजुट करने की जिम्मेदारी के दो आयाम हैं। देश में मौजुदा अनेकों ट्रेड यूनियन केन्द्रों, जिनमें अपने राजनीतिक झुकाव हैं, को मजदूरों के मुद्दों पर संघर्ष के मंच पर एकजुट करना एक आयाम है। दूसरा पहलू है अलग-अलग प्रकार की काम की स्थितियों व सेवा शर्तों पर काम कर रहे मजदूरों को एकजुट करना, चाहे वे एक कार्य-स्थल पर हों, किसी एक उद्योग में हों या फिर पूरे अर्थतंत्र में हो। यह एकता शोषण करने वाली व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष के लिए बनानी होगी।

ट्रेड यूनियनों की बहुतायत के संदर्भ में, विभिन्न ट्रेड यूनियनों के सुयुक्त संघर्ष और विभिन्न उद्योगों या सेवा क्षेत्र के कर्मचारियों व मजदूरों के संगठनों को संघर्ष के संयुक्त मंच पर एकजुट करने से, पूरे वर्ग के सामने खड़े समान मुद्दों व संबंधित नीतियों पर मजदूर वर्ग को एकजुट करने में काफी हद तक मदद मिलती है।

मगर समूचे मजदूर वर्ग की एकता बनाने और व्यवस्था परिवर्तन के संघर्ष में इस चट्टानी ताकत को झोंकने के लिए सिर्फ इतने भर से काम नहीं चलेगा। साथ–साथ यह भी जरूरी है कि कार्य स्थल, उद्योग व पूरे अर्थ तंत्र में काम करने वाले मेहनतकशों के जो अलग–अलग प्रकार है, जिनमें कई बार 'हितों का टकराव' भी छद्म रूप से दिखता है, इन सभी को उचित तरीके से एकजुट किया जाए। यह जिम्मेदारी क्रांतिकारी लक्ष्य रखने वाले मजदूर आंदोलन की है। वर्तमान परिस्थितियों में समूचे वर्ग को एकजुट करने का यह काम और भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि काम करने वालों में अनेकता व अन्तर चिंताजनक रूप से बढ़ गए हैं। नियोजकों की श्रेणी इसे और हवा दे रही है और इसका लाभ उठा कर अपना शोषण और तेज कर रही है।

ट्रेड यूनियनों के एकजुट संघर्षों का पिछला अनुभव

सीआइटीयू का गठन होने के बाद से ही, मजदूर आंदोलन की एकता बनाने के प्रयासों ने नीति–विषयक प्रश्नों और कामकाजी स्थलों के मुद्दों, दोनों पर मजदूर वर्ग के हस्तक्षेपों को बड़ी सीमा तक निर्धारित किया है।

स्थापना सम्मेलन से ही सीआइटीयू ने 'एकता और संघर्ष की ओर' का नारा दिया था और शोषण के खिलाफ तथा मजदूरों/जनता के ट्रेड यूनियन व जनवादी अधिकारों की रक्षा के लिए एकता बनाने पर जोर दिया था।

सीआइटीयू के बनते ही शासक वर्गों ने ट्रेड यूनियन आंदोलन के अंदर ही उसे अलग–थलग करने के भरसक प्रयास किए। इंटक, एटक तथा एच एम एस ने 1971 में मिल कर ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय परिषद (एनसीटीयू) बना डाली। इसके पीछे भारत सरकार और तत्कालीन श्रम मंत्री आर के खाडिलकर का हाथ था। उधर सीआइटीयू की पहल पर बाकी दूसरे केन्द्रीय श्रमिक संगठन व औद्योगिक फैडरेशन, ट्रेड यूनियन संयुक्त परिषद (यूसीटीयू) में एकजुट हुए ताकि मजदूरों की रक्षा की जा सके। यूसीटीयू ने देश भर में मजदूरों के मुद्दों पर, और बाद में आपात्काल के विरोध में संघर्ष छेड़ दिया। इस दौरान सरकार परस्त एनसीटीयू ठण्डी पड़ गई और अन्ततः छिन्न भिन्न हो गई।

उसके बाद से मजदूर वर्ग की एकता और एकजुट संघर्षों की कवायद विभिन्न चरणों से गुजरी। प्रत्येक चरण में इसका मंच व्यापक बनता चला गया। मोरारजी देसाई सरकार द्वारा 1978 में लागू किए गए औद्योगिक सम्बन्ध कानून के खिलाफ एटक, इंटक व बीएमएस समेत सभी ट्रेड यूनियनें एक मंच पर एकजुट हुई ।

1980 में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद इंटक ने एकजुट आन्दोलन से बाहर हो गई। जुन 1981 में मुंबई में हुए एक विषाल अखिल भारतीय कन्वेंशन में ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति (एनसीसी) बनाई गई जिसमें इंटक को छोड़ बाकी सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनें व अनेक प्रमुख औद्योगिक फेडरेशनें शामिल थीं। अस्सी के दशक के अंत तक एनसीसी ने मजदूरों के अधिकारों पर कई हमलों को शिकस्त दी। 19 जनवरी 1982 को ऐतिहासिक देशव्यापी हड़ताल भी एनसीसी के आह्वान पर हुई । भारतीय ट्रेड यूनियन आन्दोलन के इतिहास में मजदूर वर्ग की यह पहली देशव्यापी औद्योगिक कार्यवाही थी।

इस अवधि के दौरान एक और महत्वपूर्ण घटना हुई देश के अर्थ तंत्र में अहम स्थान रखने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों के मजदूरों के संयुक्त मंच का गठन हुआ– सार्वजनिक क्षेत्र ट्रेड यूनियन समिति (सीपीएसटीयू) तत्कालीन सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र को कमजोर करने की साजिशों के खिलाफ सीआइटीयू के स्वतंत्र अभियान ने सीपीएसटीयू के गठन की नींव डाली थी। इंटक को छोड़ सभी प्रमुख केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों से जुड़ी सार्वजनिक क्षेत्र यूनियनों के अलावा, सीपीएसटीयू में सार्वजनिक क्षेत्र की सभी स्वतंत्र यूनियनें खास तौर पर बैंगलौर व हैदराबाद की, इसके हस्तक्षेप के कारण सरकार को कई बार पीछे हटना पड़ा जैसे वेतन व सेवा शर्तों पर मजदूर विरोधी दिशा–निर्देश या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण की कोशिशों को वापस लेना । अस्सी के दशक के अंतिम वर्षों में राजनीतिक कारणों से बीएमएस ने सीपीएसटीयू छोड़ दी। मगर हाल में ही उन्होंने वापस आने की इच्छा जताई और सीपीएसटीयू इस पर सकारात्मक फैसला लेने जा रही है।

1991 में नवउदारवादी नीतियों की व्यवस्था शुरू हुई और आत्म निर्भर विकास की बजाए साम्राज्यवाद की छत्र छाया में वैश्वीकरण का

दक्षिण पंथी रास्ता अपनाया गया। इसके चलते ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आन्दोलन का एक नया दौर शुरू हुआ। इंटक व बीएमएस को छोड़ सभी ट्रेड यूनियनों ने 29 नवम्बर 1991 को देशव्यापी हड़ताल में शिरकत की। नव–उदारवादी नीतियों की शुरूआत के समय हुई संघर्ष की इस संयुक्त कार्यवाही के लिए सभी अन्य ट्रेड यूनियनों को एकजुट करने में सीआइटीयू ने प्राथमिक भूमिका निभाई। इसके फलस्वरूप ट्रेड यूनियन आयोजन समिति (स्पान्सरिंग कमेटी आफ ट्रेड यूनियन्स) बनी। इंटक व बीएमएस को छोड़ सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनें तथा केन्द्र व राज्य सरकारों के कर्मचारियों की अखिल भारतीय फैडरेशनों, रक्षा, दवा, खाद, बैंक, बीमा व अन्य उद्योगों के कर्मचारियों के फेडरेशन अर्थात् इन क्षेत्रों के कर्मचारियों का बहुमत इसमें शामिल था। स्पानसरिंग कमेटी आज भी सक्रिय है और इसके नेतृत्व में अब तक 12 देश व्यापी हड़तालें सफलता पूर्वक की जा चुकी हैं। हर हड़ताल में और भी ज्यादा मजदूर–कर्मचारी शामिल होते चले गए हैं, और इस क्षेत्रों से कर्मचारियों व श्रमिकों की भागीदारी बढ़ती गई है जो पहले नहीं थी। इंटक व बी एम एस से संबंधित संगठन भी इससे जुड़ते रहे हैं।

एक और महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करना जरूरी है। यद्यपि इंटक व बीएमएस नेतृत्व वैश्वीकरण विरोधी संघर्ष के इस संयुक्त मंच से दूर रहा मगर ऐसे कई अवसर आए जब स्पांसरिंग कमेटी के अभियान के दबाव में उन्हें भी विरोध के स्वर में अपना स्वर मिलाना पड़ा। 24 जुलाई 2001 को देश व्यापी प्रदशनों में पहली बार इंटक व बीएमएस का केन्द्रीय नेतृत्व शामिल होने पर मजबूर हुआ। वर्ष 2003 में भी हड़ताल के अधिकार के खिलाफ न्यायालय के निर्णय का विरोध करने के लिए बने संयुक्त मंच में इंटक व बीएमएस शामिल हुए।

फिर 14 सितम्बर 2009 को इंटक व बीएमएस नेतृत्व ने दूसरी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों व फेडरेशनों के साथ मिल कर मंहगाई, विनिवेश, श्रम कानून के उल्लंघन, मंदी के कारण नौकरियों में कटौती, असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा आदि मुद्दों पर सरकारी नीतियों के विरोध में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसके बाद 28 अक्टूबर 2009 को देशव्यापी विरोधी दिवस, 16 दिसम्बर 2009 को संसद पर धरना और 5 मार्च 2010 को देशव्यापी सत्याग्रह व गिरफ्तारी देने के कार्यकम हुए।

वैश्वीकरण विरोधी संघर्ष के इस संयुक्त मंच के कार्यकमों का असर जनता के अन्य संगठनों को भी संघर्ष में खींचने के रूप में दिखा। स्पांसरिंग कमेटी की पहल पर 1993 में नई दिल्ली में आयोजित एक विशाल कन्वेंशन में जन संगठनों का राष्ट्रीय मंच (एनपीएमओ) बनया गया जिसमें किसानों, खेत मजदूरों, छात्रों, नौजवानों, महिलाओं आदि के जन संगठन शामिल हुए। जन संगठनों को सक्रिय करने, और जनता के हर तबके के बीच संघर्ष का संदेश पहुंचाने में नब्बे के दशक में एनपीएमओ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 2000 के बाद से एनपीएमओ को अखिल भारतीय स्तर पर सक्रिय रखना असम्भव हो गया क्योंकि कुछ ट्रेड यूनियन घटकों ने इस पर नकारात्मक रुख अपना लिया था और वे निष्क्रिय हो गए थे। मगर कई राज्यों में सीआइटीयू की पहल पर एनपीएमओ अभी भी ट्रेड यूनियनों के नव–उदारवादी नीतियों के खिलाफ संघर्ष में सक्रिय योगदान दे रहा है।

विभिन्न ट्रेड यूनियनों को राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष में जोड़ने की पहल के साथ–साथ क्षेत्रीय व औद्योगिक स्तर पर भी एकता के लिए कई बार पहल की गई। इस दौर में अनेक उद्योग –स्तरीय संयुक्त कार्यक्रम हुए। उनमें से अनेक कार्यक्रमों में सभी ट्रेड यूनियनों की एकता देखने को मिली। वित्तीय क्षेत्र (खास तौर पर बैंक व बीमा) टेलीकॉम, कोयला, जूट और कई बार बन्दगाह व गोदी ऐसी पहल के उदाहरण हैं जिनमें मजदूरों की आम मांगों पर सारी ट्रेड यूनियनें एकजुट हुई। इनमें उल्लेखनीय बैंक, बीमा व टेलीकाम में हड़ताली कार्यवाही अथवा पहल हैं क्योंकि इनमें कर्मचारियों व अधिकारियों दोनों के संगठनों ने एकता बना कर सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष छेड़ा।

संयुक्त संघर्षों के अनुभव का सार

संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन के चार दशकों से कुछ ठोस अनुभव सामने आए हैं।

सीआइटीयू के गठन के तुरंत बाद के दौर में ट्रेड यूनियनों में तीखा विभाजन था। ट्रेड यूनियन केन्द्रों के प्रमुख हिस्से सीआइटीयू को अलग–थलग करने में लीन थे। शीर्ष स्तर पर एकता नहीं थी। मगर

शासक वर्ग की नीतियों और अपने अधिकारो व रोजी–रोटी पर हो रहे हमले के खिलाफ मजदूरों को आंदोलित करने के हमारे प्रयासों के फलस्वरूप ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख हिस्से असहयोग और अपनी सरकार परस्त समझ के चंगुल से बाहर निकल आए, यद्यपि कई बार उनमें हिचकिचाहट भी रहती थी।

उसके बाद के दौर में भी सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट ट्रेड यूनियन कार्यवाही की समझ को मजबूती से आगे बढ़ाने के कारण संयुक्त मंच और विस्तृत हुआ। यह समझ कितने कारगर रूप से लागू की गई यह इससे पता चलता है कि कार्य स्थलों पर मजदूरों में इतना उत्साह भर गया कि ट्रेड यूनियनों के शीर्ष नेताओं पर एकता बनाने के लिए नीचे से दबाव पड़ने लगा। उदारीकरण के खिलाफ संघर्ष भी तेज हो पाया जब 1991 के शुरू से ही सीआइटीयू ने मजदूरों के बीच बेनकाब किया। बाद के सभी चरणों में भी संयुक्त आंदोलन तभी खड़ा हो पाया जब सीआइटीयू ने नेतृत्व अभियान चलाने के साथ–साथ अन्य यूनियनों को संघर्ष में लाने के प्रयास किए। इन संयुक्त कार्यक्रमों में मजदूरों की बड़ी शिरकत भी सीआइटीयू की स्वतंत्र पहल के कारण बन पाई। विभिन्न राज्यों व उद्योगों में संयुक्त संघर्षों की सफलता या असफलता हमेशा इस बात से तय होती थी कि सीआइटीयू ने किस हद तक स्वतंत्र अभियान चला कर उसका संदेश जमीनी स्तर तक पहुंचाया।

स्वतंत्र अभियान की शक्ति का अनुमान मजदूर विरोधी पेन्शन योजना के खिलाफ संघर्ष के अनुभवों से लगाया जा सकता है। इस योजना का विरोध सिर्फ सीआइटीयू ने ही किया था और बाकी सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने सरकार को अपना समर्थन दिया था। वर्ष 1996 में सीआइटीयू का स्वतंत्र अभियान इस ऊंचाई तक पहुंच गया कि देशव्यापी हड़ताल में मजदूर अपनी यूनियन के नाते भुला कर उसमें शामिल हुए थे। पेन्शन योजना का समर्थन करने वाली केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों से सम्बद्ध कई उद्योग स्तर की यूनियनें भी हड़ताल के समर्थन में आ गई। जमीनी स्तर पर करी–करीब पूरी एकता बन गई थी।

शीर्ष स्तर पर एकता निचले स्तर की लामबंदियों में प्रतिबिम्बित नहीं होती

यहां हमे स्वीकार करना होगा कि शासक वर्ग के हमले के खिलाफ ट्रेड यूनियनों की एकता में काफी विस्तार होने के बावजूद, मजदूरों का सिर्फ एक हिस्सा लामबंद हो पाया था। एक बहुत बड़ा तबका खास तौर पर निजी संगठित क्षेत्र तथा असंगठित क्षेत्र में और सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ इकाइयों में भी ऐसा था जो संघर्ष के दायरे से बाहर रहा। ट्रेड यूनियनों का संयुक्त संघर्ष पिछले 4 दशकों में फैला तो बहुत मगर नव–उदारवादी नीति तंत्र के खिलाफ मजबूत मुस्तैद और सर्वांगीण प्रतिरोध को विकसित नहीं कर पाया। सरकार की जन विरोधी एवं मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ मुद्दों पर आधारित एकजुट संघर्ष अब भी प्रतिरक्षात्मक हैं जबकि समय की मांग है कि आक्रामक संघर्ष छेड़ा जाए जो इस नीति तंत्र को वापस ढकेल दे।

उल्लेखनीय है कि संयुक्त संघर्षों के मामले में अधिकांश ट्रेड यूनियन केन्द्रों के एक साथ शामिल होने अथवा ट्रेड यूनियनों में पूरी एकता ही क्यों न हो किन्तु तृणमूल स्तर पर यह सब एकता में प्रतिबिम्बित नहीं होता और न उसके अनुरूप लामबंदी दिखाई देती है। हाल ही में सम्पन्न अक्टूबर, दिसम्बर 2009 व मार्च 2010 के देशव्यापी संयुक्त कार्यक्रमों को ही देखिए – उनमें सारी ट्रेड यूनियनें शामिल थीं मगर कार्यक्रमों में हिस्सेदारी उसके मुताबिक नहीं थी। शायद इसका एक कारण यह हो सकता है कि संयुक्त मंच के सभी घटकों ने या तो पूरा जोर नहीं लगया या बिलकुल भी प्रयास नहीं किए कि कार्यकमों में पूरी हिस्सेदारी हो। मगर यह एकमात्र कारण नहीं है।

सत्तर के दशक और अस्सी के दशक के मध्य तक हुए संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्षों के प्रमुख मुद्दे मजदूर वर्ग के अधिकारों व रोजी–रोटी पर केन्द्रित थे जबकि नीति सम्बन्धी मुद्दे पृष्ठभूमि में रहते थे। अस्सी के दशक के मध्य के बाद से आर्थिक व औद्योगिक नीतियों में नव–उदारवादी दिशा की ओर भारी फेर बदल शुरू हुए और शासक वर्ग ने भी ऐसी नीतियों के पक्ष में तीव्र वैचारिक संघर्ष छेड़ दिया। इसके कारण संघर्ष के दायरे में बदलाव आ गया जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए। उधर सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप में समाजवाद के ढह जाने से परिस्थिति और भी जटिल व शत्रुता पूर्ण हो गई। उसके बाद और खास तौर पर नब्बे के दशक से संयुक्त संघर्षों का सीधा निशाना नव–उदारवादी नीतियों पर रहा, जबकि संयुक्त संघर्षों के कई घटकों

में नव–उदारवाद के खिलाफ लड़ने में दिलचस्पी थी ही नहीं। इस विकट परिस्थिति में सीआइटीयू की पहल के कारण इंटक व बीएमएस को छोड़ कर बाकी सभी ट्रेड यूनियन केन्द्र, नव–उदारवाद के खिलाफ संघर्ष में शामिल हुए। अतः नब्बे के दशक में हुए वैश्वीकरण विरोधी संघर्षों ने नव–उदारवादी सुधारों को धीमा करने का काम कुछ हद तक किया और संयुक्त मंच को और ज्यादा विस्तश्त भी किया मगर संघर्ष को आगे बढ़ा कर नीतियों को शिकस्त देने के स्तर तक ले जाने के लिए जिस तरह की हिस्सेदारी जमीनी स्तर से बननी चाहिए थी वैसी नहीं बना पाए।

ट्रेड यूनियनों के संयुक्त संघर्षों के इतिहास में वैश्वीकरण विरोधी संघर्ष एक नया चरण था, इसमें संदेह नहीं क्योंकि उनका निशाना शासक वर्ग की नीतियों पर था। इस संघर्ष को और भी अधिक जुझारू बनाने के लिए और ज्यादा हिस्सेदारी बनाने के लिए मजदूरों में अधिक चेतना जरूरत होती है। समय की मांग है कि संयुक्त संघर्ष के मौजूदा स्तर से आगे बढा कर वर्गीय एकता का बृहत मंच बनाया जाए जिसमें मौजूदा नीति तंत्र का प्रतिरोध करने व उसे पलटने की चेतना व संकल्प होना चाहिए। निचली पंक्तियों और नेतृत्व में ऐसी उच्च चेतना बनाने का वैचारिक कार्य भार भी सीआइटीयू को पूरा करना होगा। हम इस काम को कारगर रूप से नहीं कर पाए हैं क्योंकि हमारे अन्दर ही वैचारिक व संगठनात्मक दिशा भ्रम था। यह हमारी इस कमजोरी में झलकता है कि हम केवल पूरे वर्ग को एकजुट नहीं कर पाए बल्कि नियोजक वर्ग द्वारा बड़ी संख्या में मजदूरों को यूनियनों से बाहर रखने और कार्यस्थल पर उन्हें अलग–अलग बहाने से बांट कर रखने की नीतियों का भी हम मुकाबला नहीं कर पाए। यह दिशा भ्रम तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम अपने आंदोलनात्मक और संगठनात्मक काम को समाजवाद के उस लक्ष्य से नहीं जोड़ेंगे जो हमारे संविधान में दर्ज है।

धरातल पर एकता

ट्रेड यूनियनों के संयुक्त संघर्षों में सिर्फ वही मजदूर हिस्सेदार हो पाते थे जो यूनियन में थे। निजी संगठित क्षेत्र में, खास तौर पर 1991 के बाद जो उभर कर सामने आया उसके अनुसार बड़ी संख्या में ऐसी इकाईयां थीं जहां यूनियनें नहीं बन पायी। इनमें बहुराष्ट्रीय निगमों व बड़े औद्योगिक घरानों की इकाईयां खास तौर पर शामिल थीं

क्योंकि उनमें यूनियन बनाने का जबरदस्त विरोध नियोजकों द्वारा किया जाता था, दमन होता था और श्रम विभाग व पुलिस को मजदूरों के खिलाफ इस्तेमाल में लाया जाता था। ऐसी कई निजी क्षेत्र की इकाइयां हैं जहां सिर्फ यूनियन बनाने के लिए मजदूरों पर नियोजकों–सरकारी गठजोड़ ने बर्बर हमला बोल दिया और आज भी वे मजदूर कठिन संघर्ष कर रहे हैं। एमआरएफ (तमिलनाडु) रीको, स्पीडोमैक्स, ओमैक्स होण्डा (हरियाणा) आदि की उदाहरणें हमारे सामने हैं। इनमें से अधिकांश आधुनिक, पूंजी संपन्न उत्पादन क्षेत्र की इकाइयां हैं जो औद्योगिक अर्थ तंत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और सत्ता के गलियारों में पकड़ बनाए हुए हैं। निजी संगठित क्षेत्र में यूनियनों को बनाना व बरकरार रखना, उन्हें संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन में लाने की शर्त है। ऐसा किए बगैर मजदूर वर्ग की एकता को विस्तृत करना, संयुक्त आंदोलन को मजबूत करना और पूंजीवादी हमले का कारगर प्रतिरोध बना पाना सम्भव नहीं है।

कार्यस्थल पर यूनियन बनाने के खिलाफ नियोजकों –सरकारी गठजोड़ के तेज दमन का मुकाबला करने के लिए, आस पास की अन्य यूनियनों द्वारा या जरूरत पड़ने पर क्षेत्रीय या अखिल भारतीय पैमाने पर समर्थन व एकजुटता की कार्यवाही भी जरूरी है क्योंकि इसी से मजदूरों की एकता मजबूत होती है, चाहे उनके सांगठनिक संबंध कुछ भी क्यों न हों। हाल ही में इसकी एक उदाहरण गुड़गांव में देखने को मिली जहां रीको के कारखाने में मजदूरों की हत्या व दमन के खिलाफ पूरे क्षेत्र के लगभग 1 लाख मजदूर विरोध में उतर आए और हड़ताल कर दी।

उधर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का एक बड़ा हिस्सा जहां ट्रेड यूनियनों में शामिल किया गया और वह संयुक्त संघर्षों में भी आया है, वहीं एक विशाल तबका यूनियनों के दायरे से बाहर है। यह देखते हुए कि असंगठित क्षेत्र में मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है और संगठित क्षेत्र में घट रही है, यूनियनों का काम असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बीच फैलाने की अहम जरूरत है।

अलग–अलग सम्बन्धों वाले ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आंदोलन के एक और पहलू पर ध्यान देना जरूरी है। यह देखा गया है कि चाहे स्पांसरिंग कमेटी द्वारा हड़ताल का आह्वान क्यों न किया गया हो, उद्यम के स्तर पर विभिन्न घटक शायद ही कभी एक साथ मिलकर कार्यवाही करते हैं। हमारी यूनियन कई बार शिकायत करती है कि संयुक्त मंच के अन्य घटक संयुक्त देशव्यापी संघर्ष की कार्रवाईयों के

लिए चलाए जाने वाले प्रचार अभियान कार्यक्रमों में दिलचस्पी नहीं लेते। किन्तु इसके साथ ही दूसरी यूनियनों द्वारा प्रचार अभियानों में दिखाई जाने वाली उदासीनता हमें एक अवसर भी प्रदान करती है कि हम दूसरी यूनियनों अनुयायियों और सदस्यों के बीच जाकर स्वतंत्र रूप से संघर्ष के संयुक्त कार्यक्रम के लिए प्रचार अभियान चलाएं और इस तरह हम अपनी सदस्य संख्या के घेरे से बाहर निकल कर मजदूरों के बीच अपने आधार को और विस्तृत करें। किन्तु इस तरह के अवसरों का लाभ उठाने की भावना का हमारी यूनियनों में गम्भीर अभाव पाया जाता है। अभियान चलाने के हमारे रुख की यह बुनियादी कमजोरी अथवा त्रुटि है। इस कमजोरी के चलते हमारे प्रचार अभियान का दायरा सिकुड़ कर रह जाता है और यहां तक कि हम अपनी पूरी सदस्य संख्या के बीच भी पहुंच नहीं पाते। इस मामले में दूसरी यूनियनों के सदस्यों तथा गैर यूनियनकृत श्रमिकों की बात न ही करें तो ठीक रहेगा।

उद्यम–स्तर के मुद्दों पर भी ट्रेड यूनियनों की एकता का अनुभव बहुत उत्साहवर्धक नहीं हैं। सिर्फ तब जब कोई उद्योग बीमार होकर डूबने लगता है तो सारी यूनियनें इकट्ठा होकर लड़ाई छेड़ती हैं। यह रूझान भी प्रायः सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में दिखता है। वरना आम तौर पर यूनियनों में आपसी टकराव इतना रहता है कि एकता की भावना धुंधली पड़ जाती है। वर्गीय एकता की जरूरत को देखते हुए हमारी यूनियनों को इस प्रकार की आपसी स्पर्धा व बैर से दूर रहना चाहिए। सुधारवादी यूनियनों को बेनकाब करने का तरीका है आम मजदूरों में सही वर्गीय दृष्टिकोण को विकसित करवाना और इस आधार पर उन्हें लामबंद करना न कि अन्य यूनियनों के बारे में गाली गलौच करना। यदि हम सही समझ से काम करें तो आंदोलन पटरी पर चलेगा और अन्य यूनियनें भी मजबूर होकर संयुक्त संघर्षों में शामिल होंगी। हाल ही में कोयला मजदूरों के संघर्ष से ऐसी सफल रणनीति की मिसाल मिलती है जिसमें सीआइटीयू ने अपने को अलग और बेहतर भी दिखाया और एकता भी बनाई। दूसरा उदाहरण 30–31 अक्टूबर 2009 को स्टील की सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों में सीआइटीयू के आह्वान पर हुई हड़ताल है। अन्य यूनियनों ने प्रबंधन का समर्थन किया था और सीआइटीयू ने अकेले ही प्रचार अभियान चला कर तमाम मजदूरों को संघर्ष व हड़ताल के झण्डे तले खींच लिया।

यहां हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम वर्गीय एकता की बात करते है तो इसका मतलब यह नहीं कि विभिन्न ट्रेड यूनियनों के नेता

ऊपर से एक जो जाएं जबकि नीचे सम्बद्ध यूनियनें बिखरी हुई हों। एकता सिर्फ एकता के वास्ते नहीं है बल्कि वर्गीय दृष्टिकोण के आधार पर एकजुट कार्यवाही के लिए है। तमाम मजदूरों को छूने वाले स्वतंत्र अभियान चला कर यह एकता नीचे से पैदा की जानी चाहिए। इसी प्रकार हम कार्यस्थल पर संपूर्ण एकता बनाने और 'एक उद्योग एक यूनियन' का लक्ष्य हासिल करने की ओर आगे बढ़ेगें।

इस कठिन जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमारे संगठन को हर स्तर पर मजदूर वर्ग की भूमिका पर वर्गीय दृष्टिकोण से लैस क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन की संगठनात्मक कार्य शैली की वैचारिक समझ से लैस होना पड़ेगा। पूरे मजदूर वर्ग को अपनी पहल के दायरे में लाने का निश्चय क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन द्वारा अपनाई जाने वाली जनवादी कार्यप्रणाली की अहमियत को समझने से उत्पन्न होता है। ऐसी कोई भी पहल जो तमाम आम मजदूरों तक नहीं पहुंचती, संगठन को व्यक्ति आधारित चार दीवारी में कैद कर देगी और पूरे वर्ग की एकता में बाधा बन जाएगी। हमारा अनुभव बताता है कि हम सामुहिक तौर पर ऐसी समझ से बहुत दूर हैं, जहां तक मुद्दों की प्राथमिकता तय करने और संगठनात्मक कार्य प्रणाली का सवाल है।

ट्रेड यूनियनों का परिसंघ

ट्रेड यूनियनों के संयुक्त संघर्षों से बनी एकता को और मजबूत बनाने के लिए सीआइटीयू का घोषित लक्ष्य है कि यूनियनों का एक परिसंघ बनाया जाए। इस संदर्भ में हमें यूनियनों के संयुक्त संघर्षों व उससे जुड़े मुद्दों का विश्लेषण करना चाहिए। राजनीतिक परिदृश्य में दलों के विखराव की पृष्ठभूमि में ट्रेड यूनियनों की संख्या पहले से भी ज्यादा होती जा रही है। ऐसे में एक परिसंघ होता तो कार्यस्थल और राष्ट्रीय स्तरों पर मजदूरों की घटती सौदेबाजी की क्षमता की समस्या का कारगर हल निकल आता। मगर विभिन्न ट्रेड यूनियनों में इस मुद्दे पर मतभेद हैं और कुछ यूनियनें विलय की माग उठा कर परिसंघ के सुझाव को खारिज कर देती है। अतः ऐसा परिसंघ निकट भविष्य में बनता दिखाई नहीं दे रहा। मगर संयुक्त संघर्षों से बनी एकता को और मजबूत बनाने के लिए इस लक्ष्य को पाना बहुत जरूरी है। आम मुद्दों पर ट्रेड यूनियनों की संयुक्त संघर्ष के लिए लगातार जारी

कबायद और मजदूरों के मुद्दों पर उनकी एकता बढ़ाने से इस दिशा में आने वाले दिनों में काफी प्रगति हो सकती है।

दूसरा आयाम

दूसरा, उतना ही जरूरी पहलू है, कार्यस्थल से लेकर संपूर्ण अर्थ तंत्र में काम के जो अलग–अलग हालात पैदा हो गए हैं उनसे उत्पन्न मजदूरों में अंतर की समस्या का हल ढूंढना। इसका कार्यस्थल के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी सामना करना होगा। यह ध्यान रहे मजदूर वर्ग के भीतर इस प्रकार का अंतर शासक वर्ग द्वारा इसीलिए पैदा किया जाता है ताकि मजदूरों को बांटकर और ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके।

असंगठित क्षेत्र में इतनी बढ़ोतरी हो गई है कि शासक वर्ग अब उसमें कार्यरत विशाल श्रमिक शक्ति को संगठित क्षेत्र के आंदोलन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। अधिकारों व सुरक्षा से वंचित असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की विशाल सेना शासक वर्ग ने ही पैदा की है ताकि पूंजीपति वर्ग शोषण तेज करे और अपना मुनाफा बढ़ाए। संगठित ट्रेड यूनियन आंदोलन के खिलाफ वे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और यह तर्क दे रहे हैं कि मौजूदा श्रम कानूनों की जरूरत ही नहीं है क्योंकि असंगठित क्षेत्र (जहां देश के 94 प्रतिशत मजदूर काम करते हैं) पर यह कानून तो लागू ही नहीं होते। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित करके मजदूर आंदोलन की मुख्य धारा में शामिल करना हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण कार्यभार है। सीआइटीयू इस दिशा में पहले ही कार्यरत है। असंगठित क्षेत्र में हमारे काम पर विस्तृत चर्चा अलग से इस कमिशन में की जा रही है।

नियमित बनाम ठेका/आउटसोर्सड/अप्रत्यक्ष मजदूर

सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है हर दिन कार्यस्थल/उद्योग के स्तर पर काम की शर्तों में विविधता और अंतर पूरे वर्ग की एकता मजबूत करने के काम के साथ –साथ ही इस मुद्दे के साथ निपटना पड़ेगा। उत्पादन व सेवाओं के क्षेत्रों में ठेका प्रणाली, दिहाड़ी या अनियमित काम तथा काम को बाहर से करवाने के बढ़ते रुझान से संगठित क्षेत्र के अधिकांश कार्य स्थलों में काम की शर्तों में बदलाव आते जा रहे हैं। ऐसे हालात बन गए हैं कि एक ही छत के नीचे, उसी काम को दो प्रकार के मजदूर कर रहे हैं जिनकी अलग–अलग सेवा शर्तें है। ठेका तथा आउटसोर्स्ड

मजदूरों को नियमित मजदूरों की तुलना में वेतन का दसवां हिस्सा दिया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में कुल मजदूरों का 50 प्रतिशत हिस्सा ठेका मजदूरों का हो चुका है जबकि संगठित क्षेत्र की निजी इकाइयों में तो अधिकांश मजदूर विभिन्न ठेकेदारों के तहत काम करते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी की छत्र छाया में चल रहे नव–उदारवादी तंत्र में ऐसा होना अनिवार्य था। इस तंत्र ने देशी विदेशी बड़े व्यावसायिक घरानों के नियंत्रण में अपार दौलत, उत्पादन क्षमता और पूंजी एकत्रित कर दी है। उनकी कार्य प्रणाली में भी बदलाव आया है। रोजगार के रिश्ते विकेन्द्रित और अप्रत्यक्ष हो गए हैं। संगठित क्षेत्र के नियोजकों के चंगुल में श्रम बल की एक विशाल सेना है जिसके काम के हालात असंगठित क्षेत्र जैसे हैं। इससे श्रम की लागत तेजी से घट गई है और अतिरिक्त मूल्य का दोहन आसमान छू रहा है।

संगठित क्षेत्र की हमारी यूनियनें रोजगार के स्वरूप में आए इस भारी बदलाव की अहमियत और उसके परिणामों को पूरी तरह से माप नहीं पाई है जहां एक ही उद्योग/इकाई में दो तरह के मजदूर काम करते हों और उनमें से एक प्रकार के मजदूर दूसरों से वेतन आदि में बहुत पीछे हों। ठेका मजदूरों/दिहाड़ी मजदूरों या आउट सोर्सड मजदूरों को हम संगठित क्षेत्र के आंदोलन के भीतर संगठित नहीं कर पाए और न ही उनके संघर्ष को तमाम नियमित मजदूरों के संघर्ष की मुख्यधारा में शामिल कर पाए हैं। नतीजा यह हुआ कि संगठित क्षेत्र में हमारी ताकत घटती चली गई है चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र। कई जगहों पर नियमित मजदूरों के आंदोलनों ने ठेका मजदूरों की मांगों को उठाने में हिचकिचाहट दिखाई है जबकि कई अन्य स्थानों में नियोजकों ने मजदूरों के दोनों हिस्सों में 'हित का टकराव' दिखा कर उन्हें विभाजित कर दिया है। खेद की बात है कि कई यूनियनें,शासक वर्ग की ऐसी साजिशों का आसानी से शिकार बन गई हैं। ठेका मजदूरों को अधिकतर स्थानों में संगठित करने में हमारी नाकामयाबी, नियमित मजदूरों की यूनियन द्वारा ठेका मजदूरों की मांगों पर संघर्ष करने में हमारी नाकामयाबी–इस सबका नतीजा यही हुआ कि संगठित क्षेत्र में हमारी सदस्यता व मारक क्षमता में भारी गिरावट आई है जो कि बहुत चिन्ता का विषय है। इस कमजोरी के कारण राजनीतिक स्तर पर नीतिगत मुद्दों पर हस्तक्षेप करने की हमारी क्षमता में भी कमी आई है।

पूरे वर्ग की एकता बनाने की बात हम कैसे सोच सकते हैं जब तक नियोजकों व शासक वर्ग के इस विभाजनकारी हथकंडे को हम शिकस्त न दें? अर्थ तंत्र के सभी महत्वपूर्ण व संवेदनशील क्षेत्रों, जैसे बिजली, तेल, परिवहन, बन्दरगाह व गोदी, स्टील, कोयला, खदान आदि में यह दो फाड़ दिखाई दे रही है। इस समस्या से मुकाबला करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। ठेका मजदूरों तथा तमाम अप्रत्यक्ष मजदूरों को संगठित करना होगा और यह काम सम्बद्ध क्षेत्र के नियमित मजदूरों के आंदोलन को ही करना पड़ेगा। यदि संगठित क्षेत्र के हमारे आंदोलन व संगठन को हमें बचाना है तो हमें कहीं ज्यादा गंभीरता से ठेका मजदूरों को श्रमिक आंदोलन की मुख्य धारा में जोड़ना होगा।

पिछले एक दशक से सीआइटीयू के हर सम्मेलन व कमेटी बैठक में इस बात पर जोर दिया गया है। मगर ठेका मजदूरों को संगठित क्षेत्र के आंदोलन में लाने के काम में खास प्रगति नहीं हुई है। इसका कारण है हमारी विचारधारा और काम में फर्क जिसके कारण हम हमेशा ही स्वार्थी अर्थ वाद के शिकार बने रहते हैं। इस मामले को सुलझाने के लिए हमें अपनी असफलता का गंभीरता से विश्लेषण करना चाहिए। कुछ अपवादों को छोड़ कर संगठित क्षेत्र की अधिकांश यूनियनों के स्वरूप और काम की गुणवत्ता में इसके कारण छुपे हैं। काम करने के तरीके से इस बात का पता चलता है कि नेतश्त्व में सीआइटीयू की उस दशष्टि के बारे में क्या समझ है। जो संविधान में दर्ज है और जिसका जिक्र इस दस्तावेज के शुरू में किया गया है–अर्थात् मजदूर वर्ग की भूमिका और समाज को बदलने का उसका लक्ष्य। मजदूर आन्दोलन कैसे तमाम जनवादी जनता को लामबंद करके "मौजूदा पूंजीवादी–सामंती निजाम को बदलने" का काम कर पाएगा यदि वह अपनी एकता ही नहीं बना पाता!

कार्यस्थल पर रोजगार संबंधों को अप्रत्यक्ष बनाने के पूंजीवादी हथकंडे से मुकाबला में हमारी असफलता से यही पता चल रहा है कि संगठित क्षेत्र के मजदूर आंदोलन का एक हिस्सा पूंजीपतियों की उस साजिश में फंस गया है जो मजदूर वर्ग को विभाजित रखना चाहती है। वे इसलिए फंस गए हैं क्योंकि वर्गीय संगठन में जनवादी कार्य प्रणाली की सच्ची भावना को समझ नहीं पाए हैं जिसके फलस्वरूप संगठन में काम काज व्यक्ति आधारित और अर्थ वादी पिंजरे में कैद हो गया है। जबकि होना उसे सामुहिक था। व्यक्ति–आधारित नेतृत्व इतना अंधा हो चुका है कि वे नियमित मजदूरों के एक छोटे से तबके के लिए कुछ

फौरी और भ्रामक रिआयतें हासिल करने की स्वार्थी कवायद में लीन रहते हैं जबकि उनके चारों ओर अनियमित व अप्रत्यक्ष मजदूरों का सैलाब इकट्ठा है जो उनकी नौकरियां भी खतरे में डाल देगा और उन्हें निरर्थक बना डालेगा।

यह असफलता संगठित क्षेत्र की यूनियनों के नेतश्त्व के एक बड़े हिस्से में विचारधारा के पतन की निशानी है। ठेका मजदूरों को संगठित न कर पाने और उन्हें नियमित मजदूरों की मुख्य धारा में शामिल न करने से पूंजीवादी व्यवस्था के हमले का मुकाबला करने की मजदूर वर्ग की क्षमता का ही ह्रास हो रहा है। इसी पतन के चलते कई जहरीले रुझान भी ट्रेड यूनियन आंदोलन में पनप रहे हैं जैसे भ्रष्टाचार और नियोजकों से सिद्धांतहीन समझौते आदि।

हमें इस असफलता को खत्म करना होगा। इसके लिए पूरे संगठन व हर स्तर पर नेतृत्व को वर्गीय दृष्टिकोण से पुनः लैस करना होगा। एक क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन की भूमिका को समझने के लिए गहरा वैचारिक मंथन जरूरी है ताकि काम करने का तरीका बदले और शोषण के खिलाफ मजदूर वर्ग की विस्तश्त एकता बनाई जा सके।

विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ संघर्ष

वर्गीय एकता बनाने के प्रयासों में हमें तमाम तरह की विभाजन कारी ताकतों से लोहा लेने के लिए हर स्तर पर संगठन की क्षमता व चेतना बनानी पड़ेगी। ये ताकतें वर्ग विभाजित समाज में हर दिन पैदा हो रही है।

अस्सी के दशक के अंत से उभरी साम्प्रदायिक व विभाजनकारी ताकतों ने मजदूर वर्ग और मेहनतकश जनता को एकजुट करने के हमारे प्रयासों के सामने गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। संघ–भाजपा गठजोड़ के नेतश्त्व में साम्प्रदायिक ताकतें सक्रिय रूप से अपना साम्प्रदायिक एजेन्डा लागू कर रही है और हाल की उनकी चुनावी हार तथा उनकी अंदरूनी कलह ने इसे और भी तेज बना दिया है।

यह चिंता का विषय है कि इस साम्प्रदायिक विचारधारा ने मजदूर वर्ग की कतारों में घुसपैठ कर ली है और उसका मुकाबला करने में हमारी कमजोरी रही है। अन्य जन संगठनों के साथ मिल कर ट्रेड यूनियन आंदोलन ने समय–समय पर साम्प्रदायिकता के खिलाफ अभियान छेड़े हैं। मगर ये पूरी तरह से नाकाफी रहे हैं–हिस्सेदारी नियमितता या लगातार चलने के लिहाज से। इस कमजोरी को खत्म करना होगा

और संगठन के हर स्तर पर सचेत स्वतंत्र पहल करके इन ताकतों को बेनकाब करना होगा ताकि मजदूर वर्ग की एकता बनी रहे।

जनवादी का खतरा भी गंभीर चिंता का विषय है। इससे पैदा होने वाली समस्याओं ने मजदूर वर्ग की एकता के सामने गंभीर चुनौतियां पेश की हैं और ट्रेड यूनियन आंदोलन को कमजोर बनाया है। यह समस्या पुराने सामंती सामाजिक–आर्थिक तंत्र की देन है। उसमें जाति प्रथा तथा उससे सम्बन्धित सामाजिक उत्पीड़न को बनाए रखा है। इसी लिए आज भी पूंजीवादी विकास से उत्पन्न आधुनिकता के साथ साथ जाति उत्पीड़न के सबसे गंदे रूप जिन्दा हैं। मगर अस्सी के दशक के अंत से दबे–कुचले तबकों तथा शोषित जातियों द्वारा अपने जायज हक मांगने का रूझान बढ़ता गया है। इसकी झलक सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में देखने को मिलती है। यह एक सकारात्मक बात है और इसमें निहित जनवादी तत्व को बढ़ावा देकर शोषण व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष की मुख्य धारा में उसे एकीकृत किया जाना चाहिए।

'वोट बैंक' राजनीतिक से प्रेरित कई ताकतें, सामाजिक उत्पीड़न व अन्याय के खिलाफ इस बढ़ती आवाज को जाति –विशेष के दायरों में बांध कर रखना चाहती हैं ताकि जाति आधारित ध्रुवीकरण पैदा हो। इसका लक्ष्य पीड़ित तबकों को उस जनवादी संघर्ष से दूर रखना है जो उत्पीड़न व अन्याय की जड़ उखाड़ना चाहता है। इसका असर ट्रेड यूनियन आंदोलन पर भी भारी पैमाने पर देखने को मिल रहा है, खास तौर पर उन क्षेत्रों में जहां जनवादी आंदोलन कमजोर है। मजदूर आंदोलन के सामने यह जिम्मेदारी है कि पीड़ित तबकों के बीच बढ़ती न्याय की आवाज को वर्ग–चेतना की ओर ले जाने के सचेत व सतत प्रयास किए जाएं। इसका मतलब यह है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन को सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व करने के काम को पूरी प्राथमिकता देनी पड़ेगी।

सीआइटीयू के दसवें सम्मेलन में पारित नीतिगत दस्तावेज में इस जिम्मेदारी को साफ तौर पर दर्ज किया गया था। वहां लिखा गया था कि *''जातिवादी विचारधारा, और साथ–साथ, जाति आधारित विभाजन की निरर्थकता को बेनकाब करते हुए, मजदूर वर्ग के आंदोलन को पूरी गम्भीरता से अपने वर्गीय मंच से हर तरह के सामाजिक उत्पीड़न और अत्याचार से पीड़ित व दमित जनता पर हर*

तरह के भेदभाव के खिलाफ संघर्ष छेड़ना होगा। उत्पीडित जनता को वर्ग संघर्ष में शामिल करने के लिए जाति आधारित संगठनों से मुक्त कराने के लिए, हमारे वर्गीय मंच को उत्पीड़ित जनता के असली संरक्षक के तौर पर अपने को स्थापित करना होगा।''

गम्भीर आर्थिक संकट के चलते, देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग–अलग तरीके से कई संकीर्णतावादी ताकतें सिर उठा रही हैं। बिहार से परीक्षा या इन्टरव्यू देने गए लोगों पर महाराष्ट्र व असम में हमले, बंगाली भाषी प्रवासी और मजदूरों पर महाराष्ट्र व राजस्थान में हमले और हाल में मराठी–संकीर्णतावादी ताकतों द्वारा महाराष्ट्र के कई हिस्सों में हिंसा इसी रूझान के चिह्न हैं। ये घटनाएं जनता की एकता तोड़ती हैं और मजदूर आंदोलन के सामने बड़ी चुनौती है।

इस संदर्भ में आर्थिक नीतियों के सवाल पर साम्राज्यवाद के खिलाफ मजदूर संघर्षों व जुझारू वर्गीय आंदोलनों को तेज करने का काम पूरी गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। साथ–साथ हमें साम्प्रदायिक जातिवादी तथा संकीर्णतावादी ताकतों के खिलाफ संगठनात्मक व वैचारिक स्तरों पर सचेत पहल भी करनी होगी। ये दोनों संघर्ष साथ–साथ चलाने चाहिए ताकि वर्गीय एकता को संघर्षों के द्वारा मजबूत किया जाए। वर्ग संघर्ष तेज करके ही वर्गीय एकता मजबूत होगी और विभाजनकारी ताकतें हारेंगी। साम्प्रदायिक व विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ संघर्ष मजदूर वर्ग के संघर्ष का अभिन्न अंग है।

निष्कर्ष

अंत में राजनीतिक आर्थिक दायरों में ताकतों का संतुलन दक्षिणपंथी दिशा में झुक रहा है। इसका मुकाबला दृढ़ और जोशिले तरीके से एकजुट मजदूर वर्ग के आंदोलन द्वारा ही हो सकता है। ट्रेड यूनियनों के संयुक्त संघर्षों से जन्मी मजदूर वर्ग की एकता को और भी विस्तृत व मजबूत करने की जरूरत है ताकि बदली हुई परिस्थितियों में सामने आई चुनौतियों का सामना किया जा सके।

संयुक्त संघर्षों के चार दशक लम्बे अनुभव का यही सबक है कि विभिन्न ट्रेड यूनियनों के नेतृत्व के स्तर पर एकता बनाने से काम नहीं चलता। उसके साथ–साथ जमीनी स्तर पर मजदूरों की एकता व

हिस्सेदारी बननी चाहिए जो उन तबकों तक भी पहुंचे जो आज संयुक्त आंदोलन के दायरे से बाहर हैं। यह भी जरूरी है कि आंदोलन में ज्यादा विकसित चेतना बने ताकि आर्थिक व राजनीतिक मोर्चों पर साम्राज्यवाद निर्देशित नव–उदारवादी तंत्र को पलटने के लिए आक्रमणकारी संघर्ष छेड़ा जा सके।

ऐसी एकता व चेतना बनाने के लिए सीआइटीयू को ही पहल करनी पड़ेगी। इस कठिन काम के लिए हर स्तर पर हमें संगठनात्मक व वैचारिक तौर से लैस होना पड़ेगा। हर स्तर पर संगठन को नये सिरे से तैयार करना होगा कि वह कार्यस्थल के स्तर तक इसके लिए जबरदस्त पहल करे और मजदूर वर्ग के सामने खड़े मुद्दों के बारे में बेहतर चेतना और एकजुट समझ को विकसित करवा सके।

सही सच्चे मायने में काम करने के तरीके को जनवादी बनाए ताकि अफसरशाही तौर–तरीके व स्वामी–दास जैसे सम्बन्ध खत्म हों, और मजदूर वर्ग को आंदोलन के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर शामिल किए बिना, यह सब नहीं सकता। अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए हमें ठोस कदम उठाने होंगे।

ट्रेड यूनियन के काम काज और सीआइटीयू संविधान में दर्ज वैचारिक दृष्टिकोण के बीच जो खाई नजर आ रही है उसे भी पाटना पड़ेगा। यह खाई इस बात में साफ झलकती है कि जमीनी स्तर पर हम बृहत स्तर की एकता नहीं बना पाए हैं और भेदभावपूर्ण काम की शर्तें थोप कर नियोजकों ने मजदूरों के बीच जो दरारे पैदा की हैं उन्हें पाट नहीं सके हैं। ट्रेड यूनियनों के रोजमर्रा के काम को जनता के मुद्दों के आंदोलन के पीछे आम जनता को लामबंद किया जा सके।

आने वाले संघर्षों में वर्गीय हिस्सेदारी बनाने के लिए यह भी जरूरी है कि जनता के बीच वैचारिक काम करके वर्गीय विचारधारा की गहरी जड़े फैलाई जाएं। साथ ही यह भी जरूरी है कि साम्प्रदायिकता, जातिवाद तथा संकीर्णतावाद जैसी विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ सतत वैचारिक संघर्ष किया जाए।

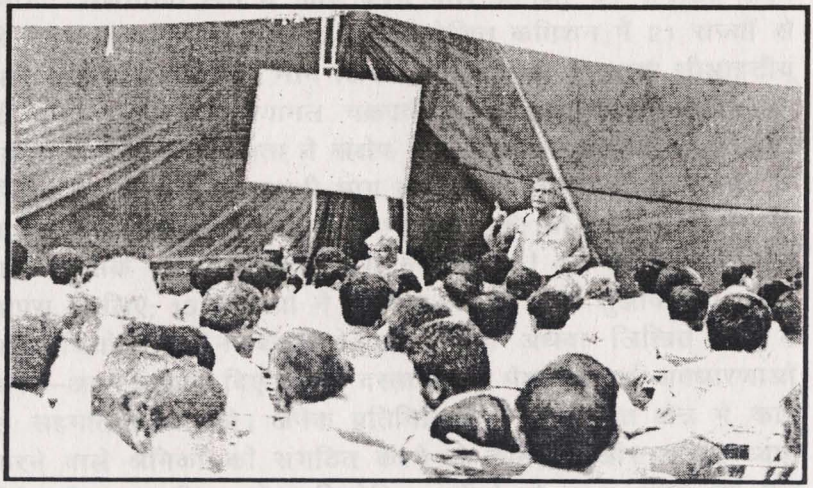

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संगठित करने की चुनौतियां

(नोटः "असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को संगठित करने के काम की चुनौतियां" विषय पर आयोजित कमिशन में 21 राज्यों से आए 463 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कमिशन की अध्यक्षता सीआइटीयू के उपाध्यक्ष कामरेड श्यामल चक्रवर्ती ने की जबकि सीआइटीयू की सचिव कामरेड के हेमलता ने संक्षेप में कमिशन की रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट पर बहस में 60 साथी भाग लेना चाहते थे किन्तु समयाभाव के कारण केवल 39 साथी ही बहस में भाग ले सके; जो साथी बहस में भाग नहीं ले सके उन्होंने सहयोग पूर्ण रुख अपनाते हुए अपने–अपने नाम वापस ले लिए; 15 साथियों ने लिखित रूप में अपने सुझाव दिए। सभी प्रतिनिधियों जिन्होंने बहस में भाग लिया अथवा लिखित रूप में अपने–अपने सुझाव दिए थे, ने दस्तावेज में पेश की गई अवधारणाओं से सहमति व्यक्त की। अनेक प्रतिनिधियों ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को संगठित करने के काम पर और अधिक ध्यान देने और इस दिशा में सुनियोजित तरीके से काम करने पर बल दिया।)

सीआइटीयू के संविधान में इसके उद्देश्यों और लक्ष्यों का वर्णन करते हुए कहा गया है, "सीआइटीयू का विश्वास है कि उत्पादन के सभी साधनों, वितरण एवं विनिमय के सभी साधनों के समाजीकरण तथा समाजवादी समाज की स्थापना के द्वारा ही मजदूर वर्ग के शोषण का अंत किया जा सकता है।" सीआइटीयू का यह विश्वास भी है कि श्रमिक वर्ग जो न केवल एकजुट है बल्कि शोषण की समाप्ति में अपनी ऐतिहासिक भूमिका के प्रति जागरूक भी है, के नेतृत्व में चलाए जाने वाले संघर्षों के माध्यम से ही इस लक्ष्य हो हासिल किया जा सकता है।

इसलिए, श्रमिक वर्ग – वह चाहे संगठित क्षेत्र में काम करता हो या असंगठित क्षेत्र –को संगठित एवं एकजुट करने और उसे उसकी भूमिका के बारे में जागरूक बनाना सीआइटीयू का महत्वपूर्ण काम है।

पिछले दो दशकों के दौरान भूमण्डलीयकरण, उदारीकरण तथा निजीकरण की विश्व बैंक निदेशित नीतियों के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के अनुपात में असाधारण वशद्धि हुई है – असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों और उनके साथ–साथ संगठित क्षेत्र में काम करने वाले वे श्रमिक जिन्हें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम की परिभाषा के अनुसार विभिन्न श्रम कानूनों के दायरे में नहीं लाया गया, भी इसी श्रेणी में शामिल हैं। एक अनुमान के अनुसार यदि एक उपक्रम में काम करने

वाले श्रमिकों जो ईपीएफ तथा ईएसआइ के दायरे में आते हैं, की संख्या को 20 से कम करके 10 कर दिया जाए तो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का अनुपात 80 प्रतिशत से भी कम हो जाएगा जो इस समय 93 प्रतिशत से अधिक हैं।

किन्तु सरकार श्रमिकों की विशाल श्रेणियों के लिए श्रम कानूनों के कार्यान्वयन को यकीनी बनाने से इन्कार कर रही है। इसकी बजाए सरकार खुद अनुबंध अथवा ठेका, नैमित्तिक (casual) तथा अस्थायी, सावधि, समाहित (consolidated) वेतन इत्यादि के आधार पर लाखों श्रमिकों को काम पर रख रही है और उन्हें नियमित कर्मचारियों को मिलने वाले सेवा लाभ देने से इन्कार कर रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उपक्रमों में ठेका मजदूरों की संख्या स्थायी श्रमिकों से अधिक है। अनेक राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार के विभागों में लाखों श्रमिकों को स्थायी प्रकृति के रोजगारों में भी अनुबंध अथवा ठेके के आधार पर भर्ती किया गया है।

एनएसएसओ (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन) सर्वेक्षण के अनुसार असंगठित क्षेत्र में 43.3 करोड़ श्रमिक काम करते हैं और इनमें से 16.4 गैर कृषि अथवा खेत मजदूर हैं जो गृह आधारित उद्योग धंधों के साथ–साथ निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार तथा परिवहन, संचार तथा सेवाओं में लगे हुए हैं।

इस क्षेत्र की व्यापकता, इसमें काम करने वाले श्रमिकों की विराट संख्या और अर्थव्यवस्था में इसके योगदान के चलते असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को संगठित करने का काम बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि जुझारू संघर्ष चलाने के लिए श्रमिक वर्ग को एकजुट किया जा सके। ऐसा करने से ही सरकार की नीतियों पर प्रभाव डाला जा सकेगा।

क्योंकि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर विभिन्न उद्योगों, कारोबारों, सेक्टर्स इत्यादि में काम करते हैं इसलिए उनका काम भी भिन्न–भिन्न प्रकार का होता है। जहां उदारीकरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कम कुशल तथा शारीरिक काम करने वाले लाखों मजदूरों का रोजगार प्रभावित हुआ है वहीं अत्यंत कुशल तथा शिक्षित मजदूरों को संगठित क्षेत्र में अनौपचारिक रोजगार सम्बन्धों में रखा जा रहा है और उनसे ठेका मजदूरों, प्रशिक्षुओं तथा काम सीखने वाले श्रमिकों के रूप में काम लिया जा रहा है। असंगठित क्षेत्र में इन तथाकथित 'ज्ञानी मजदूरों' को साधारण अकुशल श्रमिकों से बेहतर वेतन मिलता है किन्तु उनका भी बुरी तरह

शोषण किया जाता है। उनकी सेवाओं से सेवा योजक भारी भरकम लाभ तो कमाते हैं पर उन्हें न रोजगार सुरक्षा हासिल होती है और न ही उन्हें सामाजिक सुरक्षा के लाभ दिए जाते हैं। निजी संगठित क्षेत्र में श्रम शक्ति का विशाल बहुमत ठेका मजदूरों के रूप में काम कर रहा है।

कृषि तथा कृषि क्षेत्र में रोजगार अवसरों के बढ़ते अभाव के कारण ग्रामीण श्रम शक्ति की विशाल श्रेणियां गैर कृषि धंधों में लगने अथवा काम की तलाश में शहरी क्षेत्रों का रुख करने के लिए मजबूर हुई हैं। ग्रामीण मजदूरों की बड़ी संख्या शहरों या दूसरे राज्यों में असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए पलायन करने पर मजबूर हुई है। वे दूसरी जगहों पर जाकर निर्माण श्रमिकों, ईंट भट्ठा मजदूरों, रिक्शा तथा आटो रिक्शा चालकों इत्यादि के रूप में काम करते हैं। एक अनुमान के अनुसार देश में लाखों मजदूरों की ओर से दूसरे स्थानों में पलायन किया गया है। प्रवासी मजदूर विशेष तौर पर महिलाएं सबसे अधिक शोषित होती हैं क्योंकि वह पहले से खस्ता हाल में होते हैं। प्रवासी मजदूरों को संगठित करना बेहद मुश्किल होता है और जहां कहीं भी प्रवासी मजदूर संघर्ष के पथ पर अग्रसर होते हैं वहीं आम तौर पर सेवायोजक स्थानीय लोगों को प्रवासी मजदूरों के खिलाफ भड़का देते हैं। पलायन के कारणों, इसके दुष्प्रभावों तथा प्रवासी मजदूरों को संगठित करने के लिए कौन सी विधियां अपनाई जाएं, को समझने के लिए इस पूरे घटनाक्रम का गहरा अध्ययन करना चाहिए। प्रवासी मजदूरों को संगठित करने वाले स्थानीय कार्यकर्ताओं को उनकी संस्कृति तथा भाषा इत्यादि को भी समझने का प्रयास करना चाहिए।

साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण के युग में असंगठित अथवा संगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित करना बेहद कठिन हो गया है। सोवियत संघ के विघटन और पूर्वी युरोप में समाजवाद को लगे धक्कों, साम्राज्यवाद के बढ़ते हमलों और हमारे देश के सत्ताधारी श्रेणियों की साम्राज्यवाद निदेशित नीतियों के प्रति बढ़ती वफादारी, मजदूरों के अधिकारों जिनमें संगठित होने का उनका अधिकार भी शामिल है, पर हमलों में बढ़ोतरी हुई है। सेवा योजक अधिकाधिक असहनीय होते चले जा रहे हैं और वे यूनियनों के गठन को भी सहन नहीं पर रहे।

रोजगार सुरक्षा का अभाव, लम्बे कामकाजी घण्टे, बिखरे कामकाजी स्थल, संगठन के बारे में श्रमिकों के बीच जागरूकता का अभाव, सेवा योजकों की पहचान के अभाव, सेवा योजक के मुखौटे में काम कराने वाले महानुभावों और कर्मचारियों के बीच सम्बन्ध, काम की स्वः रोजगार

वाली प्रकृति इत्यादि इन श्रमिकों को संगठित करने की कठिनाईयों को बढ़ा रही हैं। हमारे सामने यह एक गम्भीर चुनौती है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को संगठित करने की कोशिशें करते समय हमें इसका सामना करना पड़ रहा है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर यदि यूनियन बनाने की कोशिश करते हैं तो भी उनके खिलाफ प्रतिशोध की कार्रवाईयां की जाती हैं। संगठित निजी क्षेत्र में भी इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को इन स्थितियों में काम करने का प्रशिक्षण देना और उन्हें पूरी तरह ज्ञानवान बनाना जरूरी है।

तथापि राष्ट्रीय स्तर पर और इसके साथ–साथ अनेक राज्यों में हमारा अनुभव दर्शाता है कि जागरूक और लगातार कोशिशें करने और समुचित योजना बना कर काम करके हमारे लिए इन कठिनाईयों पर काबू पाना सम्भव हो सकता है और इस तरह हम संगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को श्रमिक आंदोलन की पंक्तियों में ला सकते हैं।

पिछले लगभग बीस वर्षों में सीआइटीयू द्वारा की गई कोशिशों के फलस्वरूप इस श्रेणी के श्रमिकों के बीच कुछ प्रगति हुई है। वर्तमान में, सीआइटीयू की 60 प्रतिशत सदस्य संख्या असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की है। असंगठित क्षेत्र में वर्ष 2005 के बाद 2008 तक सीआइटीयू की सदस्य संख्या में लगभग 27.81 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। यह पूरी की पूरी बढोतरी इसी असंगठित क्षेत्र की देन है।

किन्तु यदि हम इस क्षेत्र की व्यापकता तथा इसमें काम करने वाले श्रमिकों की विराट संख्या को देखें तो उसकी तुलना में असंगठित क्षेत्र में हमारी उपस्थिति ज्यादा महत्व नहीं रखती। गैर कृषि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 16.4 करोड़ श्रमिकों में से सीआइटीयू की सदस्य संख्या केवल लगभग 30–35 लाख है। एक बार फिर कहेंगे कि यह सदस्य संख्या प्रमुख तौर पर बीड़ी, निजी परिवहन, निर्माण, बगीचा उद्योग, आंगनवाड़ी कर्मचारियों तथा कुछेक दूसरे व्यवसायों में काम करनेय वाले श्रमिको के बीच है। यहां तक कि कुछेक सेक्टर्स/उद्योगों जहां हम अपेक्षाकृत मजबूत हैं, श्रमिकां की विशाल संख्या अब भी हमारे संगठनात्मक ढांचे से बाहर है।

राष्ट्रीय स्तर पर हमने ऑल इंडिया बीड़ी वर्कर्स फैडरेशन, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फैडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया फैडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हैल्पर्स, ऑल इंडिया फिशर्स एण्ड फिशरीज़ वर्कर्स फैडरेशन इत्यादि का गठन किया है और ये फैडरेशनें पिछले

कुछ समय से काम कर रही हैं। इनमें से कुछेक फैडरेशनों का गठन करने के बाद निश्चित रूप से हमें श्रमिकों की इस श्रेणियों को संगठित करने की अपनी कोशिशों के फलस्वरूप इस दिशा में कुछ प्रगति की है। इस पर भी इन सेक्टरों में श्रमिकों की अत्यंत विशाल संख्या की तुलना में हम अभी तक एक सामान्य ताकत बने हुए हैं; अनेक राज्यों में हमने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है।

उदाहरणार्थ ऑल इंडिया बीड़ी वर्कर्स फैडरेशन की सदस्य संख्या मात्र लगभग 3 लाख है जबकि देश में बीड़ी श्रमिकों की संख्या ही 50 लाख से अधिक है; मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र जैसे राज्यों जहां बीड़ी मजदूरों की बड़ी संख्या केन्द्रित है, में हमारी उपस्थिति नाम मात्र की है; यहां तक कि उन राज्यों जहां हमारी स्थिति मजबूत है, हमारी सदस्य संख्या कुल श्रम शक्ति के 15 प्रतिशत भाग से भी कम है। हमारी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फैडरेशन ऑफ इंडिया की सदस्य संख्या लगभग 9.75 लाख है जबकि निर्माण क्षेत्र में कुल 2.6 करोड़ श्रमिक काम करते हैं।

तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र जैसी कुछ राज्य समितियों ने निर्माण श्रमिकों के नाम कल्याण कोष में दर्ज कराने और उन्हें यूनियन में लाने के लिए कुछ प्रयास किए हैं जिससे यूनियन की सदस्य संख्या बढाने में सहायता मिली है। किन्तु इस तरह के सुनियोजित प्रयास हमने अधिकांश राज्यों में नहीं किए हैं। यद्यपि आंगनवाड़ी कर्मचारियों के बीच हमारी उपस्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है और कुल 20 लाख के आस पास कर्मचारियों की कुल संख्या में हमारी सदस्य संख्या लगभग 3.87 लाख है। इस पर भी हम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे कुछ राज्यों जहां देश के कुल आंगनवाड़ी कर्मचारियों की लगभग आधी संख्या रहती और काम करती है, में हमारी नाम मात्र उपस्थिति है।

देश में 75 लाख से अधिक मछुआरे तथा मत्स्य उद्योग में श्रमिक काम करते हैं। सरकार की ओर से विकास के नाम पर तटवर्ती क्षेत्रों में व्यावसायिक उपक्रमों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सहायता के लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं जिनके चलते विशेष तौर पर मछुआरों की आजीविका खत्म हो रही है और वे उजड़ रहे हैं। किन्तु देश में मछुआरों की एक छोटी–सी श्रेणी को संगठित कर पाए हैं। अधिकांश राज्यों में जिनमें लम्बे तटवर्ती क्षेत्र भी शामिल हैं, उन्हें संगठित करने के मामले में हमारा काम अभी शुरू ही नहीं हुआ है। ईंट भट्ठा मजदूरों जैसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की कुछ श्रेणियों के बीच हमने उनकी

मांगों को लेकर कुछ संघर्ष चलाए हैं और हरियाणा तथा पंजाब जैसे राज्यों में उनके लिए कुछ लाभ हासिल करने में हम सफल रहे हैं। किन्तु अब भी इन क्षेत्रों की व्यापक श्रेणियों के श्रमिक हमारे सगठन के घेरे से बाहर हैं। उत्तर भारत के राज्यों जहां अंतर राज्यीय मजदूरों का बड़ी संख्या में पलायन होता है, में ईंट भट्ठा मजदूरों के समन्वित आंदोलन का विकास करने से संगठन को मजबूत बनाने के साथ–साथ इन मजदूरों की सामूहिक सौदेबाजी की ताकत को भी बढ़ाने में सहायता मिल सकती है। केरल तथा कुछ दूसरे राज्यों के कुछ इलाकों में लोडिंग एवं अनलोडिंग मजदूरों के बीच हमारे मजबूत संगठन काम कर रहे हैं पर हमने वहां पर भी अधिक प्रगति नहीं की है।

शहरी क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के असंगठित मजदूरों को सफल करने में हमें विशेष सफलता नहीं मिली।

गृह आधारित काम धंधों में लगे मजदूरों के बीच हमारी उपस्थिति बेहद कम है। यद्यपि हमने 10 राज्यों में तीन हजार से अधिक मजदूरों के बीच जाकर सर्वेक्षण कराया है और शायद यह सबसे गहन सर्वेक्षणों में एक है, उन राज्यों में भी गृह आधारित उद्योग धंधों में काम पर लगे मजदूरों को संगठित करने के लिए उन सम्पर्कों का उपयोग करने के बारे में सोचा ही नहीं जो हमने सर्वेक्षण के समय बनाए थे।

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के बीच अपने आंदोलन को आगे ले जाने के लिए असंगठित मजदूरों की अखिल भारतीय समन्वय समिति ने कुछ पहलकदमियां की हैं। तथापि, सीआइटीयू केन्द्र की ओर से इस काम पर अधिक ध्यान देना होगा। बैठकों में समुचित उपस्थिति, सुनियोजित गतिविधियों तथा केन्द्रीय स्तर पर लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित बनाना आवश्यक है।

हमारी अनेक राज्य समितियां असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को संगठित करने के काम में बहुत दिलचस्पी ले रही हैं, इसमें संदेह नहीं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्यों में सीआइटीयू की राज्य समितियों की ओर से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की सांझी मांगों को लेकर जुझारू संघर्ष चलाए गए हैं जिनमें राज्य स्तरीय हड़तालें भी शामिल हैं। बड़ी संख्या में कामकाजी महिलाओं सहित लाखों मजदूरों ने इन संघर्षों में भाग लिया था। उन्होंने अनेक राज्यों में पुलिस दमन को भी झेला। इसके अलावा ईंट भट्टा, हैंडलूम, पावर लूम, चूड़ी उद्योग, कालीन, अगरबत्ती, बीड़ी, चावल मिलों, सिर पर बोझा उठाने वाले मजदूरों, ठेका मजदूरों, निर्माण श्रमिकों पत्थर खदानों में

काम करने वाले मजदूरों इत्यादि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की विभिन्न श्रेणियों में मजदूरों की मांगों को लेकर अनेक राज्य स्तरीय अभियान एवं संघर्ष चलाए गए हैं और आंगनवाड़ी कर्मचारियों, आशा, मिड-डे मील श्रमिकों, ठेके पर काम करने वाले पालिका श्रमिकों इत्यादि जैसे संगठित क्षेत्र के असंगठित श्रमिकों के बीच भी अभियान एवं संघर्ष चलाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, तामिल नाडु, कर्नाटक, हरियाणा जैसे अनेक राज्यों असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की विभिन्न श्रेणियों में समन्वित आंदोलन चालए गए हैं।

हमारा अनुभव दर्शाता है कि जहां कहीं भी विभिन्न कारोबारों/उद्योगों में काम करने वाले असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की साझी मांगों को लेकर सुनियोजित तरीके से राज्य व्यापी अभियान चलाए गए हैं, वहां मजदूरों की ओर से अच्छा प्रत्युत्तर दिया गया; उन्होंने लाखों की संख्या में उन अभियानों तथा संघर्षों में भाग लिया है। इससे सीआइटीयू के प्रभाव को बढ़ाने में सहायता मिली है और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की विशाल श्रेणियों में हमरी सदस्य संख्या बढ़ी है।

किन्तु अधिकांश राज्यों में विभिन्न उद्योगों के मजदूरों की ओर से चलाए जाने वाले सहज स्वाभाविक संघर्षों का प्रत्युत्तर देने तक ही हमारा दखल सीमित रहता है; हम सुनियोजित ढंग से प्रयास नहीं करते। अनेक राज्यों में हमारी गतिविधियों में विशेष तौर पर ढीलापन दिखाई देता है; विशेष तौर पर निचले स्तरों पर कुछ क्षेत्रों में हम शुरूआती सफलता हासिल करने के बाद हम ढीले पड़ जाते हैं। हमारी सीआइटीयू राज्य समितियां अपनी कारगुजारी पर संतुष्ट हो जाती हैं और आराम से बैठ जाती हैं। हमारा दीर्घकालिक उद्देश्य संघर्षों को तेज करने और सरकार की मजदूर वर्ग विरोधी नीतियों में बदलाव लाना के लिए मजदूर वर्ग का उपयोग करना है ताकि शोषण को समाप्त किया जा सके, पीछे छूट जाता है और या उसे पूरी तरह भुला दिया जाता है।

हमने पिछले लगभग दो दशकों में जो काम किया है और उस काम के माध्यम से हमें जो अनुभव हुए हैं, उसे देखते हुए और अपने दीर्घकालिक उद्देश्यों को आंखों से ओझल किए बिना हमें असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के बीच सीआइटीयू का प्रसार करने के लिए अपनी प्रभावी कार्य नीतियां विकसित करनी होंगी। नियमित कर्मचारियों के बीच काम करने वाली हमारी यूनियनों को संगठित क्षेत्र में काम करने वाले ठेका एवं नैमित्तिक मजदूरों को संगठित करने के

लिए पहलकदमियां करनी होंगी। इस सम्बन्ध में पहले ही अनेक ठोस फैसले किए जा चुके हैं। उनमें से कुछेक फैसलों को लागू करने पर जोर दिए जाने की जरूरत है।

>> राज्य स्तरीय अभियान –

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की साझी मांगों अर्थात् न्यूनतम वेतन, मजदूरों को श्रम कानूनों के अन्तर्गत लाना और उन्हें लागू करना, सामाजिस सुरक्षा के लाभ इत्यादि पर सघन राज्य स्तरीय अभियानों से विभिन्न क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सीआइटीयू की ओर खीचने में सहायता मिलेगी, इससे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की तकलीफों ओर आम लोगों का ध्यान भी आकृष्ट किया जा सकेगा और उनकी हालत में सुधार लाने के लिए सरकार पर दबाव डालने में भी मदद मिलेगी।

>> असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की ठोस हालतों का अध्ययन करो –

विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की कामकाजी स्थितियां व्यापक तौर पर एक समान हैं; उन्हें किसी तरह का क़ानूनी संरक्षण हासिल नहीं है; जहां कहीं भी उन्होंने थोड़े बहुत अधिकार हासिल किए हैं, उन्हें अमल मे उतारा नहीं जाता। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के मामले में विभिन्न उद्योगों की प्रकृति में भारी भिन्नताएं पाई जाती हैं, उनकी मांगें तथा कामकाजी स्थितियां भी अलग–अलग हैं। उदाहरण के लिए बीड़ी मजदूरों की समस्याएं तथा मांगें छोटे होटलों एवं रेस्तराओं में काम करने वाले मजदूरों अथवा छोटी आटोमोबाइल रिपेयर शाप्स में काम करने वाले मजदूरों की मांगों और समस्याओं जैसी नहीं हैं; निर्माण श्रमिकों की मांगें तथा समस्याएं रिक्शा चलाने वालों अथवा आटो रिक्शा ड्राइवरों की समस्याओं एव मांगों जैसी नहीं हैं। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले ठेका एवं नैमित्तिक मजदूरों की समस्याएं बिलकुल अलग प्रकार की हैं।

इसलिए, विभिन्न क्षेत्रों/कारोबारों/व्यापार/उद्योगों में काम करने वाले असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की एक बहुप्रयोजन अथवा व्यापक युनियन बना कर मजबूत आंदोलनों का विकास करनने और इन मजदूरों को संगठित करने का हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता। अलग–अलग कारोबार/व्यापार/उद्योगवार यूनियनों का गठन करने;

उनकी विशेष एवं ठोस मांगों का निर्धारण करने और उसके आधार पर उन्हें संगठित किए जाने की जरूरत है।

>> प्राथमिकताएं तय करना –

एक और महत्वपूर्ण काम प्राथमिकताएं तय करने का है। हमारी सीआइटीयू राज्य समितियों के पास सीमित साधाधनों एवं मानव संसाधनों को देखते हुए उन्हें संगठित करने के लिए सेक्शनल एवं कैटागरीज की प्राथमिकताएं तय करना जरूरी हो जाता है। राज्य समितियों को असंगठित क्षेत्र में अपनी गतिविधियों की योजना बनाने और प्राथमिकताएं के बारे में फैसला करते समय विभिन्न उद्योगों/कारोबारों में काम करने वाले मजदूरों की स्थितियों का अध्ययन करना चाहिए, उन क्षेत्रों में अलग–अलग उद्योगवार यूनियनों में इन मजदूरों को संगठित करने की सम्भावनाओं का जायजा लेना चाहिए।

अधोलिखित कसौटियों के आधार पर प्राथमिकताएं तय की जा सकती हैं –

>> उन मजदूरों जिनकी राज्य स्तर पर विशाल उपस्थिति है और जिनके संघर्ष चला कर सरकार पर दबाव डाला जा सकता है जैसे ग्राम सेवक/सरकारी विभागों में काम करने वाले चौकीदार, ठेका मजदूर, आंगनवाड़ी कर्मचारी, आशा, मिड–डे मील मजदूर, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं में काम करने वाले श्रमिक इत्यादि। यह भी पाया गया कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों, आशा, मिड–डे मील श्रमिकों, पंचायत श्रमिकों, गांवों के चौकीदारों इत्यादि को संगठित किए जाने के फलस्वरूप हमें गांव स्तर पर सीआइटीयू को ले जाने में सहायता मिली है।

>> जो मजदूर सार्वजनिक एवं निजी यात्री परिवहन, माल परिवहन जैसी विभिन्न प्रकार की परिवहन सेवाओं में काम करते हैं; बड़े बाजारों जैसे मण्डियों में काम करने वाले मजदूर, सिर पर बोझा ढोने वाले मजदूर इत्यादि; पालिका मजदूर तथा पंचायत मजदूर इत्यादि अपने संगठित संघर्षों के माध्यम से सरकार पर प्रभाव डाल सकते हैं और इस प्रभाव को देखा व अनुभव किया जा सकता है।

>> मैन्युफैक्चरिंग तथा सेवाओं में लगे मजदूर जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं जैसे आधुनिक उद्योगों में काम करने वाले ठेका मजदूर , मैन्युफैक्चरिंग में काम करने वाले गश्ह आधारित धंधों के

मजदूर, ऑटो उद्योग, आइटी तथा आटीईज़ इत्यादि में काम करने वाले मजदूर इत्यादि।

प्राथमिकताएं तय करने के बाद सेक्टर वार अभियानों तथा संघर्षों को विकसित करने की कोशिश की जानी चाहिए जिसमें विशेष सेक्टर के अधिक से अधिक श्रमिकों को शामिल किया जाए। हमारी प्रगति की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए।

➢ विभिन्न कार्यनीतियां अपनाना –

क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्र में विभिन्न कारोबारों/व्यवसायों में काम करने वाले मजदूरों/कर्मचारियों की स्थितियां अलग-अलग होती हैं; इसलिए सभी कारोबारों/व्यवसायों के लिए एक समान कार्यनीतियां अथवा विधियां अपनाना उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता। विभिन्न कारोबारों/सेक्टरों/व्यवसायों के लिए अलग-अलग विधियां अपनाई जानी चाहिएं जो प्रत्येक कारोबार/व्यवसाय/सेक्टर की ठोस स्थितियों पर निर्भर करता है।

मजदूरों में अपने संगठन और एकता की ताकत पर विश्वास पैदा करने के लिए उन मुद्दों उठाना भी जरूरी है जो उनके कामकाजी स्थलों से सम्बन्ध नहीं रखते जैसे मकानों की जगहों, सफाई प्रबंध, राशन कार्ड, स्वास्थ्य तथा बच्चों की शिक्षा, साक्षरता कार्यक्रम इत्यादि। स्वः सहायता समूह (सेल्फ हैल्प ग्रुप) तथा बचत समूह जैसे संगठन के कुछ मध्यवर्ती स्वरूपों का विकास भी किया जा सकता है।

पिछड़े समुदायों की महिलाओं तथा मजदूरों को न केवल आर्थिक शोषण बल्कि सामाजिक उत्पीड़न का सामना भी करना पड़ता है और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों एवं कामकाजी महिलाओं की बड़ी विशाल संख्या इन्हीं समुदायों से सम्बन्ध रखती है, इस तथ्य को देखते हुए हमारी यूनियनों को जाति एवं यौन उत्पीड़न जैसे सामाजिक मुद्दों को भी उठाना और उनके लिए संघर्ष करना चाहिए। अनेक राज्यों में हमारा अनुभव दर्शाता है कि जब सामाजिक मुद्दों और आवासीय समस्याओं को लिया जाता है तब प्रारम्भिक चरणों में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों का प्रत्युत्तर बहुत उत्साहवर्धक रहता है। इससे हमें कामकाजी स्थलों के मुद्दों को लेकर उन्हें लामबंद करने और बाद में ट्रेड यूनियनों में उन्हें संगठित करने में सहायता मिलती है।

गलियों–बाजारों–सड़कों पर घूम कर सामान बेचने वाले बिक्रेता, हाकर, रिक्शा एव आटो रिक्शा चालक और स्वः रोजगार पर लगे मजदूरों की बड़ी संख्या जहां सेवा योजक – कर्मचारी सम्बन्ध देखने को नहीं मिलते इत्यादि भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों का एक बड़ा हिस्सा बनते हैं। उन्हें संगठित करने के साथ–साथ उनकी विशेष मांगों जैसे कल्याण कोष, समाज विरोधी तत्वों तथा पुलिस द्वारा उन्हें परेशान किए जाना इत्यादि को भी प्रमुखता से उठाना चाहिए।

मजदूरों के बीच जाओ –

जहां यूनियनें हैं वहां केवल यूनियन कार्यालयों में बैठ कर काम करने की आदत को छोड़ना होगा और हमारे साथियों को मजदूरों के बीच जाकर काम करना होगा – वह चाहे उनका कामकाजी स्थल हो, उनकी रिहायशी बस्तियां हों जैसी भी स्थिति हो उनके बीच जाकर काम करना चाहिए और उनके रोजमर्रा के जीवन का अंग बनने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी दिन–प्रतिदिन की समस्याओं कामकाजी स्थलों तथा रिहायशी बस्तियों दोनों जगह उचित हस्तक्षेप करना चाहिए, और उनके सामाजिक एव सांस्कृतिक जीवन का एक भाग होने के नाते हमें उनके भीतर यह विश्वास पैदा करना चाहिए कि जब कभी जरूरत पड़ने अथवा समस्या पैदा होने की स्थिति में वे यूनियन के साथ सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं और उससे आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

कार्यकर्ता –

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को संगठित करने के लिए हमें भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की जरूरत है। केवल इस क्षेत्र की व्यापकता और विशालता को देखते हुए नहीं बल्कि इसलिए भी कि वे बिखरे होते हैं और उन्हें अनेकानेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित करने के काम में हमें जिस एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है वह कार्यकर्ताओं के अभाव की समस्या है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बीच काम करने वाले अनेक गैर सरकारी संगठन अर्थात् एनजीओ हमारी इस कमजोरी से लाभ उठा कर उनके आंदोलन को श्रमिक संघों से दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। सरकार तथा सत्ताधारी श्रेणियां भी इस मामले में इस तरह के गैर सरकारी संगठनों की सहायता करती हैं।

इस क्षेत्र की प्रकृति और इसमें भारी भरकम काम को देखते हुए हमें कुछ पूर्ण कालिक कार्यकर्ताओं को असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित करने के काम में लगाना चाहिए। कम से कम शुरूआती चरणों में तो यह किया ही जा सकता है। इस सेक्टर में पहले से मौजूद यूनियनों को मजबूत करने, उनके बीच में से उन कार्यकर्ताओं का विकास करने जिनसे हमें असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की दूसरी श्रेणियों को संगठित करने में सहायता मिल सकती हो, के लिए प्रयास किए जाने चाहिएं। उन कार्यकर्ताओं को इस काम में लगाने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए जो प्रत्येक कारोबार/काम/उद्योग/सेक्टर की विशेष प्रकृति का अध्ययन करने के बाद इन मजूदरों में घुल मिल जाए। विशेष कारोबार/काम/उद्योग/सेक्टर के श्रमिकों की मांगों का निर्धारण समुचित ढंग से किया जाए और मजदूरों में जागरूकता के स्तर, उनकी अपेक्षाओं तथा तैयारियों को देखते हुए ही अभियानों एवं आंदोलन की विधियां तय की जाएं।

जिन कार्यकर्ताओं को किसी विशेष क्षेत्र/कारोबार/काम में लगे मजदूरों को संगठित करने की जिम्मेदारी दी गई है, उन कार्यकर्ताओं का विकास करना और उनके बीच उस क्षेत्र विशेष के श्रमिकों की कामकाजी एवं जीवन स्थितियों की गहरी समझ पैदा करना बेहद जरूरी है।

इन कार्यकर्ताओं को असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को संगठित करने के साथ-साथ मजदूरों के बीच में से कार्यकर्ताओं की पहचान करने और उनका विकास करके उन्हें यूनियनों के नेतृत्वकारी पदों पर लाने की जिम्मेदारी भी सौंपी जानी चाहिए।

कार्यकर्ताओं का विकास –

जहां शुरूआती चरण में इस काम के लिए पूर्ण कालिक कार्यकर्ताओं का आबंटन करना जरूरी है वहीं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के बीच में से महिला कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित एवं विकसित करना भी जरूरी है ताकि वे यूनियनों में नेतृत्वकारी पदों की जिम्मेदारी लेने के योग्य हो सकें। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के बीच में से कार्यकर्ताओं का विकास करने के काम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की बड़ी संख्या अशिक्षित होती है और उनके लिए उपलब्ध विभिन्न कानूनी एवं विधायी लाभों का ज्ञान उन्हें नहीं होता, यह सत्य है, किन्तु इसके लिए समुचित प्रयास किए जाने चाहिएं जैसा कि

हरियाणा तथा आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में किया गया है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बीच में से सुयोग्य कार्यकर्ताओं का पता लगाना और उन्हें प्रशिक्षित करके यूनियनों में नेतृत्वकारी पदों पर लाना कठिन काम नहीं है। इसके अलावा, असंगठित क्षेत्र के बीच असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की संख्या बढ़ने के साथ अनेक शिक्षित मजदूरों का पता लगाया जा सकता है। विशेष तौर पर आंगनवाड़ी कर्मचारियों, आशा इत्यादि के बीच में से अनेक कार्यकर्ताओं की सेवाओं का उपयोग संगठन के लिए किया जा सकता है। कार्यकर्ताओं के लिए ट्रेड यूनियन कक्षाओं और शैक्षणिक कार्यक्रमों का नियमित आयोजन करना चाहिए और इसके साथ ही उन्हें पदोन्नत करना चाहिए। महिला कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित, विकसित और पदोन्नत करने के काम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन सेक्टरों में जहां महिलाओं की बड़ी संख्या काम करती है, यूनियनों के बीच महिला उप समितियों का गठन करने और उन उप समितियों को सक्रिय करने से महिला कार्यकर्ताओं का विकास करने में सहायता मिलेगी।

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की यूनियनों के लिए आम तौर पर कम से कम शुरूआती चरणों में पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करना कठिन होता है। सीआइटीयू की सम्बन्धित समितियों को पूर्ण कालिक कार्यकर्ताओं के लिए भत्ते तथा दूसरे खर्च उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी लेनी होगी और यह जिम्मेदारी उस समय तक लेनी होगी जब तक यूनियनें इस मामले में आत्म निर्भर नहीं हो जातीं।

>> संगठित क्षेत्र की यूनियनों में काम करने वाले सीआइटीयू कार्यकर्ताओं को भी अपने-अपने उद्योगों अथवा क्षेत्रों में ठेका एवं नैमित्तिक मजदूरों को संगठित करने के लिए पहलकदमियां करनी होंगी। तथापि, वर्तमान में इस तरह की बहुत कम पहलकदमियां देखने को मिलती हैं। कुछ राज्यों में युवा अथवा छात्र संगठनों जैसे दूसरे जन संगठनों में से कार्य कर्ताओं की भर्ती की जाती है।

>> **जागरूकता बढ़ाने की जरूरत –**

सीआइटीयू समितियों की ओर से भी इन यूनियनों के कार्यकर्ताओं की जागरूकता के स्तर को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं ताकि वे अपने सदस्यों के भीतर सीआइटीयू की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढंग से लागू कर सकें। हमारे सदस्यों की बड़ी संख्या

जिसने पूरी मजबूती के साथ सीआइटीयू का समर्थन किया है और हमारे सभी संघर्षों में भाग लिया है, यहां तक कि वे दमन तथा उत्पीड़न का शिकार भी हुए हैं, प्रायः अपने-अपने रिहायशी क्षेत्रों तथा गांवों में साम्प्रदायिक एवं जातिवादी ताकतों के प्रभाव में रहती है। हमारी यूनियनों को उनकी जागरूकता का स्तर ऊंचा उठाने की कोशिशें करनी चाहिएं और उन्हें सभी क्षेत्रों में सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ने के प्रति जागरूक बनाना चाहिए और उन्हें इन विभाजक ताकतों के प्रभाव से बाहर निकालना चाहिए। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए अलग-से ट्रेड यूनियन कक्षाओं का आयोजन किया जा सकता है और इन कक्षाओं के पाठ्यक्रम में उनके नियमित विषयों के अलावा जाति, यौन इत्यादि सामाजिक मुद्दे भी शामिल किए जा सकते हैं।

निर्माण श्रमिक, सिर पर बोझा उठाने वाले मजदूर, आंगनवाड़ी कर्मचारी, मिड-डे मील कार्यकर्ता, पंचायत श्रमिक, गांवों के चौकीदार इत्यादि लगभग सभी गांवों में मिल जाते हैं। उन राज्यों जो औद्योगिक तौर पर अधिक विकसित नहीं हैं में भी ये श्रमिक मिल जाते हैं। इनमें से अधिकांश मजदूर खेत मजदूर तथा गरीबी किसान परिवारों में से होते हैं और उनके साथ उनके निकट सम्बन्ध होते हैं। उन्हें संगठित करके और उनकी राजनीतिक जागरूकता का विकास करके हम देश भर में फैली श्रमिक वर्ग की इन विशाल श्रेणियों, खेत मजदूरों तथा गरीब किसानों को अपने प्रभाव में लाने में सक्षम हो सकेंगे। ग्रामीण स्तर पर सीआइटीयू की नीतियों का प्रसार करने और हमारे कार्यक्रमों को लागू करने के काम में यह केन्द्रीय धुरी भी बन सकती है।

हमारी ओर से निर्माण क्षेत्र में दूसरी यूनियनों के साथ मिल कर निरंतर चलाए गए अभियान तथा गतिविधियों का परिणाम निर्माण श्रमिकों के कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के पारित होने और कुछेक राज्यों में विशेष कल्याण योजनाओं के लागू होने के रूप में निकला है। हम, केरल में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की अनेक कोटियों (श्रेणियों) के लिए कल्याण बोर्डों का गठन करा सके हैं। पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए अलग-से भविष्य निधि योजना बनाई है। तमिलनाडु में भी हमें असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की विभिन्न कोटियों के लिए कल्याण बोर्डों की स्थापना करने के लिए राज्य सरकार पर दबाव डालने में मदद मिली है और ये बोर्ड काम करें इसके लिए आंदोलन चलाए गए हैं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं निरंतर चलाए गए अपने संघर्षों के फलस्वरूप कुछ सेवा लाभ हासिल करने में सहायता मिली है जिनमें केन्द्रीय तथा अनेक राज्य सरकारों से अपने पारिश्रमिक में बढ़ोतरी और दूसरे लाभ शामिल हैं।

हमारे अथक संघर्षों के फलस्वरूप हासिल किए गए बीड़ी श्रमिकों के लिए कल्याण कोष अधिनियम, निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, अनेक राज्यों में राज्य स्तरीय कल्याण बोर्ड, आंगनवाड़ी कर्मचारियों तथा दूसरी श्रेणियों के लिए लाभों सहित ये अधिकांश लाभ समुचित ढंग से लागू नहीं किए गए। इन पर प्रभावी ढंग से अमल किया जाए, सरकार को इसकी चिंता कतई नहीं है। इन अधिनियमों तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों की कमियों को दूर कराने और मौजूदा लाभों को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए सरकार पर दबाव डालने के उद्देश्य से सीआइटीयू यूनियनों को और अधिक पहलकदमियां करनी होंगी। इन अधिनियमों के अन्तर्गत मजदूरों को कौन–कौन से सेवा लाभ मिलते हैं, उनका विवरण सीआइटीयू की पत्रिकाओं इत्यादि के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बीच काम करने वाले कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराए जाने चाहिएं।

उपलब्ध सूचना के अनुसार 19 राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में भवन एवं दूसरे निर्माण मजदूरों सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत किसी मजदूर का नाम रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है; केरल तथा तमिल नाडु को छोड़ कर शेष सभी राज्यों में रजिस्ट्रेशन के काम की स्थिति बहुत खराब है। दिल्ली, कर्नाटक, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिल नाडु तथा पश्चिम बंगाल को छोड़ कर शेष सभी राज्यों में उपकर की वसूली का काम बहुत कम हो रहा है। जो धन इकट्ठा होता है उसे भी खर्च नहीं किया जाता। केरल को छोड़ कर बाकी सभी राज्यों में बहुत कम अर्थात् न के समान खर्च किया गया है। इस अधिनियम पर समुचित ढंग से अमल किया जाए, हमें इसे यकीनी बनाने के लिए कोशिशे करनी होंगी। इसके नियमों–उपनियमों के निर्धारण, उपकर संग्रह और निर्माण श्रमिकों को कल्याण लाभ प्रदान कराने के लिए उस पैसे को प्रभावी ढंग से खर्च करने के लिए राज्य सरकारों पर दबाव डालना होगा।

श्रमिक संघों की ओर से चलाए गए निरंतर अभियानों एवं संघर्षों जिनमें हमने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, के परिणामस्वरूप यूपीए सरकार ने काफी टाल मटोल करने के बाद असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम बनाया था।

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून में भयंकर कमियां हैं। हम जब इसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के साथ धोखा करार देते हैं तो सही कहते हैं। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को कोई भी कल्याण लाभ प्रदान करने के लिए इसके पास कोई कोष नहीं है; देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी मजदूरों के लिए यह कानून कितने समय में लागू हो जाएगा इसके लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई; यहां तक कि न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा लाभों की कानूनी तौर पर गारंटी भी नहीं दी गई। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा के घेरे में लाने की बजाए कुछ पुरानी योजनाओं को इस कानून के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए लागू होने योग्य बना दिया गया है।

इनमें से चार योजनाएं विशेष व्यवसायों के लिए हैं जैसे हैंडलूम बुनकर, हैंडीक्राफ्ट दस्तकार, मास्टर क्राफ्ट श्रमिक तथा मछुआरे इत्यादि; छः ह योजनाएं – इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वश्द्धावस्था पेन्शन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, जननी सुरक्षा योजना, जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इत्यादि, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले आम मजदूरों को इन योजनाओं के अन्तर्गत लाया गया है। केवल गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग ही इनमें से अधिकांश योजनाओं के अन्तर्गत आते हैं। इस योजनाओं में अनेक कमियां और इनकी सीमाएं हैं जिसके परिणामस्वरूप असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 90 प्रतिशत से अधिक मजदूर इन योजनाओं के अन्तर्गत नहीं आ सकेंगे।

तथापि, इस अधिनियम के बारे में सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच भ्रांतियां पैदा करने की कोशिश कर रही है। मजदूर सरकार के गुमराह करने वाले इस अभियान को समझें, इस काम में हमें इन मजदूरों की सहायता करनी चाहिए ताकि वे खुद अपने अनुभव से सरकार के उदासीन रुख को समझ सकें।

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को विभिन्न कानूनों, योजनाओं, कार्यक्रमों के माध्यम से दिए गए सभी लाभ हासिल हों, इसे यकीनी बनाने के लिए हमारी यूनियनों को पूरी गम्भीरता और ईमानदारी के साथ कोशिशें करनी होंगी। हमें मौजूदा योजनाओं के बारे में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच व्यापक अभियान चलाना होगा, उनका नाम योजना से लाभान्वित होने वाले लोगों की सूची में दर्ज हो और उन लाभों को हासिल करने के लिए उन्हें हर तरह की मदद एवं सहायता मिले इसके लिए हमारी यूनियनों को कोशिशें करनी

होंगी। गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के नाम इन योजनाओं से लाभान्वित होने वाले लोगों की सूची में दर्ज कराते समय हमें अपनी विशेष मांगों जैसे कारपोरेट सेक्टर पर उपकर लगा कर इस अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय कोष की स्थापना करना ताकि देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी मजदूरों के लिए पेन्शन, स्वास्थ्य की देख भाल तथा प्रसूति लाभ , दुर्घटना राहत इत्यादि सामाजिक सुरक्षा लाभों की गारंटी दिलाई जा सके और अधिनियम के अन्तर्गत इन पर अमल करने के लिए विशेष समय सीमा निश्चित कराई जा सके, के लिए अभियान चलाना होगा।

इस मामले में मनो कल्पित और हलके आरोप लगाने की बजाए में इन कानूनों के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति का ठोस अध्ययन करना होगा। इससे हमें इन सेक्टरों में काम करने वाले मजदूरों के साथ सम्पर्क स्थापित करने में सहायता मिलेगी और इन लाभों को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए हम उन्हें लामबंद कर सकेंगे। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर खुद समझ सकेंगे कि इन योजनाओं में क्या कमियां हैं और फिर हम अधिनियम को बेहतर तरीके से लागू कराने और उसके साथ–साथ मजदूर पक्षीय वैकल्पिक नीतियों के लिए संघर्ष में मजदूरों को लामबंद कर सकेंगे। हमें असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की विभिन्न श्रेणियों के बीच अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए इस अभियान का उपयोग करना होगा। हम इन मजदूरों को संगठित करने और अपने संगठन को मजबूत बनाने के काम को प्राथमिकता दे रहे हैं।

वर्तमान में केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों की ओर से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए गठित राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, ठेका मजदूर सलाहकार बोर्ड, निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याण बोर्ड इत्यादि अनेक कल्याण एवं सलाहकार बोर्डों में सीआइटीयू के प्रतिनिधि काम कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर इन मजदूरों की स्थितियां किस तरह की हैं? इन साथियों को इसकी जानकारी उपलब्ध कराने से उन्हें मदद मिलेगी और वे प्रभावशाली ढंग से इन बोर्डों में हस्तक्षेप कर सकेंगे। बेहतर और समन्वित रुख अपनाने के लिए इन साथियों के साथ नियमित रूप से विचार विमर्श करना जरूरी है। इन सभी विभिन्न बोर्डों में काम करने वाले साथियों के साथ नियमित विचार विमश्र की व्यवस्था बनाए जाने की भी जरूरत है।

हाल ही की विश्व व्यापी मंदी के कारण पूंजीवादी व्यवस्था की विफलताएं चौंका देने वाली सीमा तक सामने आ रही हैं। लोगों पर

और बोझ डाल कर और मजदूर वर्ग पर अपने हमले बढ़ा कर पूंजीपति वर्ग के मुनाफों को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। हमें पूरी मजबूती के साथ इस चुनौती का सामना करना होगा। यह काम संगठनात्मक, राजनीतिक एवं विचारधारक सभी स्तरों पर करना होगा। हमें असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के साथ–साथ संगठित क्षेत्र में काम करने वाले ठेका एवं नैमित्तिक श्रमिकों को संगठित करना होगा और उन्हें संगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के साथ जुझारू आंदोलनों तथा हड़ताल की कार्रवाईयों में शामिल करना होगा। इससे श्रमिक आंदोलन का स्वरूप जन आंदोलन वाला बनाने में सहायता मिलेगी और मजदूर वर्ग तथा साधारण लोगों के पक्ष में ताकतों का समीकरण बनाया जा सकेगा।

यह बहुत बडा काम है, इसमें संदेह नहीं। किन्तु यदि हम असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के बीच अपनी गतिविधियों को नया स्वरूप प्रदान करें तथा सुनियोजित ढंग से काम करें तो यह काम हो सकता है।

हमें अधोलिखित कामों को अपने हाथ में लेना होगा:

1. सीआइटीयू केन्द्र की ओर से असंगठित क्षेत्र में काम पर निरंतर नजर रखना।
2. असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के बीच अपने काम का निरीक्षण करने के लिए सभी राज्यों में सीआइटीयू राज्य समितियों में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए उप समिति का गठन करना।
3. प्राथमिकता के तौर पर संगठन के लिए खण्डों/क्षेत्रों की पहचान करना; इस काम के लिए उपयुक्त कार्यकर्ताओं का आबंटन करना; सीआइटीयू राज्य समिति में वर्ष में कम से कम एक बार अपने काम की समीक्षा करना।
4. वर्तमान में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जो भी लाभ उपलब्ध हैं, भले ही वे गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाली श्रेणियों तक सीमित हों, को प्रभावी तरीके से लागू कराने और ये लाभ सभी पात्र मजदूरों को मिलें इसे सुनिश्चित बनाने के लिए असंगठित क्षेत्र के मजदूरों में सक्रिय यूनियनों को विशेष कारोबारों/कामों/खण्डों/सेक्टरों

में सक्रिय यूनियनों को पूरी गम्भीरता के साथ प्रयास किए जाने चाहिएं। इन प्रयासों का उपयोग संगठन का प्रसार करने के लिए भी किया जाना चाहिएं।

5. हमारे कार्यकर्ताओं को इसके लिए जागरूक बनाने के उद्देश्य से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए उपलब्ध विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर एक केन्द्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जाना चाहिए; इसके बाद राज्य एवं जिला स्तरों पर भी कार्यशालों का आयोजन किया जा सकता है; इन लाभों की जानकारी देने के लिए एक पुस्तिका का प्रकाशन किया जाना चाहिए; विशेष तौर पर सीआइटीयू पत्रिकाओं के माध्यम से इनका प्रचार करना होगा।
6. असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम को लागू कराने के लिए व्यापक अभियान चलाते समय हमें अपनी विशेष मांगों को प्रमुख तौर पर उठाना होगा जैसे कारपोरेट सेक्टर पर उपकर लगा कर राष्ट्रीय कोष की स्थापना करना, बीपीएल की मौजूदा कसौटी को खत्म करना, न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा कानूनी तौर पर प्रदान करना और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी मजदूरों के लिए निश्चित समय सीमा के भीतर यह कानून लागू करना इत्यादि।
7. मजदूरों का नाम रजिस्टर में दर्ज हो, सरकार पर नियम बनाने के लिए दबाव डाला जाए, उपकर की वसूली की जाए और इस तरह इकट्ठे हुए धन को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाए, इसे यकीनी बनाने के लिए हमें भवन एवं दूसरे निर्माण श्रमिकों सम्बन्धी अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू कराने की कोशिश करनी चाहिएं।
8. असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की प्रमुख मांगों जिनकी पहचान की जा चुकी है, को लेकर एक मजबूत अखिल भारतीय आंदोलन चलाने की कोशिश की जानी चाहिए।
9. असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के बीच काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए नियमित रूप से राज्य स्तरीय ट्रेड यूनियन कक्षाओं का आयोजन किया जाए; ये कक्षाएं वर्ष में कम से कम एक बार जरूर लगाई जानी चाहिएं; इन कक्षाओं में कामकाजी महिलाओं को भी लाया जाए और इसके लिए हमें विशेष प्रयास करने चाहिए।

10. असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की यूनियनों के बीच काम करने वाले कार्यकर्ताओं जिनमें कामकाजी महिलाएं भी शामिल हैं, को तरक्की देकर नेतृत्वकारी पदों पर लाया जाए; इसे यकीनी बनाने के लिए सीआइटीयू की राज्य समितियों की ओर से जागरूक प्रयास किए जाने चाहिएं।

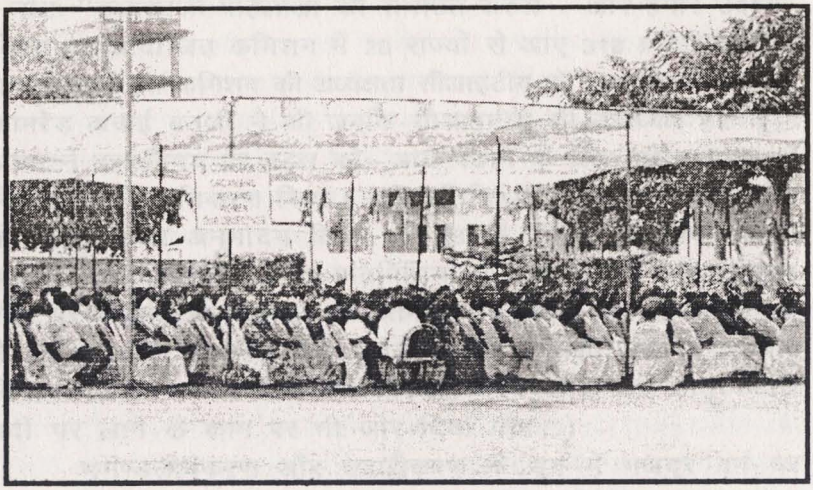

कामकाजी महिलाओं को संगठित करना — हमारा उद्देश्य

(नोटः "कामकाजी महिलाओं को संगठित करना – और हमारे उद्देश्य" विषय पर आयोजित कमिशन में 20 राज्यों से आए 318 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कमिशन की अध्यक्षता सीआइटीयू के तत्कालीन कोषाध्यक्ष कामरेड कनाई बनर्जी ने की जबकि सीआइटीयू की उपाध्यक्ष मर्सीकुट्टी अम्मा ने इस विषय पर बहस को आगे बढ़ाने के लिए संक्षेप में इसके विचारों का प्रस्तुतिकरण किया। सभी प्रतिनिधियों ने कमिशन दस्तावेज के बिन्दुओं का अनुमोदन किया और उसके समर्थन में अपने–अपने अनुभवों की चर्चा की। अनेक प्रतिनिधियों ने राज्य, जिला तथा यूनियन स्तर पर सीआइटीयू नेताओं की जागरूकता बढ़ाने और ट्रेड यूनियनों में यौन सम्बन्धी मुद्दों पर उन्हें संवेदनशील बनाने की जरूरत पर जोर दिया। महिला कार्यकर्ताओं का विकास करने और उन्हें नेतृत्वकारी पदों पर लाने के काम पर भी जोर दिया गया।)

भूमण्डलीयकरण और उदारीकरण के युग में मजदूर वर्ग पर हमलों में बहुत बढ़ोतरी हो गई है। भूमण्डलीय मंदी के नाम पर सेवा योजकों ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। पूंजीवादी व्यवस्था जो मानवता की बुनियादी समस्याओं को हल करने में नाकाम रही है, को एक बार फिर से भूमण्डलीय आर्थिक संकट ने बेनकाब कर दिया है और वह भी चौंका देने वाली हद तक। यही पूंजीवादी व्यवस्था मजदूरों के कंधों पर संकट का पूरा बोझ डाल कर इससे छुटकारा हासिल करना चाहती है। यह संकट पूंजीवादी व्यवस्था का पैदा किया हुआ है इस पर भी सभी पूंजीवादी देशों की सरकारें कारोबारी एवं कारपोरेट हितों के साथ मिलीभुगत करके इस संकट के लिए मजदूरों को दण्डित कर रही हैं। इस स्थिति मे, मजदूर वर्ग के सामने न केवल अपने रोजगारों, कामकाजी तथा जीवन स्थितियों पर होने वाले हमलों से बचने का काम है बल्कि उसे इस नाकाम व्यवस्था को विखण्डित करने के लिए आक्रमक संघर्ष भी चलाना है। पूंजीवादी व्यवस्था की नाकामियों को बेनकाब करने और मजदूर वर्ग को एक ऐसे समाज की स्थापना के लिए उसकी भूमिका से जागरूक करने, जो हर तरह के शोषण से मुक्त होगा, के लिए मजबूत अभियान और संघर्ष चलाने होंगे। सीआइटीयू की यही अवधारणा है जिसे उसके संविधान में दर्ज किया गया है।

सीआइटीयू ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सम्पूर्ण मजदूर वर्ग को संगठित करने के काम का बीड़ा उठाया है। तथापि, सम्पूर्ण मजदूर वर्ग को संगठित करना और उसे उसकी भूमिका के बारे में जागरूक बनाने का काम तब तक नहीं किया जा सकता जब तक मजदूर वर्ग का एक बड़ा भाग अर्थात् कामकाजी महिलाएं जो पूरे

मजदूर वर्ग का एक तिहाई भाग हैं, श्रमिक आंदोलन के घेरे से बाहर रहेगा अथवा ट्रेड यूनियन गतिविधियों से उदासीन बना रहेगा।

सीआइटीयू ने इसी अवधारणा को लेकर कामकाजी महिलाओं को संगठित करने और वे (कामकाजी महिलाएं) श्रमिक आंदोलन में अपनी उपयुक्त भूमिका निभाए, इसे यह यकीनी बनाने का काम अपने हाथ में लिया है। उसने इसे प्राथमिकता वाले काम के रूप में लिया है। सीआइटीयू का दृढ़ विश्वास है कि जब तक कामकाजी महिलाओं की व्यापक श्रेणियां श्रमिक आंदोलन की मुख्य धारा से बाहर रहेंगी तब तक श्रमिक आंदोलन की एकता न केवल आंशिक बल्कि अपूर्ण बनी रहेगी और श्रमिक आंदोलन प्रहार करने की अपनी पूरी ताकत से वंचित रहेगा। अतः कामकाजी महिलाओं को संगठित करने का काम सीआइटीयू का वर्गीय काम है, उसके लिए यह प्राथमिकता वाला काम है क्योंकि इसका उद्देश्य सामान्य श्रमिक आंदोलन को मजबूत बनाना भी है।

इस काम को पूरा करने के लिए हमें कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति का गठन किए तीन दशक से भी अधिक समय हो चुका है। हम अपने सभी महाधिवेशनों, जनरल कौंसिल तथा कार्य समिति की सभी बैठकों में इस पर विचार करते हैं और इस तरह इस काम को आगे बढ़ाने और इसका निरीक्षण करने का काम नियमित रूप से करते चले जा रहे हैं।

किन्तु सीआइटीयू की बहुत कम राज्य समितियों ने इस अवधारणा के साथ कामकाजी महिलाओं के बीच अपने काम की योजनाएं बनाई हैं। जिन राज्य समितियों ने इसे प्राथमिकता वाले काम के रूप में लिया है उनकी संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है।

कामकाजी महिलाओं के बीच हमारे काम में कुछ प्रगति हुई है, इसमें संदेह नहीं। महिलाओं की सदस्य संख्या और सीआइटीयू की गतिविधियों तथा कुछ हद तक निर्णायक निकायों में उनकी भागीदारी में निश्चित रूप से सुधार हुआ है। यद्यपि यह सुधार पूरे देश में एक समान दिखाई नहीं दे रहा। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरों पर कामकाजी महिलाओं की समन्वय समितियों जहां कहीं भी उनका गठन किया जा सका है, से उन सेक्टरों की पहचान करने जिनमें कामकाजी महिलाओं की बड़ी संख्या काम करती है, का पता लगाने और उन्हें संगठित करने में मदद मिली है। राष्ट्रीय स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं को संगठित करने में सीआइटीयू की पहलकदमी और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को संगठित करने की कार्रवाई ने इस काम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। उन

राज्यों तथा यूनियनों जहां इसके लिए सचेतन प्रयास किए गए हैं, में कामकाजी महिला कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ी है और आज वे समिति सदस्यों तथा पदाधिकारियों के रूप में अपनी भूमिका निभा रही हैं।

सीआइटीयू में पिछले कई वर्षों से महिला सदस्याओं की संख्या निरंतर बढ़ती चली गई है। सीआइटीयू केन्द्र के पास उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार सीआइटीयू की कुल सदस्य संख्या 50,97,533 में महिला सदस्याओं की संख्या 12,77,880 है। यह वर्ष 2008 की स्थिति थी। वर्ष 2005 में महिला सदस्याओं का प्रतिशत 22.52 था जो 2008 में बढ़ कर 25.06 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2008 में सीआइटीयू की सदस्य संख्या में 27.81 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। वहीं इस अवधि में कामकाजी महिलाओं की सदस्य संख्या में 42. 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश तथा कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में महिलाएं सीआइटीयू की कुल सदस्य संख्या का लगभग 60 प्रतिशत भाग हैं। महाराष्ट्र, असम तथा बिहार में महिलाओं की सदस्य सख्या 40 प्रतिशत से अधिक है; उड़ीसा में 30 प्रतिशत से अधिक; और आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा तथा उत्तराखण्ड में यह 30 प्रतिशत के लगभग है। तथापि, इस तथ्य को देखते हुए कहा जा सकता है कि सीआइटीयू की सदस्य संख्या का लगभग 60 प्रतिशत भाग असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का है, जहां कामकाजी महिलाओं की बडी संख्या काम करती है, सीआइटीयू में महिलाओं की सदस्य संख्या में बढोतरी की विशाल सम्भावनाएं हैं।

सीआइटीयू की गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। आज अनेक राज्यों में राज्य तथा जिला स्तरों पर, उसके द्वारा चलाए जाने वाले संघर्षों, अभियानों और सम्मेलनों के अवसर पर सीआइटीयू की लामबंदियों में कामकाजी महिलाओ का लगभग आधा हिस्सा होता है। अनेक राज्यों में आंगनवाडी कर्मचारियों तथा आशा इत्यादि कार्यकर्ताओं इत्यादि कामकाजी महिलाएं अपनी मांगों के लिए जुझारू संघर्ष चला रही हैं और उसके साथ-साथ सीआइटीयू के आह्वान पर किए जा रहे संघर्षों में भी भाग ले रही हैं, वे न केवल पुलिस दमन झेल रही हैं बल्कि सेवा योजकों द्वारा भी की जाने वाली प्रतिशोध की कार्रवाईयों का शिकार भी हो रही हैं।

सीआइटीयू गतिविधियों में महिलाओं की यह भागीदारी सीआइटीयू सम्मेलनों और निर्णायक निकायों में महिलाओं की संख्या के रूप में प्रतिबिम्बित नहीं होती, यद्यपि इसमें कुछ सुधार जरूर आया हैं। सीआइटीयू महाधिवेशनों में महिला प्रतिनिधियों का निश्चित प्रतिशत

हो, इसे यकीनी बनाने के लिए सीआइटीयू के आठवें पटना महाधिवेशन के बाद से ही सचेतन प्रयास किए जाते रहे हैं। किन्तु अब तक इस सीमित से लक्ष्य को पूरा करने में भी हम सफल नहीं हो सके हैं।

अनेक राज्यों में, सीआइटीयू सम्मेलनों के लिए महिला प्रतिनिधियों के चुनाव का प्रतिरोध होता है। जमीनी स्तर पर कामकाजी महिलाओं की एक बड़ी संख्या यूनियन के कामों में सक्रिय होती हैं; वे नए सदस्य बनाती हैं; वे सीआइटीयू तथा यूनियनों की रैलियों और अभियानों के लिए मजदूरों को लामबंद करती हैं। किन्तु जब उन्हें राज्य तथा राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए प्रतिनिधि चुनने का अवसर आता है तो उनकी अनदेखी कर दी जाती है। उनकी पारिवारिक समस्याओं, अपने बच्चों तथा घरों को छोड़ कर जाने में उनकी दिक्कतों, कामकाजी स्थलों में उनकी समस्याओं इत्यादि का बखान महिलाओं को प्रतिनिधि न चुने जाने के कारणों के रूप में किया जाता है। यह स्थिति न केवल उन राज्यों में व्याप्त है जहां महिलाओं की सदस्य संख्या कुछेक सेक्टर्स तक सीमित होती है बल्कि सीआइटीयू की सदस्य संख्या के मामले में भी दिखाई देती है। सीआइटीयू की अधिकतर सदस्य संख्या परम्परागत क्षेत्रों में है। उनकी कुल श्रम शक्ति तथा हमारी सदस्य संख्या में महिलाओं का एक भाग होता है।

महिलाओं को प्रतिनिधि चुनने में संकोच बना हुआ है। उन्हें समितियों में चुने जाने और पदाधिकारी बनाने के प्रयासों का प्रतिरोध भी लगातार चल रहा है। अनेक राज्यों विशेष तौर उन कुछेक राज्यों जहां सीआइटीयू अपेक्षाकृत मजबूत है, राज्य तथा जिला स्तरों पर समितियों तथा पदाधिकारियों के रूप में उनकी उपस्थिति न के बराबर है। जहां योग्य एवं सक्रिय महिला कार्यकर्ता उपलब्ध हैं वहां भी उन्हें बाहर रखा जाता है और इसे उचित ठहराने के लिए पहले से गढ़े गढाए बहाने बना दिए जाते हैं जैसे वे बैठकों में भाग लेने, लम्बी दूरी की यात्राएं करने की स्थिति में नहीं हैं।

कामकाजी महिलाओं के बीच काम करने के लिए प्रभावी योजना बनाने, महिला कार्यकर्ताओं का विकास करने तथा उन्हें तरक्की देकर नेतृत्वकारी पदों पर लाने में हमारी राज्य समितियों तथा औद्योगिक फैडरेशनों द्वारा संकोच से काम लिए जाने के कारण क्या हैं?

इसके अनेक कारण हो सकते हैं। कुछ प्रमुख कमजोरियों की पहचान की जा चुकी है और हमारे सम्मेलनों तथा दस्तावेजों में तीखे शब्दों में इसकी ओर ध्यान दिलाया गया है। जब तक इस समस्या पर काबू पाने के लिए गम्भीर और सचेतन प्रयास नहीं किए जाते तब तक

कामकाजी महिलाओं के बीच हमारे काम की प्रगति आधी अधूरी अथवा दोषपूर्ण ही रहेगी। केवल यही नहीं, जहां पर हमने अब तक प्रगति की है वहां भी इसका दुष्प्रभाव पड सकता है।

सीआइटीयू के संस्थापक अध्यक्ष कामरेड बीटीआर ने सीआइटीयू के छठे मुम्बई महाधिवेशन मे दिए गए अपने अध्यक्षीय भाषण में इस मुद्दे की अनदेखी करने और "केवल श्रृंगारिक तबदीलियां करने" के लिए सीआइटीयू समितियों की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि "इस तरह का रुख महिलाओं तथा उनके काम को कम करके देखने के अलावा और कुछ नहीं है।" संगठन पर सीआइटीयू के दस्तावेज जिसे भुबनेश्वर दस्तावेज के नाम से जाना जाता है, में "नेताओं, यूनियनो तथा विभिन्न समितियो की घोर लापरवाही" को रेखांकित किया गया है। उसमें कहा गया है, "कामकाजी महिलाओं के प्रति हमारे रुख में गम्भीर सुधार लाए बिना इसकी आलोचना की जाती है।"

कामकाजी महिलाओं के प्रति हमारा रुख महिलाओं के प्रति समाज में व्याप्त रवैये अथवा रुख का ही एक हिस्सा है। सीआइटीयू के दसवें महाधिवेशन में "कामकाजी महिलाएं, एक वर्गीय दृष्टिकोण" शीर्षक से पारित कमिशन दस्तावेज में कहा गया है, "हमारे सामाजिक ढांचे में आम तौर पर महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी कर दी जाती है अथवा उसे बहुत कम करके देखा जाता है। सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान महिलाओं की भागीदारी को प्रासंगिक विषय कतई नहीं माना जाता...यह व्यापक तौर पर मान लिया जाता है कि महिलाएं केवल पुरुषों की अधीनस्थ भूमिका ही निभा सकती हैं...इस तरह के कुत्सित नियम, विचार, मूल्य तथा रुख महिलाओं का विकास अवरुद्ध करने में ही अपना योगदान देते हैं। इनका न केवल पुरुषों पर व्यापक और गहरा प्रभाव होता है बल्कि महिलाएं भी इससे मुक्त नहीं होतीं। यदि महिलाओं की ओर से इस तरह के रुझानों एवं धारणाओं को खत्म करने के लिए यहां-वहां कुछेक प्रयास किए भी गए है तो उनका तीखा प्रतिकार हुआ है। इस कमिशन दस्तावेज में यह पुष्टि भी की गई थी कि "हम सीआइटीयू के साथी समाज में व्याप्त इस बुराई को 'दूर' नहीं कर पाए है।" सीआइटीयू को कामकाजी महिलाओं के बीच आगे बढाने और महिलाओं को प्रशिक्षित करने और उन्हें पदोन्नति देकर सीआइटीयू तथा यूनियनों के नेतृत्वकारी निकायों में लाने के मामले में हमारे जागरूक प्रयासों के अभाव का एक प्रमुख कारण महिलाओं की योग्यताओं एवं क्षमताओं को कम करके देखने का हमारा रुख है। विभिन्न राज्यों में इस रुख अथवा

रवैए का प्रकटीकरण अलग–अलग तरीके से होता है। अनेक राज्यों में राज्य तथा जिला स्तरों पर कामकाजी महिलाओं की समन्वय समितियों और यूनियन के भीतर महिला उप समितियों का गठन करने की कोशिशें ही नहीं की गईं; वे महिलाएं जो अपनी यूनियनों में सक्रिय हैं, उन्हें प्रशिक्षित करने और उनका विकास करने के लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही जैसे आंगनवाड़ी कर्मचारी, आशा वर्कर्स इत्यादि जो खुद अपनी यूनियनों का नेतृत्व करती हैं; हमारी कोशिश ही नहीं होती कि ये महिलाएं सीआइटीयू में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाएं; इसकी बजाए यदि कुछेक महिलाओं को पदाधिकारी बना दिया जाता है अथवा कार्य समिति में शामिल कर लिया जाता है तो यह उनकी अपनी पहलकदमी के कारण नहीं होता बल्कि इस मामले में सीआइटीयू नेताओं के निदेशों का पालन ही किया जाता है। कुछ दूसरे राज्यों में जब यह यकीनी बनाने की कोशिश की जाती है कि महिलाओं को कम से कम उनकी सदस्य संख्या के अनुपात में यूनियनों तथा सीआइटीयू सम्मेलनों के लिए प्रतिनिधि चुना जाए और निर्णयकारी निकायों में उन्हें उपयुक्त प्रतिनिधित्व दिया जाए तो पुरुष नेतृत्व की एक श्रेणी की ओर से जोरदार प्रतिरोध के रूप में इसका प्रकटीकरण होता है। उन राज्यों जहां कामकाजी महिलाओं की समन्वय समितियों तथा यूनियनों के भीतर महिला उप समितियों का गठन हो चुका होता है और वे महिला साथियों के नेतश्त्व में प्रभावशाली ढंग से काम करती हैं, में भी इसी तरह का रुख देखा जाता है। बैठकों में महिला सदस्याओं की उपस्थिति को सुनिश्चित बनाने के मामले में भी यही रुख प्रतिबिम्बित होता है; ये बैठकें चाहे कामकाजी महिला समन्वय समिति की हो या विभिन्न स्तरों पर सीआइटीयू की, बात एक ही है। आज भी अनेक महिला सदस्याएं बैठकों में भाग लेने में कठिनाई महसूस करती हैं क्योंकि उनके पास वित्तीय साधनों का अभाव होता है। जिस समय समन्वय समितियों का गठन किया जा रहा था उस समय कुछ राज्य समितियों ने इस बात में दिलचस्पी ली थी कि उनके राज्य से अधिक महिलाओं को समन्वय समितियों में प्रतिनिधित्व दिया जाए किन्तु बैठकों में उनकी उपस्थिति को लेकर वह व्यग्रता अब देखने को नहीं मिलती। कामकाजी महिलाओं के बीच हमारे काम को आगे बढ़ाने के लिए समग्र रूप में सीआइटीयू की सम्बन्धित समितियों को जिम्मेदार मानने की बजाए प्रायः पूरा दोष विशेष महिला सदस्याओं के मत्थे मढ़ दिया जाता है कि वे कामकाजी महिलाओं के बीच हमारे काम को आगे नहीं बढ़ा रहीं। लेनिन ने इस रुख के बारे में क्या कहा था, हमें वह

याद करना चाहिए. "वे इस बात को महसूस नहीं करते कि इस तरह के जन आंदोलन को विकसित करना और उसका नेतृत्व करना हम सबकी गतिविधि अर्थात् हमारे लगभग आधे काम का एक महत्वपूर्ण भाग है। कभी कभार उद्देश्यपूर्ण, मजबूत तथा बहुत से महिला आंदोलनों की जरूरत तथा उसके मूल्य को मान्यता दी जाती किन्तु यह जबानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं होता; इसके लिए चिंता या काम करने की बात जाने दीजिए।" जब महिलाएं सम्मेलनों की प्रतिनिधि अथवा निर्णयकारी निकायों के लिए चुनी जाती हैं तो भी उन्हें उनके विचार व्यक्त करने के लिए अवसर नहीं दिए जाते। बैठकों तथा सम्मेलनों मे शुरूआती दौर मे कुछ महिलाओं को अपनी बात कहने में संकोच होता है और वे घबरा जाती हैं। उन्हें उत्साहित करने की बजाए उनकी योग्यता के बारे में गलत धारणाएं बना ली जाती हैं। कुछ समितियों द्वारा उच्चतर समितियों को संतुष्ट करने के लिए कामकाजी महिलाओं के सम्मेलनों के आयोजन के समय भी केवल रस्म अदायगी की जाती है; इस अवसर का उपयोग कुछ कामकाजी महिलाओ को इकट्ठा करने और उन पर लेक्चर झाडने के लिए किया जाता है, उन्हें सुना नही जाता, उनकी समस्याओं को समझा नहीं जाता और न ही उन महिला कार्यकर्ताओं की पहचान की जाती है जिन्हें प्रशिक्षित व विकसित किया जा सकता हो। अनेक यूनियनों तथा सीआइटीयू समितियों की यह अवधारणा ही नहीं होती। क्योंकि अधिक महिलाएं और उनमें से कई पूर्ण कालिक कार्यकर्ताओं के रूप में हमारी यूनियनों में काम करने के लिए आगे आ रही हैं इसलिए पुरुष नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह उन समस्याओं के बारे में संवेदनशील हो जिनका सामना महिलाओं को करना पडता है। महिलाए यूनियनों में खुल कर और मुक्त रूप से काम कर सकें और इस दौरान उनका किसी तरह का उत्पीडन जिसमें यौन उत्पीड़न भी शामिल है, न हो सीआइटीयू समितियों को सभी स्तरों पर इसे यकीनी बनाने के लिए कदम उठाने चाहिएं। वर्तमान समाज में महिलाओं की घरेलू जिम्मेदारियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और इसके लिए पुरुष साथियों को संवेदनशील होना चाहिए ताकि वे अपनी–अपनी घरेलू जिम्मेदारियां निभाने के साथ–साथ यूनियन में अपनी भूमिका बखूबी निभा सकें। एंगेल्स ने अपनी प्रसिद्ध कृति "परिवार, निजी सम्पति और राज्य की उत्पत्ति" में उल्लेख किया है, ".... महिला को मुक्ति दिलाने तथा उसे पुरुष के समान दर्जा दिलाने का काम उस समय तक असम्भव बना रहेगा जब तक महिला को सामाजिक उत्पादक श्रम से बाहर रखा जाता है और निजी घरेलू कामों तक

सीमित रखा जाता है। महिला की मुक्ति तभी सम्भव हो सकती है जब महिला बडे स्तर पर, सामाजिक स्तर पर उत्पादन कार्यों में भाग लेगी और घरेलू कामों में उसका बहुत ज्यादा समय न लगता हो, बस उसके लिए थोडे से समय की जरूरत हो...।"

इसके साथ ही सीआइटीयू की महिला कार्यकर्ताओं को अपने संकोच का त्याग करके खुद अपने अधिकारों के लिए काम करना होगा और उन्हें आगे बढ़ कर ट्रेड यूनियनों में पहले से अधिक जिम्मेदारियां लेनी होंगी। उन्हें दूसरे ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं की भांति अपने ज्ञान का स्तर ऊंचा उठाना होगा और ट्रेड यूनियनों का नेतृत्व करने की अपनी मेधा का विकास करना होगा।

जहां महिलाओं की क्षमताओं और योग्यताओं के बारे में हमारा रुख कामकाजी महिलाओं के बीच हमारे काम की धीमी प्रगति का एक प्रमुख कारण है, वहीं इसके कुछ और कारण भी हैं, सीआइटीयू राज्य समितियां इसके लिए जरूरी पहलकदमी नहीं कर रहीं। इसका सम्बन्ध हमारे रुख हमारे रुख से है, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया हैं।

सीआइटीयू के दसवें महाधिवेशन द्वारा पारित कमिशन दस्तावेज उल्लेख किया गया था कि "कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति का गठन होने के दो दशक बीत जाने के बाद भी कामकाजी महिलाओं की समन्वय समितियों के काम की प्रकृति, भूमिका तथा उनके दर्जे इत्यादि के प्रश्न उठाए जा रहे हैं। बारहवें महाधिवेशन में एक बार फिर कामकाजी महिलाओं की समन्वय समिति के "ढांचे व कार्यों, लक्ष्यों के बारे में सामान्य सहमति" बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया था। इन प्रश्नों पर सीआइटीयू की अनेक बैठकों व सम्मेलनों में विचार किया जा चुका है, यह स्पष्ट किया गया है कि कामकाजी महिलाओं की समन्वय समितियां अलग संगठन नहीं हैं किन्तु सम्बन्धित राज्य समितियों की महिला उप समितियों का काम कामकाजी महिलाओं के बीच सीआइटीयू के काम को आगे बढाना है। अनेक राज्य समितियों ने अभी तक कामकाजी महिलाओं की समन्वय समितियों का गठन नहीं किया; इन समितियों के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित बनाने के लिए भी प्रयास नहीं किए गए। उन कुछेक राज्यों में भी जहां महिलाओं की बड़ी संख्या है, समन्वय समितियों का गठन नहीं किया गया है।

सभी स्तरों पर कामकाजी महिलाओं की समन्वय समितियों और सम्बन्धित सीआइटीयू समितियों में महिला उप समितियों जो सीधे तौर पर उनके अन्तर्गत काम करती हैं, के माध्यम से कामकाजी महिलाओं के बीच सुनियोजित ढंग से काम करने में संकोच क्यों हो रहा है,

सीआइटीयू समितियों को इसके कारणों पर पूरी गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

सीआइटीयू के बारहवें महाधिवेशन के बाद केन्द्रीय सचिव मण्डल की ओर से इस मुद्दे पर विस्तार में विचार किया गया था। उसके बाद जनवरी 2009 को मुम्बई में सम्पन्न कार्य समिति की बैठक ने एक नोट पारित किया था। कार्य समिति ने फैसला किया था कि कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति की स्थापना के 30 वर्ष पूरे होने पर सभी राज्यों में कामकाजी महिलाओं के बीच चल रहे काम की समीक्षा की जानी चाहिए किन्तु सीआइटीयू की बहुत कम राज्य समितियों ने इस काम को किया है।

यह मान लेने का रुझान भी है कि एक बार कामकाजी महिला समन्वय समिति का गठन हो जाने पर राज्य समितियों का काम समाप्त हो जाता है; उसके बाद सारा काम एक मात्र कामकाजी महिलाओं की समन्वय समिति की जिम्मेदारी बन जाता है। सीआइटीयू की राज्य समितियों अथवा पदाधिकारियों की बैठक में इस मुद्दे पर कभी विचार नहीं किया गया। सीआइटीयू के लक्ष्यों और दृष्टिकोण के अनुसार कामकाजी महिलाओं को संगठित करने के काम को देखते हुए सीआइटीयू समितियों की जिम्मेदारी हो जाती है कि वे उन विभिन्न उद्योगों तथा रोजगारों की पहचान करें जहां महिलाएं भारी संख्या में काम करती हैं, वहां पर ही उन्हें संगठित करें और यकीनी बनाएं कि उन महिलाओं का विकास करके, उन्हें तरक्की देकर नेतश्त्कारी पदों पर लाया जाए; इस बात को अनुभव किया जाना चाहिए। कामकाजी महिलाओं की समन्वय समितियों का गठन इस लिए किया जाता है कि वे इस काम में सीआइटीयू राज्य समितियों की पूरी सक्रियता के साथ मदद करें।

इसी तरह, कामकाजी महिलाओं की विशेष समस्याओं तथा उनकी मांगों को सम्बन्धित यूनियन की मांगों के रूप में उठाया जाना चाहिए; न केवल कामकाजी महिलाओं अपितु पूरी यूनियन को लामबंद करके इन मांगों के लिए संघर्ष व अभियान चलाना चाहिए। आज भी ऐसे बहुत कम उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां किसी यूनियन ने कामकाजी महिलाओं की विशेष समस्याओं को लेकर संघर्ष किया हो या अभियान चलाया हो। भले ही इस स्थिति में थोड़ा सुधार जरूर हुआ है। इन मुद्दों को केवल कामकाजी महिलाओं की समन्वय समितियों के लिए छोड़ देने से उसका गलत प्रभाव यह जाता है कि महिलाओं के मुद्दे केवल महिलाओं को ही उठाने चाहिएं और कामकाजी महिलाओं की

समन्वय समितियों का गठन ही इस उद्देश्य को सामने रख किया गया है। यह अमल यूनियनों को कामकाजी महिलाओं के मुद्दे उठाने की प्रेरणा देने की बजाए उनकी विशेष समस्याओं की अनदेखी के रुझान को लगातार बनाए रखता है। इसके चलते कामकाजी महिलाओं में यूनियन के प्रति और अधिक उदासीनता का भाव पैदा हो जाता है।

कामकाजी महिलाओं की समन्वय समितियों के कार्यों को दोहराना जरूरी हो जाता है; मोटे तौर पर इन समितियों के काम इस प्रकार हैं:

• कामकाजी महिलाओं से सम्बन्धित सरकार की विभिन्न नीतियों पर रुख अखत्यार करने में सीआइटीयू की सहायता करना।

• विभिन्न उद्योगों में महिलाओं के रोजगार और उनकी समस्याओं का अध्ययन करना; प्राथमिकताओं का निर्धारण करना और उन्हें संगठित किए जाने के बारे में सीआइटीयू की सम्बन्धित समिति को कदमों का सुझाव देना।

• उन सेक्टरों जिनका फैसला सीआइटीयू समितियों ने किया हो, में कामकाजी महिलाओं को संगठित करने में सहायता देना।

• कामकाजी महिलाओं के बीच यूनियनों के कामों की निश्चित अंतराल में समीक्षा करना; यूनियनों में महिला उप समितियों के कामों की समीक्षा करते रहना; यह पता लगाना कि यूनियन में महिला सदस्यों के कितनी भर्ती हुई है; महिला कार्यकर्ताओं को नेतश्त्वकारी पदों पर कितनी तरक्की दी गई है।

• महिला कार्यकर्ताओं को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करने की समस्याओं पर विचार करना और सीआइटीयू की सम्बन्धित समितियों को इसके लिए सुझाव देना और उन्हें इन पर फैसला लेने की प्रेरणा देना तथा उन पर अमल कराना।

• विभिन्न उद्योगों में यूनियनों की महिला उप समितियों को साथ लेकर कामकाजी महिलाओं के विशेष मुद्दों पर समन्वित आंदोलन विकसित करने की कोशिशें करना जिसमें सीआइटीयू से सम्बन्धित भ्रातृ यूनियनों को भी शामिल किया जाए।

• सीआइटीयू की पत्रिकाओं और दूसरे साहित्य के माध्यम से कामकाजी महिलाओं की व्यापक श्रेणियों के बीच सीआइटीयू की नीतियों तथा कार्यक्रमों को ले जाना।

सीआइटीयू समितियों के मार्गदर्शन में कामकाजी महिलाओं की समन्वय समितियों को सीआइटीयू की ओर से सीधे तौर पर कामकाजी महिलाओं के बीच काम करना चाहिए। दूसरी यूनियनों के साथ सम्बन्ध रखने वाली कामकाजी महिलाओं के बीच अपने काम के समय कामकाजी

महिलाओं की समन्वय समितियों कामकाजी महिलाओं की समन्वय समितियों को संयुक्त कार्रवाईयों के बारे में सीआइटीयू के रुख को अमल में लाना चाहिए। कामकाजी महिलाओं की समन्वय समितियों के प्रभावी कामकाज का अर्थ यह होना चाहिए कि सीआइटीयू की महिला सदस्यों की संख्या बढे तथा उनकी विशेष मांगों को पूरा कराने के अलावा यूनियन तथा सीआइटीयू नेतश्त्व में और अधिक महिलाओं को तरक्की दी जाए।

समस्याएं

इसमें संदेह नहीं कि सीआइटीयू समितियों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; उन्हें वित्तीय कठिनाईयां हैं; उनके पास कार्यकर्ताओं का अभाव है जिसके चलते सीआइटीयू के सभी कामों पर बुरा असर पड़ता है। पर इसका बुरा असर सबसे पहले कामकाजी महिलाओं के बीच हमारे काम पर पडता है।

इन कठिनाईयों पर काबू पाने के लिए सचेतन प्रयास करते समय जरूरी हो जाता है कि सीआइटीयू राज्य समितियां मजदूरों को संगठित करने के लिए सेक्टर्स की प्राथमिकताएं तय करें। किन्तु प्राथमिकता के रूप में श्रमिकों की एक श्रेणी के बीच काम करने से बचने के लिए यौन आधार को बहाना नहीं बनाया जा सकता। जब कामकाजी महिलाओं के बीच काम के बारे में पूछा जा सकता है तो कुछ सीआइटीयू नेताओं विशेष तौर पर कमजोर राज्यों के नेताओं का यही जवाब सुनने को मिलता है कि "हमारे पास सीआइटीयू के काम (इसका अर्थ है कामकाजी महिलाओं के बीच काम) को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी संसाधन नहीं हैं। हम इसके लिए पैसा कहां से लाएं और कामकाजी महिलाओं को संगठित करने के लिए कार्यकर्ता कहां से लाएं।" प्राथमिकताएं तय करने का यह तरीका सही नहीं है।

हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों का अनुभव साफ तौर पर दर्शाता है कि यदि सुनियोजित ढंग से जागरूक प्रयास किए जाएं तो वित्तीय कठिनाईयों पर काबू पाया जा सकता है; एक बार यदि वित्तीय कठिनाईयों पर काबू पा लिया जाता है तो कार्यकर्ताओं को इस काम के लिए लगाना कम कठिन हो जाएगा।

संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों में मजदूरों, महिला तथा पुरुष, को संगठित करने की प्राथमिकता सीआइटीयू के दीर्घावधि लक्ष्यों के आधार पर की जानी चाहिए – मजदूर वर्ग को संगठित करना, उनकी जागरूकता के स्तर को ऊंचा उठाना ताकि वे सभी प्रकार के

शोषण की समाप्ति के लिए अपनी भूमिका बखूबी निभा सकें। इसी लक्ष्य तथा उद्देश्य को ध्यान में रख कर प्राथमिकताएं तय की जानी चाहिएं जो राज्य की ठोस स्थिति, औद्योगिक परिदृश्य, कार्यकर्ताओं की उपलब्धता और उनकी योग्यताओं इत्यादि पर निर्भर करता है।

इसके साथ ही उन क्षेत्रों में मजदूरों को संगठित करने के काम को ध्यान में रखा जाना चाहिए जिनमें मजदूरों की व्यापक उपस्थिति हो और वे सरकार से सम्बन्धित हों जैसे आंगनवाड़ी कर्मचारी, आशा, मिड–डे मील वर्कर्स, सर्व शिक्षा अभियान इत्यादि (जहां महिलाओं की बड़ी संख्या काम करती है)। इससे सरकार पर दबाव बनाने और कुछ लाभ हासिल करने में मदद मिल सकती है। इसके फलस्वरूप मजदूरों में उत्साह पैदा होगा। इसी प्रकार, मजदूरों को संगठित करने के मामले में वस्त्र, बीड़ी जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिनमें गश्ह आधारित धंधों में काम करने वाले श्रमिक भी शामिल हैं।

आंगनवाड़ी कर्मचारियों के बीच काम करने वाले यूनियन कार्यकर्ताओं के जागरूक प्रयासों के फलस्वरूप आंगनवाड़ी कर्मचारी जिनमें अधिकांश पढ़ी लिखी होती हैं और अपने काम की प्रक्रिया में उनमें संगठनात्मक योग्यताओं एवं क्षमता का विकास हो चुका होता है, भी न केवल अपनी खुद की यूनियनों के लिए बल्कि सीआइटीयू के लिए भी नए कार्यकर्ताओं की भर्ती का स्रोत बन सकती हैं। आंध्र प्रदेश में आंगनवाड़ी कर्मचारी लगभग 200 मण्डल समितियों जो राज्य में सीआइटीयू की सबसे नीचे की इकाई होती है, की अध्यक्ष एवं महासचिव चुनी जा चुकी हैं। वे सीआइटीयू के आह्वानों को अमल में लाने में सक्रिय भूमिका निभाती हैं और सीआइटीयू के दूसरे सदस्यों को भी लामबंद करती हैं। कर्नाटक में आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की मांगों के लिए हाल ही में हुए संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन कामकाजी महिलाओं ने निःसंदेह अपनी कार्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। यदि उन्हें और अधिक जागरूक बनाया जाए और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए तो ये महिला कार्यकर्ता अपनी घरेलू कठिनाईयों पर काबू पा सकती हैं और श्रमिक आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं। आशा तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में काम करने वाली कामकाजी महिलाएं जिन्हें सीआइटीयू की ओर से पहले ही संगठित किया जा रहा है, अनेक राज्यों में सीआइटीयू के संगठनात्मक ढांचे में आई हैं, उनमें सीआइटीयू कार्यकर्ताओं के रूप में विकसित होने की पूरी क्षमताएं विद्यमान हैं।

इस सम्बन्ध में बीमा, बैंकिंग, राज्य एवं केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों, बीएसएनएल इत्यादि में सक्रिय सीआइटीयू के भ्रातश संगठनों के साथ सम्बन्ध रखने वाली महिला कर्मचारियों की ओर से अनेक राज्यों में कामकाजी महिलाओं के बीच सीआइटीयू के काम में सराहनीय योगदान दिया गया है। इसे रेखांकित किए जाने की जरूरत है। केरल, तमिल नाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक जैसे अनेक राज्यों में इन इन महिला कर्मचारियों ने कामकाजी महिलाओं की समन्वय समितियों के कामों में योगदान दिया है। तमिल नाडु, आंध्र प्रदेश तथा केरल जैसे कुछ दूसरे राज्यों में वे निर्माण, टेलरिंग, खाद्य प्रसंस्करण, खादी इत्यादि में काम करने वाली कामकाजी महिलाओं, आंगनवाड़ी कर्मचारियों, आशा कार्यकर्ताओं, मिड–डे मील वर्कर्स, लघु बचतें इकट्ठी करने वाली महिलाओं को सीआइटीयू के झण्डे तले संगठित करने में मदद दे रही हैं। तमिल नाडु और आंध्र प्रदेश में उनमें से कुछेक सीआइटीयू की जिल समितियों के लिए निर्वाचित हुई हैं। मध्य श्रेणी के लोगों से सम्बन्धित इन संगठनों की महिला कार्यकर्ताओं की सेवाओं का सदुपयोग कामकाजी महिलाओं को संगठित करने के काम में किया जा सकता है। ये महिला कार्यकर्ता न केवल इस काम के लिए अपना समय देती हैं बल्कि सीआइटीयू की गतिविधियों में भी नयी ऊर्जा का संचार करती हैं। स्पष्ट है कि वे अपने तौर पर सीआइटीयू तथा कामकाजी महिलाओं की समन्वय समितियों के लिए काम करेंगी और वह भी सीआइटीयू समर्थकों के रूप में न कि अपने–अपने संगठनों की प्रतिनिधियों के रूप में। आंध्र प्रदेश, तमिल नाडु तथा कर्नाटक का अनुभव दर्शाता है कि कामकाजी महिलाओं के बीच काम के लिए पूर्ण कालिक कार्यकर्ताओं को लगा देने से इस क्षेत्र में हमारी प्रगति में भारी सहायता मिलती है। जहां आंध्र प्रदेश में सीआइटीयू की राज्य एवं जिला समितियां पूर्ण कालिक महिला कार्यकर्ताओं को भत्ते प्रदान करती हैं वहीं तमिल नाडु राज्य समिति ने संगठित क्षेत्र में काम करने वाली यूनियनों से कामकाजी महिलाओं के बीच काम करने के लिए विशेष तौर पर फण्ड इकट्ठा किया है। सीआइटीयू की दूसरी राज्य समितियों को भी अपने–अपने राज्य की विशेष स्थितियों के अनुसार इसके लिए जरूरी प्रबंध करने होंगे। इसरो पहले जब कामकाजी महिलाओं की समन्वय समितियों का गठन करने के लिए कहा जाता था तो सीआइटीयू की अनेक राज्य समितियां आम तौर पर यह जवाब दिया करती थीं कि "उनके यहां कामकाजी महिलाए नहीं हैं", शायद उनका तात्पर्य यह होता था कि सीआइटीयू में महिला सदस्य बहुत कम हैं और वे उन

इलाकों में काम नहीं करतीं जहां कामकाजी महिलाओं की बड़ी संख्या होती है अथवा उनके पास कामकाजी महिलाओं के बीच काम करने के लिए महिला कार्यकर्ता नहीं है। किन्तु उस तरह की स्थिति में उल्लेखनीय बदलाव आ चुका है। अधिकांश राज्यों जिनमें अपेक्षाकृत कमजोर राज्य भी शामिल हैं, आज सीआइटीयू के झण्डे तले आंगनवाड़ी कर्मचारियों, आशा वर्कर्स, मिड–डे मील वर्कर्स इत्यादि की यूनियनें काम कर रही हैं; दूसरे शब्दों में कामकाजी महिलाओं की समन्वय समितियों का गठन करने की धुरी और उसके साथ–साथ लगभग सभी राज्यों में काम करने के लिए अच्छे कार्यकर्ता मौजूद हैं। जरूरत इस बात की है कि सीआइटीयू राज्य समितियां कामकाजी महिलाओं की समन्वय समितियों का गठन करने और काम की योजना बनाने के लिए जागरूक प्रयास करें। तमिलनाडु जैसे राज्यों का अनुभव दर्शाता है कि विभिन्न क्षेत्रों संगठित या असंगठित दोनों में कामकाजी महिलाओं की सामान्य मांगों को लेकर अभियान तथा आंदोलन चलाने से कामकाजी महिलाओं के बीच हमारे आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। ये अभियान तथा आंदोलन न्यूनतम वेतनों, समान वेतनों, प्रसूति लाभ, शिशु पलना गश्हो, यौन उत्पीड़न की रोकथाम इत्यादि सामान्य मांगों को लेकर चलाए जा सकते हैं। इन अभियानों से हमें विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली कामकाजी महिलाओं के साथ सम्पर्क स्थापित करने और उन्हें सीआइटीयू की ओर आकर्षित करने में मदद मिलेगी। अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है किन्तु इस महंगाई के अनुरूप वेतनों में बढ़ोतरी नहीं हो रही, कामकाजी तथा जीवन स्थितियां दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही हैं, ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमले किए जा रहे हैं, इन सब के चलते कामकाजी महिलाओं सहित सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग के लिए एक गम्भीर चुनौती पैदा हो गई है। स्थिति की मांग है कि हम अपनी पूरी ताकत जुटा कर अविश्वसनीय एवं अप्रतिष्ठित पूंजीवादी व्यवस्था पर जवाबी हमला करें। हमारा अनुभव दर्शाता है कि जब कभी सीआइटीयू ने इन समस्याओं को लेकर पहलकदमी की है तब–तब कामकाजी महिलाओं की ओर से उसका शानदार प्रत्युत्तर दिया जाता रहा है।

जरूरत इस बात की है कि हम महिलाओं की योग्यता और क्षमता को कम आंकना छोड़ें – न केवल पुरुषों बल्कि खुद महिलाओं की ओर से भी अपनी क्षमताओं को कम करके आंका जाता है – हम सीआइटीयू के सभी कार्यकर्ताओं के बीच कामकाजी महिलाओं को संगठित करने

के अपने लक्ष्य सम्बन्धी अपने दृष्टिकोण में सुधार लाएं। यह काम बहुत जरूरी है।

Annexure

% women in leadership of CITU in different states

Sl no	State	% in OB	% in WC	Sl no	State	% in OB	% in WC
1	AP	15.38	31.25	13	Kerala	6.66	5.33
2	Assam	11.11	20.83	14	MP	5.55	11.94
3	Bihar	-	-	15	Maharashtra	19.35	27.02
4	Chattisgarh	15.38	11.42	16	Orissa	8	11.53
5	Delhi	0	8.10	17	Punjab	-	-
6	Gujarat	-	-	18	Rajasthan	-	-
7	Haryana	10.52	12.24	19	Tamil Nadu	14.28	14.50
8	HP	17.64	28	20	Tripura	9.09	10.25
9	J&K	0	7.40	21	UP	-	-
10	Jharkhand	3.03	12.94	22	Uttarakhand	18.18	28.12
11	Karnataka	21.21	28.73	23	WB	6.66	9.09

Women elected to the decision making bodies in the 13th Conference of CITU -

Office Bearers – 20% (including a woman treasurer)
Working Committee – 9.37%
General Council – 10.65%

सुरक्षा, स्वास्थ्य व पर्यावरण

(नोटः इस कमिशन के सत्र में 296 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सत्र की अध्यक्षता सीआइटीयू के सचिव कामरेड कश्मीर सिंह ठाकुर ने की जबकि दस्तावेज का प्रस्तुतिकरण सीआइटीयू के सचिव कामरेड दीपंकर मुखर्जी ने किया। दस्तावेज पर बहस में 30 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 20 प्रतिनिधियों की ओर से लिखित में अपने सुझाव एवं विचार दिए गए। प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त किए गए लिखित एवं मौखिक विचारों में कामकाजी स्थलों में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मामले पर विभिन्न उद्योगों के उनके अपने अनुभव प्रतिबिम्बित होते हैं। उनके अनुसार अधिकांश स्थानों में प्रबंधन/सेवायोजक इन पहलू की अनदेखी करते हैं। वक्ताओं ने इस मामले में श्रमिकों की जागरूकता के निम्न स्तर और इसके लिए ट्रेड यूनियन पहलकदमियों के अभाव की चर्चा भी की गई। उनका कहना था कि कामकाजी स्थलों में नियमित रूप से स्वास्थ्य तथा सुरक्षा से जुड़ी स्थिति की मानिटरिंग नहीं होती। प्रतिनिधियों ने पर्यावरणीय मुद्दों पर भी अपने विचार व्यक्त किए और इस प्रश्न पर हमारा दृष्टिकोण क्या है, इस बारे में श्रमिकों शिक्षित करने के लिए और अधिक पहलकदमियां करने की जरूरत पर जोर दिया। प्रतिनिधियों की ओर से व्यक्त किए गए विचारों और दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए इस दस्तावेज में संशोधन किया गया है और इसे फिर से तैयार करके इसका प्रकाशन किया जा रहा है।)

अब वह समय आ गया है जब पेशागत स्वास्थ्य, सुरक्षा व प्रदूषण मुक्त पर्यावरण हासिल करने के संघर्ष में एक योजनाबद्ध सही समझ के आधार पर श्रमिकों को शामिल करने हेतु ट्रेड यूनियन्स नेतृत्वकारी भूमिका अदा कर एक वहनीय बढ़त हासिल करें। समूची दुनिया के साथ उसे सम्मानजनक काम के स्वरूपों व श्रमिकों व समाज की भलाई के संघर्ष के आधार को विकसित करने में खुद को और भारत के मजदूर वर्ग को शामिल करना होगा।

मेहनतकश वर्ग को प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के लिए प्रेरित करते हुए ट्रेड यूनियन आंदोलन को विकसित पूंजीवादी देशों की भूमिका तथा वैश्विक तापमान बढ़ाने में उनके उस योगदान के खिलाफ भी जबर्दस्त अभियान छेड़ना होगा, जिसके चलते पृथ्वी के अस्तित्व को ही खतरा पैदा हो गया है। सम्मानजनक काम के लिए संघर्ष के दौरान इस बात की भी सावधानी रखी जाना चाहिए कि इसका विकसित देश अपने देश के प्रदूषण को भारत जैसे तीसरी दुनिया के देशों को निर्यात करने के उद्देश्य से मजदूरों का शोषण नहीं कर सके और गैर औद्योगीकरण

के लिए मजदूरों का बहाना नहीं लिया जा सके। इसलिए कामकाज के हालात के लिए प्रदूषण मुक्त पर्यावरण, पेशागत स्वास्थ्य तथा सम्मानजनक कार्य के लिए संघर्ष ने अब एक ऐसे राजनीतिक संघर्ष का रूप ले लिया है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखता है।

एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष 120 लाख लोग पेशागत दुर्घटनाओं या कार्य आधारित बीमारियों से जान गवांते हैं। न्यूनतम अनुमानों के अनुसार भी प्रतिवर्ष 27 करोड़ पेशागत दुर्घटनाएं एवं 16 करोड़ पेशागत बीमारियों के प्रकरण सामने आते हैं (आई एल ओ 2009)। विकासशील देशों में श्रमिक मृत्यु व चोट के शिकार बनते हैं, क्योंकि यहां खेती, निर्माण, पेड़ काटने, मछली पकड़ने व खनन जैसे जोखिमपूर्ण गतिविधियों में बड़ी तादाद में लोग लगे हैं। पूरे विश्व में सबसे गरीब व सबसे कम सुरक्षित लोग, जो अमूमन महिला, बच्चे व प्रवासी होते हैं, सबसे अधिक प्रभावित होते हैं (आई एल ओ 2009)।

कामकाजी लोगों एवं उद्योगों के आसपास रहने वालों के लिए एक स्वस्थ्य कार्य वातावरण उद्योग की एक प्राथमिक जरूरत है। ऐसा स्वच्छ कार्य वातावरण उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी नियोक्ता की है। उद्योग में सुरक्षा सभी की जबावदारी है तथा सभी स्तरों के कर्मचारी भी सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार है। परंतु बुनियादी जिम्मेदारी नियोक्ता / प्रबंधन की ही है क्योंकि माल या सेवा के उत्पादन के लिए पूरी गतिविधियों की योजना, कार्यविधिक निर्धारण व नियंत्रण वे ही करते हैं।

औद्योगिक स्वास्थ्य व पेशागत स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता

कार्य वातावरण के उन बिंदुओं की पहचान, आंकलन व नियंत्रण जो व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा व कार्यक्षमता पर विपरीत प्रभाव डालती है, के लिए वैज्ञानिक व तकनीकी समझ को हम औद्योगिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। आमतौर पर इंसान विभिन्न कीटाणु व विषाणुओं के आक्रमण के चलते बीमार पड़ता है। परंतु एक और बीमारी है जो सीधे तौर पर उनके पेशे से जुड़ी होती है। अत: यह जरूरी है कि पेशे विशेष की गहराई से जांच पड़ताल के जरिए पेशागत बीमारियों के कारणों को उजागर किया जावे

साधारणत: यह कहा जाता है कि हर व्यवसाय के अपने खतरे होते हैं। यदि इन पर ठीक से ध्यान नहीं दिया जाए तो फिर पेशागत बीमारियां पैदा होना तय है, जिसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से इससे जुड़े कामगारों पर ही होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्रतिवर्ष पूरे विश्व में 6.8

करोड़ से 15.7 करोड़ औद्योगिक श्रमिक पेशागत बीमारियों के शिकार बनते हैं। इनमें से 10 प्रतिशत स्थायी रूप से अपंग हो जाते हैं तथा 1 प्रतिशत अर्थात लगभग 6 से 15 लाख लोग प्रतिवर्ष पेशागत बीमारियों से मौत के मुंह मे चले जाते हैं। इससे हमें समझ में आना चाहिए कि क्यों पेशागत खतरों के इस विशेष रूख के प्रति औद्योगिक श्रमिकों के बीच व्यापकतम प्रचार अभियान चलाया जाना जरूरी है।

अगर हम पेशागत बीमारी के मूल कारण तक जाना चाहते हों तो हमें उस पेशे या कार्य से जुड़े वातावरण को भी समझना होगा। अगर दिन में 8 घंटे व वर्ष में 300 कार्यदिवस के हिसाब से देखें तो एक औद्योगिक श्रमिक को अमूमन अपने पूरे जीवनकाल में 1 लाख घंटे अपने पेशे से जुड़ा रहना पड़ता है। अब जिस कार्य वातावरण में उसे रहना पड़ता है वह शारीरिक रूप से उसके अनुकूल न हो तो फिर उस पर इसका गंभीर तथा विपरीत असर पड़ना लाजमी है।

साधारण व पेशागत बीमारियों में अंतर है। पेशागत बीमारियां उद्योग दर उद्योग में अलग अलग होती हैं। उदाहरणार्थ सीसा या पारा से काम करने वाला श्रमिक सीसा या पारे से जुड़ी बीमारी से प्रभावित होता है। वहीं धूल भरे वातावरण में कार्यरत श्रमिक धूल से जुड़ी बीमारियों से प्रभावित होते हैं। रसायन व तदनुरूप उद्योगों में कार्य करने से त्वचा रोग, बड़ी फैक्ट्रियों में शोर के कारण बहरापन, कपड़ा फैक्ट्रियों में न्यूमोकोमोसिस (फेंफड़े का रोग) आदि उद्योग आधारित पेशागत खतरों के कुछ उदाहरण हैं। ट्रेड यूनियनों को उद्योग विशेष के खतरों के बारे में श्रमिकों के बीच जागरूकता पैदा करनी होगी तथा सुरक्षा व बचाव के उपायो की जानकारी भी देनी होगी। सही मायनों में पेशागत बीमारी एक लाइलाज बीमारी होती है तथा श्रमिक अचानक ही बीमार नहीं पड़ जाता। आमतौर पर यह बीमारियां दवाई या सर्जरी से ठीक नहीं होती। पेशागत बीमारियों की यह विशेषता है कि अगर श्रमिक की शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाये तो फिर इन बीमारियों के चलते वह स्थायी रूप से अपंग, यहां तक मर भी सकता है।

पर्यावरण व श्रमिक

आमतौर पर पर्यावरणीय तनाव के चार प्रकार हैं, जो इसके प्रभाव में आए लोगों के लिए घातक हो सकते हैं। वे इस प्रकार हैं :-

अ) शारीरिक प्रभाष जैसे ताप, रोशनी, शोर, मशीनी व कंपन आदि। लगातार इस तरह के वातावरण में काम करने से श्रमिकों को कई तरह की पेशागत बीमारियां जैसे लू लगना, गरमी व पसीने के कारण शरीर में नमक की कमी के

कारण ऐंठन, कम रोशनी के कारण मोतियाबिंद या निस्टागमस तथा ध्वनि प्रदूषण के कारण आंशिक बहरेपन से पूर्ण बहरापन हो जाना। इसके अतिरिक्त भारी शारीरिक कार्य एवं खराब शारीरिक आसन के कारण गरदन की अकड़न, स्पोंडलाइटिस, चक्कर आना, उल्टी आने व थकावट की समस्या उत्पन्न होती है।

ब) रसायन, धूल, धुंआ, कोहरानुमा गैस व वाष्पीय वस्तुओं के संपर्क में रहने का प्रभाव :

1. दुनिया भर के तमाम रासायनिक कारखानों में 63000 से अधिक रसायनों का उपयोग जारी है। जिनके अनियंत्रित उपयोग के चलते श्रमिकगण कई पेशागत बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। यह बीमारियां साधारण त्वचारोग से शरीर के विभिन्न अंगों / प्रत्यंगों की समस्या, यहां तक कि उनके काम करना बंद होते तक की होती है। रासायनिक उद्योगों में कई तरीके की गैसे जैसे कार्बन मोनो आक्साईड, कार्बन डाई आक्साईड, हाईड्रो सायनिक एसिड, कार्बन डाई सल्फाईड, अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फाईड, सल्फरडाई आक्साईड आदि के खतरे विद्यमान होते हैं। स्वाभाविक रूप से अगर समुचित प्रतिरोधी इंतजाम नहीं किये गए या फिर अगर थोड़ी भी लापरवाही हुई, तो श्रमिक जहरीले गैसों के प्रभाव में आ सकता है, जिससे गंभीर पेशागत बीमारी हो सकती है।

2. कई घातक प्रभाव विभिन्न किस्म की धूल के कणों से होते हैं जिसके चलते धूल से होने वाली फेफड़ों की न्यूमोकानाईसिस अथवा पेशागत दमा जैसी बीमारी हो सकती है। कार्यस्थल पर कोयला, सिलिका या एस्वेस्टस की धूल से निरंतर प्रभावित होने के चलते श्रमिक इन रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। इस संबंध में पर्यावरणीय खतरे व खदानों की सुरक्षा का सवाल सब कुछ बयां करता है। विकसित देशों में कच्चे माल की बढ़ती मांग के साथ साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा व निजी पूंजी निर्माण की दौड़ के चलते भारत में कम लागत पर सघन खनन कार्य होने लगा है। यह कार्य नई नई खुदाई मशीनों एवं बढ़ी तादाद में श्रमिकों को लगाकर किया जा रहा है। कोयला खनन में ही न केवल इलेक्ट्रोमेग्नेट द्वारा संचालित निरंतर खनन यंत्र लगाए जा रहे हैं बल्कि 240 टन तक क्षमता वाले डम्पर भी लगाए जा रहे हैं। इन सबके लिए न तो उपयुक्त पर्यावरणीय बचाव उपकरण लगाये जाते और न ही ढांचागत परिवर्तन किये जा रहे। दसियों लाख ठेका श्रमिक खदानों में बगैर उचित सुरक्षा उपकरणों के कार्यरत हैं। मशीनों के रखरखाव में आ रही कमी भी दुर्घटना दर को बढ़ा रही है। खदानों की दुर्घटना व हताहत के प्रकारों में हो रहे परिवर्तन इस स्थिति को उजागर कर देते हैं। इस तथ्य की रोशनी में कि आज भी कोयला उत्पादन का अधिकांश नियंत्रण सरकारी

क्षेत्र की कोल इंडिया करती है, इसलिए हताहतों की संध्या घटी है, परन्तु इन दुर्घटनाओं में हताहत होने वालों में से 24 प्रतिशत ठेका श्रमिक हैं जो सबकी आंखें खोलने वाला तथ्य है। परंतु कोयले के अलावा अन्य खदानों में तो स्थिति ही पलट गयी है। ऐसी मोतों की घटनाएं जो सूचित ही नहीं की जाती हाल में भारी रूप से बढ़ गयी हैं। यह साफतौर पर निजी खनन व उसमें ठेका श्रमिकों की तादाद में वृद्धि का ही परिणाम है।

3. इसके अतिरिक्त कई ऐसे उद्योग हैं जो सीसा, पारा, निकल, क्रोमियम, केडमियम, अल्युमीनियम, मेंगनीज, टिन, फेरस आदि धातुओं व उनके अवयवों का उपयोग करते हैं। इन धातुओं के धुंए का मानव शरीर पर खास किस्म का प्रभाव होता है। जिससे धुंए का बुखार, श्वसन तंत्र पर प्रभाव, यहां तक कि केन्द्रीय तंत्रिका प्रणाली की खराबी और विभिन्न अंगों का कैंसर तक हो जाता है।

(स) माईक्रोआर्गनिस्म, एंजाईम आदि जैसे जैविक कारण : कई पेशों में उदाहरणार्थ स्वास्थ्य कर्मी, मछुआरों आदि के बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं के संपर्क में आने के कारण उनके बीमार हो जाने का हमेशा खतरा बना रहता है। एचआईबी/ एडस व हेपाटायटिस -बी जैसे रक्तवाहित रोग स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अब प्रमुख पेशागत खतरे बन गए हैं।

(द) विकिरण के खतरे : - आणविक ऊर्जा के उद्यमों जैसे नाभिकीय ऊर्जा संयत्रों आदि में कार्यरत श्रमिक व तकनीशियन आमतौर पर विकिरण के खतरे के शिकार हो जाते हैं। एक्स-रे तकनीशीयन भी एसे ही खतरे के संपर्क में रहते हैं। विकिरण के लगातार संपर्क में रहने के चलते कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी हो जाती है।

सामाजिक जिम्मेदारी का एसए8000 मानक : - यह एसए 8000 मानक संयुक्त राष्ट्रसंघ के मानव अधिकार के अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ (आई एल ओ) के विभिन्न सम्मेलनों में स्वीकृत प्रस्तावों के आधार पर बना है। एसए 8000 सुरक्षा व स्वास्थ्य के निम्न क्षेत्रों की जिम्मेदारी तय करता है:-

कार्यस्थल व सुरक्षा व स्वास्थ्य :- एक सुरक्षित व स्वस्थ कार्य का वातावरण उपलब्ध कराया जाए। चोट लगने से बचाव के कदम उठाये जाएं। नियमित स्वास्थ्य व सुरक्षा प्रशिक्षण श्रमिकों को दिया जाए। स्वास्थ्य व सुरक्षा पर खतरों का पता लगाने की व्यवस्था बनाई जाए। बाथरूम व स्वच्छ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो।

संगठित होने की स्वतंत्रता व सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार :- ट्रेड यूनियन बनाने व उसमें शामिल होने तथा सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार

का सम्मान किया जाए।

काम के घंटे :- इसके लिए बने कानूनों का पालन हो, पर किसी भी हालत में सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम न हो जिसमें प्रत्येक सात दिन में एक दिन का अवकाश शामिल हो। स्वैच्छिक ओवरटाइम के लिए बढ़ी हुई दरों पर भुगतान हो जो नियमित रूप से प्रति सप्ताह 12 घंटे से अधिक न हो। अगर सामूहिक सौदेबाजी के समझौते का हिस्सा हो तो ओवरटाइम अनिवार्य किया जा सकता है।

ट्रेड यूनियनों को अपने उद्योगों, विशेषकर छोटे उद्योगों के सुरक्षा आडिट के दौरान उपरोक्त दिशा निर्देशों के पालन पर जोर डालना चाहिए।

खतरों से बचाव व सुरक्षित उत्पादन को बढ़ावा :- इन खतरों के बावजूद खुद को असहाय समझने का कोई कारण नहीं है। लगभग सभी पेशागत बीमारियों को रोका जा सकता है। इसका अर्थ है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन को समस्त उपलब्ध ज्ञात जानकारी, मेधा व तकनीक को प्रभावी रूप से लागू कराने के लिए पूरी निष्ठा व शक्ति से प्रयास कर पेशागत बीमारियों के कारणों को लगभग पूरी तरह खत्म करने के लिए काम करना होगा।

विभिन्न वैज्ञानिक तकनीकों के जरिए अब यह संभव है कि उद्योग विशेष के वातावरण के खतरों के स्वरूप व विस्तार को पहचाना जा सके। इसलिए यह भी संभव है कि ऐसे बचाव के उपाय किए जाएं ताकि श्रमिकों को खतरे के प्रभाव से पूर्णत: बचाया जा सके। परन्तु नियोक्ताओं का ऐसे कदमों को लागू करने के प्रति नकारात्मक रवैया ही इसमें सबसे बड़ा रोड़ा है। ऐसे में ट्रेड यूनियन आंदोलन के अलावा और कोई नहीं हो सकता जो नियोक्ताओं को पेशागत बीमारियों को पैदा करने वाले कारणों का उन्मूलन करने के लिए मजबूर कर सके।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा तथा विधान

वर्ष 1923 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा एसोसिएशन की स्वतंत्रता विषय पर प्रतिज्ञा को कन्वेंशन स्वीकार किया गया तथा इसी तारतय में इसको दृढ़ता प्रदान करने के लिए वर्ष 1948 में एक और प्रतिज्ञा पारित की गयी। इन दोनों प्रतिज्ञाओं के बाद औद्योगिक स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा पेशागत बीमारियों पर कई प्रतिज्ञायें तथा अनुशंसाएं स्वीकार की गईं। इस प्रकार की प्रतिज्ञाओं (कन्वेंशन्स) की कुल संध्या 14 थी। भारत सरकार ने इन प्रतिज्ञाओं पर हुई चर्चाओं में भाग लेते हुए जेनेवा में इन प्रतिज्ञाओं के समर्थन में मत भी दिया लेकिन दुर्भाग्यवश स्वीकृत अनुशंसाओं में से आज तक केवल - की ही उसने पुष्टि की है। प्रतिज्ञा

क्रमांक 155 एवं 176 की पुष्टि नहीं किया जाना सबसे अधिक विचलित करने वाली बात है क्योंकि ये ही अन्य अनुशंसाओं को आधार प्रदान करती हैं। हाल ही में हुई बैठक में भारत सरकार द्वारा एक सुझाव दिया गया कि यदि श्रमिक संगठन प्रतिज्ञा 155 एवं 176 को आंशिक रूप से स्वीकृति हेतु तैयार हों तो इनकी पुष्टि पर विचार किया जा सकता है। सीआईटीयू ने इसे एक सिरे से खारिज कर दिया।

इसी संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय केमिकल एनर्जी फैडरेशन, खनन, जनरल वर्कर्स तथा विभिन्न देशों के श्रमिक संगठन जिनमें भारत के श्रमिक संगठन भी शामिल हैं ने प्रतिज्ञा क्रमांक 176 की पुष्टि के समर्थन में मजदूरों को लामबंद करना शुरू कर दिया। हाल ही में 28-30 अक्टूबर को इंटक तथा सीटू से संबंद्ध फैडरेशनों द्वारा इस विषय पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। जिसमें अन्य भारतीय फेडरेशन्स, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ एनर्जी, खनन तथा जनरल वर्कर्स के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। सम्मेलन ने प्रतिज्ञा की पुष्टि को मजदूरों की प्रमुख मांग के तौर पर केन्द्रित करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम भी बनाया है।

कागजी अधिनियम

पेशागत दुर्घटनाओं से श्रमिकों के बचाव के लिए भारत में लंबे समय से कानून विद्यमान हैं। फैक्ट्री एक्ट 1948 के चेप्टर III IV IVa, V में सुरक्षा तथा कल्याण के प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई कानून हैं - जैसे माईन्स एक्ट 1952, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, एक्सप्लोसिव एक्ट 1884, पैट्रोलियम एक्ट 1934 , इनसेक्टिसाईड एक्ट 1968 इंडियन वायलर्स एक्ट 1923, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910, डेन्जरस मशीन (रेगुलेशन) एक्ट 1983, इंडियन एटोमिक एनर्जी एक्ट 1962, रेडियोलोजिकल प्रोटेक्शन रूल्स 1971 तथा मैन्यूफेक्चर भंडारण तथा खतरनाक केमिकल्स आयात रूल्स 1989, डोक वर्कर्स एक्ट 1986 तथा बिल्डिंग एंड वर्कर्स कन्स्ट्रक्शन एक्ट 1996 आदि। प्रभावित मजदूर वर्क्समेन कांपेन्सेशन एक्ट के तहत क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है तथा राज्य कर्मचारी बीमा एक्ट के अंतर्गत उपचार सुविधा भी प्राप्त कर सकता है।

श्रम मंत्रालय केवल चार उद्योगों की सांख्यिकी उपलब्ध कराता है। वास्तव में कर्मचारियों की सुरक्षा के संबंध में केवल चार केन्द्रीय अधिनियम ही हैं :- जिनमें फैक्ट्री एक्ट 1948 जो फैक्टरीज एवं वर्कशाप के लिए है, माईन्स एक्ट 1952 - जो सिद्धांत: स्टोन माईन्स या खदान के लिए है, डोक वर्कर्स

(सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण) एक्ट 1986 बन्दरगाहों के लिए तथा बिल्डिंग एवं अन्य निर्माण वर्कर्स (रोजगार तथा सेवा शर्तों के अधिनियम) एक्ट 1996 निर्माण मजदूरों के लिए है।

आधुनिक युग में विशाल कारखानों में बड़े स्तर पर उत्पादन होता है जिनमें हजारों मजदूर एक साथ काम करते हैं। औद्योगिक संस्थानों में दुघर्टनाएं सामान्य बात है। यह पाया गया है कि लगभग 98 प्रतिशत दुर्घटनाएं मानवीय चूक के कारण होती हैं। जिनमें से अधिकांश बिना सुरक्षा कवच वाली मशीनों, कार्यस्थल पर मौजूद असुरक्षित ढांचे तथा असुरक्षित और खतरनाक औजारों के कारण घटित होती हैं। इसके संबंध में श्रमिकों के बीच व्यापक शिक्षा आवश्यक है जो तभी संभव है जब ट्रेड यूनियन्स इसमें भागीदारी करें।

फैक्ट्री एक्ट केवल उन्हीं जगह प्रभावशील रहता है जहां विद्युत या अन्य पावर के इस्तेमाल के साथ दस लोग काम करते हों अथवा यदि पावर का इस्तेमाल नहीं होता है तो जहां 20 लोग काम करते हों। परिणामत: एक्ट की परिधि से बड़ी संख्या में वर्कशाप बाहर रह जाते हैं। कई क्षेत्र जिन्हें फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत कराना चाहिए, ऐसा नहीं करते। इस कानून के अमल का जिम्मा राज्य सरकारों पर है। इसलिए ट्रेड यूनियनों को यथासंभव एसे अधिक से अधिक संस्थानों को फैक्ट्री एक्ट के अधीन लाये जाने के लिए राज्य सरकारों पर दबाब बनाना चाहिए ताकि कामगारों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। उदाहरणार्थ 31 मई 1999 को नई दिल्ली के जिस एक गौदाम में विस्फोट के कारण 48 लोगों की मौत हो गई थी उसके पास केमिकल संग्रह का लाइसेंस ही नहीं था। मरने वालों में कई ऐसे लोग थे जो गोदाम में काम नहीं करते थे और संयोगवश वे उसके नजदीक थे। एक दशक पश्चात 1 मई 2009 को इसी तरह की एक दुघर्टना में 30 कामगार खतरनाक केमिकल्स का उपयोग करने वाली लाखानी शू फैक्ट्री फरीदाबाद में मारे गये। निर्माण क्षेत्र में अधिनियम प्रभावशील होने के बावजूद बाल्को कोरबा में निर्माणाधीन चिमनी गिरने के कारण 41 कामगार मारे गये और 20 से अधिक कोटा राजस्थान में निर्माणाधीन पुल के गिरने से मारे गये। एसी दुर्घटनाओं में मलबे में मृतकों के दब जाने के कारण वास्तविक मृतकों की संख्या क भी भी ज्ञात नहीं हो पाती।

पर्यावरणीय अधिनियमों के तहत मालिकों को सौंपे गये दायित्वों का समुचित पालन नहीं किया जाता। जैसे कि एयर अधिनियम 1981 के अंतर्गत गैसीय धुओं की देखरेख, वाटर अधिनियम 1974 के अंतर्गत विषैले मलवे की देखरेख और भारत में लघु उद्योग इकाइयों में एनवायमेंट प्रोटक्शन एक्ट 1986

का अमल नहीं होता। ईपीए 1986 के तहत खतरनाक केमिकल के निर्माण सामग्री भंडारण तथा आयात संबंधी नियमों के तहत निम्न कदम उठाये गये हैं।

1. बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने तथा कामगारों एवं पर्यावरण पर उनके प्रभाव को सीमित करना।

2. कार्यस्थल पर कार्यरत कामगारों को सूचना, प्रशिक्षण तथा उपचार हेतु विषरोधी दवाओं सहित सभी सुरक्षा संबंधी साधन उपलब्ध कराना।

कई उद्योगों में विशेष तौर पर भारत में लघु स्तर की औघोगिक इकाइयों में प्रबंधन कामगारों को समुचित प्रशिक्षण नहीं देता, और स्थिति यह है कि कार्यस्थल पर आवश्यक विषनाषक उपचार व्यवस्था उपलब्ध ही नहीं रहती है। पंजीकृत इकाइयों में भी स्थिति को भयावह ही कहा जा सकता है। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश के सुल्तानपुरा के स्लेट-पेंसिल कारखाने में काम करने वाले चार में से केवल एक कामगार ही जीवित बच पाता है। चूंकि वर्क शेडस में काम करते हुए वे पेंसिल बनाने के लिए स्लेट के टुकड़े करते हैं जिससे सिलिका डस्ट उड़ती है जिससे कामगार सिलकोसिस से ग्रसित हो जाता है।

ऐसे अनगिनत साधन मौजूद हैं जिनसे फैक्ट्री एक्ट की परिधि में न आने वाले वर्कशॉप तथा दूसरे कार्यस्थल पर भी मरने वाले शहरी श्रमिकों की संख्या ज्ञात की जा सकती है । हम सभी जानते हैं कि भारत में लघु उद्योगों की विशाल संख्या है, तथा इस क्षेत्र में बड़े उद्योगों की अपेक्षा दुर्घटनाओं की ऊंची दर होती है लेकिन दुर्घटनाओं के संबंध में कम अथवा बिल्कुल रिपोर्ट न करना ऐसे कुछ तथ्य हैं, जो सर्वविदित हैं।

इन सब तथ्यों को संज्ञान लेते हुए कारखानों व कार्यस्थलों पर मरने वाले श्रमिकों की संख्या का आंकलन करते हुए श्रमिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ स्टर्लिंग स्मिथ ने 2001 में अपने एक लेख में लिखा था कि ''भारत में काम करते हुए प्रति पांच मिनिट में एक कामगार की मौत हो जाती है। जो कि प्रतिमाह एक भोपाल के बराबर है।'' भोपाल से उनका आशय भोपाल गैस त्रासदी से है, जिसने 25 वर्ष पूर्व एक साथ 3500 लोगों की जान ले ली थी। जिस तरह का जंगलराज आज देश के श्रमिक जगत के लिए लागू है उस लिहाज से यह आंकड़ा वर्तमान में कई गुना अधिक ही होगा।

निरीक्षण व्यवस्था तथा सुरक्षा आडिट का ध्वस्त होना

उदारवाद के हावी होने तथा निजी उद्योगों के कुकुरमुत्ते की तरह उगने के

साथ एक के बाद एक आने वाली सरकारों द्वारा निरीक्षण व्यवस्था को कमजोर किया जाता रहा है। निरीक्षण के अभाव में धीरे-धीरे देश में किसी भी प्रकार का सुरक्षा आडिट ही समाप्त हो गया। यहां तक कि रेल्वे में भी ऐसे आडिट की व्यवस्था नहीं रही। बहुधा दुर्घटनाओं की सूचना नहीं दी जाती है और यह सब जानते हैं कि इनमें सर्वाधिक ठेका मजदूर ही शिकार बनते हैं। खदानों में तो दुर्घटना के बाद ही निरीक्षण होता है। दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति के बावजूद भारत में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ किसी दण्ड की कार्यवाही कम ही देखने को मिलती है।

ट्रेड यूनियनों की भूमिका

कहने को तो देश में कानूनी ढांचा विद्यमान है, लेकिन यह मोटे तौर पर अप्रभावी ही है। नियोक्ताओं में आमतौर पर जानबूझकर कानूनों, नियमों के उल्लंघन तथा प्रावधानों की अनदेखी करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यह श्रमिक संगठन ही हैं जो प्रबंधन पर सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी नीति बनाने तथा उसे अमल में लाने के लिए दबाब डाल सकते हैं। विश्व स्तर पर उपलब्ध तमाम अध्ययनों से यह साबित होता है कि कार्यस्थलों पर कामगारों तथा प्रबंधन के बीच विचार-विमर्श की प्रक्रिया की मौजूदगी से स्वास्थ्य तथा सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होती है। जहां-जहां ट्रेड यूनियनों को पूर्णत: मान्य किया गया है और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा समितियां बनायी गयी हैं वहां गंभीर दुर्घटनाओं की दर उन जगहों से कम होती हैं जहां यूनियनों को मान्य नहीं किया गया।

विभिन्न कानूनी नियामकों के माध्यम से कानूनों का पालन कराना राज्य सरकारों का उारदायित्व होता है। वर्ष 1991 में सुधार राज के आगाज के साथ ही केन्द्र तथा राज्य सरकारें निवेश को बढ़ावा देने के नाम पर नियोक्ताओं के दबाब में कानूनों को लागू करने वाली मशीनरी को ही ध्वस्त कर अपने दायित्व से पल्ला झाड़ने में लगी हैं। श्रम कानूनों जिनमें सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी नियम भी सम्मिलित हैं का बड़ी बेशर्मी से उल्लंघन किया जा रहा है। सरकारों की मौन स्वीकृति और समर्थन के चलते संगठन बनाने के अधिकार से इंकार किया जा रहा है। इन बुनियादी मुद्दों को सीटू तथा अन्य श्रमिक संगठनों ने मजदूर वर्ग के लिए मुख्य चुनौती के रूप में स्वीकार किया तथा कार्य स्थल पर सुरक्षा, स्वस्थ्य वातावरण सुनिश्चित किए जाने का मुद्दा मजदूर आंदोलन का अभिभाज्य अंग बन गया है।

2005 में किए गए एक अनुमान के अनुसार आयरनओर का उत्पादन व्यय बमुश्किल 350 रूपये प्रति टन आता है, जबकि विक्रय मूल्य 2150 रूपये प्रति टन तथा स्पंज या पिग आयरन जो कि इसी आयरनओर से निर्मित होता है, का विक्रय मूल्य क्रमश: 12 हजार, 16 हजार तथा 18 हजार प्रति टन है। इस प्रकार उद्योगों के मुनाफों को बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। इस मुनाफे के मामूली हिस्से से उद्योग के वातावरण में आमूलचूल परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए मजदूर आंदोलन के लिए यह आवश्यक है कि पेशागत दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नियोक्ताओं पर समुचित व जरूरी कदम उठाने के लिए दबाव बनाने के लिए मजदूरों तथा जनता को वे जागरूक बनाएं।

श्रमिक संगठनों को केवल वेतन बढ़ोत्तरी तक ही अपने को सीमित नहीं रखना चाहिए। काम के लिए सुरक्षित वातावरण की मांग तथा कारखानों में हो रहे नियमों के उल्लंघन की जानकारी वैधानिक संस्थाओं व प्रशासन की जानकारी में लाना भी उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। श्रमिक संगठनों को अपने सदस्यों को सुरक्षा के संबंध में शिक्षित करने तथा सुरक्षित उत्पादन प्रक्रिया को लेकर प्रोत्साहित करने का दायित्व अपने ऊपर लेना होगा। इसलिए स्पष्टत: कहा जा सकता है कि जब तक संबंधित मजदूरों को पर्यावरण, सुरक्षा, पेशागत स्वास्थ्य देखरेखके संबंध में समुचित रूप से शिक्षित नहीं किया जाता तब तक इस इस कठिन लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आज सरकारें मुनाफे को सुरक्षा पर हावी होने की छूट दे रही हैं। इसलिए ट्रेड यूनियन आंदोलन के समक्ष आज सबसे बड़ा काम पेशागत स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं औद्योगिक सुरक्षा के प्रति जागरूकता पर जोर देना होना चाहिए।

कार्ययोजना

दैनिक कार्य के परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सम्मानजनक कार्य की संकल्पना दी गई है। भारत जैसे देश में जहां भीषण गरीबी में लोग रहने को विवश हों वहां मानवीयता को अभी भी अपनी जमीन खोजना है क्योंकि अभी भी सामंतवादी सोच मालिकों के प्रबंधनीय व्यवहार को संचालित करता है। सम्मानजनक कार्य का विचार अमल में तब तक नहीं आयेगा जब तक श्रमिक संगठन साझा समझ के आधार पर समग्र ट्रेड यूनियन आंदोलन में इस मुद्दे को शामिल नहीं करते। एक बार जैसे ही सम्मानजनक व सुरक्षित कार्य का मुद्दा प्रमुखता से सामने आ जावेगा सुरक्षा का सवाल तो अपने आप हल हो जायेगा।

इसलिए इस बात के लिए दृढ़ता से प्रयास किया जावे कि सुरक्षा का प्रश्न सांगठनिक ढांचे में संस्थागत रूप ले ले। इसलिए सीटू को अन्य संगठनों को साथ ले निम्न आधार पर कार्ययोजना बनाना चाहिए:-

◆ आईएलओ कन्वेंशन 155 और 176 की पुष्टिकरण के लिए सरकार पर दबाब डालना।

◆ चूंकि सभी दुर्घटनाओं की नियोक्ताओं द्वारा रिपोर्ट नहीं की जाती है इसलिये दुर्घटना संख्या कम अनुमानित की जाती है।

◆ चूंकि सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर सजा अपर्याप्त है इसलिए वह इसे रोकने में असफल है।

◆ सुरक्षा निरीक्षकों का चुनाव कामगारों द्वारा होना चाहिए। वे समुचित रूप से प्रशिक्षित हो तथा उनके सुझावों पर प्रबंधन को अमल करना चाहिए।

◆ कार्यस्थल तथा कारखाना स्तर पर संयुक्त सुरक्षा कमेटिया बनाई जानी चाहिए और उनके निर्णयों पर सख्ती से अमल होना चाहिए।

◆ प्रत्येक कारखाने से संबंधित पेशागत बीमारियों की विधिवत पहचान की जानी चाहिए तथा कामगारों का पूर्ण पुर्नवास सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

◆ यदि कार्य स्थितियां कार्य करने योग्य न हों तो कामगार को काम के लिए मना करने का अधिकार होना चाहिए ।

◆ यदि संस्थान में रसायनों का उपयोग होता है तो उसके खतरों की पूर्ण जानकारी श्रमिकों को दी जानी चाहिए। तथा इन खतरों हेतु समुचित सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित किए जाने चाहिए।

◆ वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ताओं द्वारा कामगारों के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा संबंधी खर्चों में भीषण कटौती की जा रही है और सरकारें मूकदर्शक बनी हुई हैं। इसके चलते स्वास्थ्य और सुरक्षा की दशा बदतर हो रही है, इसका प्रतिरोध होना चाहिए।

न्यूज़ मीडिया और मज़दूर वर्ग

(नोटः इस कमिशन के सत्र में 330 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सत्र की अध्यक्षता सीआइटीयू के अध्यक्ष कामरेड ए के पद्मनाभन ने की जबकि सीआइटीयू के सचिव कामरेड स्वदेश देव राय ने दस्तावेज का प्रस्तुतिकरण किया। सीआइटीयू के दूसरे सचिवगण सर्वसाथी एम एम लारेंस, काली घोष, जी एल बजाज तथा एस वीरैय्या ने भी कमिशन की कार्रवाई में भाग लिया। अध्यक्ष की ओर से कमिशन दस्तावेज पर संक्षेप में विचार व्यक्त किए जाने के बाद रिपोर्टर स्वदेश देवराय ने दस्तावेज को प्रस्तुत किया। भले ही उनका सम्भाषण बहुत संक्षिप्त था तथापि उन्होंने फ्लोर स्तर पर श्रमिक आंदोलन के और अधिक हस्तक्षेप पर जोर दिया था। दस्तावेज पर बहस में 35 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जबकि 26 प्रतिनिधियों ने लिखित में अपने विचार पेश किए।

बहस में भाग लेने वाले साथियों ने समाचार माध्यमों (मीडिया) के साथ अपने अनुभवों पर प्रकाश डाला और उनकी ओर से समाचार माध्यमों और श्रमिक आंदोलन के विभिन्न पहलुओं पर ठोस सुझाव दिए गए। तथापि कमिशन में इस विशेष विषय को बहस के लिए चुने जाने की सामान्य रूप से प्रतिनिधियों द्वारा सराहना की गई। कुछेक लिखित सुझावों में भी इस बात की सराहना की गई थी। उनमें से कुछेक टिप्पणियां इस प्रकार थीं, *"इस विषय को समझने के लिए हमारे साथियों ने बहुत शानदार और शिक्षा दायक दस्तावेज तैयार किया है"; "यह दस्तावेज बहुत अच्छा है और इसमें समाचार जगत पर पूरी गहराई में जाकर प्रकाश डाला गया है; यह विश्लेषणात्मक तथा अत्यंत शिक्षाप्रद है;" "मैं समझता हूं कि यह दस्तावेज बहुत सूचना परक और शिक्षाप्रद है;" "कमिशन का दस्तावेज बहुत शिक्षाप्रद है। मैं कमिशन के लिए इस दस्तावेज का चयन करने के लिए केन्द्रीय सचिव मण्डल की सराहना करता हूं।"*

इस विषय की अवधारणा के साथ–साथ वर्तमान स्थिति और दस्तावेज की स्थापनाओं का कमिशन के सत्र में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने व्यापक रूप से अनुमोदन किया। इसमें संदेह नहीं कि कुछ विशेष बिन्दुओं पर प्रतिनिधियों की ओर से दिए गए कुछ सुझावों को इस कमिशन में जोड़ दिया गया है और उसके एक–दो नोट्स दिए गए हैं तथापि यह उल्लेख करना हास्यास्पद होगा कि इस दस्तावेज को बारीकी से पढ़े न जाने के कारण सम्बन्धित साथियों द्वारा दिए गए

सुझावों पर इसमें चर्चा नहीं की गई या उनका समावेश दस्तावेज में नहीं किया गया, वास्तविकता तो यह है कि उन सुझावों पर पृष्ठभूमि दस्तावेज में पहले ही समुचित चर्चा कर ली गई थी। उदाहरण के लिए, "पैसे देकर लगवाए गए समाचार" तथा "चुनावों के समय धन की ताकत के उपयोग" के मुद्दे को कमिशन दस्तावेज में जोड़ने का सुझाव दिया गया था। इस मुद्दे को "मीडिया की नैतिकता का पतन" शीर्षक के अन्तर्गत पहले ही लिया जा चुका था। इसी प्रकार वामपंथी राजनीति तथा वाम मोर्चा सरकारों पर हमले और नंदीग्राम एवं सिंगूर की घटनाओं पर "वामपंथी राजनीति पर मीडिया का प्रहार" शीर्षक अन्तर्गत विचार किया गया है। इसके बाद समाचार माध्यमों में काम करने वाले कर्मचारियों की शोषणकारी स्थितियों पर "भारत में पत्रकारों की शोचनीय स्थिति" शीर्षक के अन्तर्गत विस्तार में चर्चा की गई है।

बहस में भाग लेने की प्रक्रिया में साथियों ने प्रतिनिधियों के साथ अपने अनुभवों की चर्चा की गई और उनकी ओर से ठोस सुझाव भी दिए गए। इनके मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं:

◆ नैगम घरानों के बंधुआ प्रचार माध्यमों के खिलाफ अथक अभियान चलाने की आवश्यकता और उनके वर्गीय शत्रुतापूर्ण रुख को बेनकाब करना।

◆ हमें समाचार पत्रों के कर्मचारियों तथा उनकी ट्रेड यूनियनों के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखने चाहिएं और प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया में काम करने वाले कर्मचारियों को संगठित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिएं।

◆ सीआइटीयू की वैबसाईट में दिए जाने वाले विषयों को व्यापक बनाया जाए और उन्हें साथ ही साथ आद्यतन किया जाए। देश के भीतर और देश के बाहर हमारी वैबसाईट अधिक से अधिक लोगों के बीच पहुंचे इसके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। यही नहीं, देश में हमारी दूसरी मित्र औद्योगिक फैडरेशनों की वैबसाईट्स के साथ यह वैबसाईट जोड़ी जाए।

◆ हमारी अपनी "केन्द्रीय न्यूज एजेंसी" की स्थापना करने का सुझाव दिया गया तथा "आइएनएन" की क्षमता की जरूरत पर जोर दिया गया।

◆ जहां अनेक साथियों का सुझाव था कि सीआइटीयू को एक राष्ट्रीय टी वी चैनल शुरू करना चाहिए, यह विचार भी आया कि हमें इसके लिए

पहलकदमी करने से पहले इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार विमर्श करना चाहिए।

◆ अनेक साथियों ने सुझाव दिया कि हमारी पत्रिकाओं में प्रकाशित विषयों तथा पत्रिकाओं की साज सजजा की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए। राज्य समितियों की ओर से सीआइटीयू पत्रिकाओं के सम्पादकों की नियमित बैठकों का आयोजन किया जाना चाहिए। पत्रिकाओं के पृष्ठ बढ़ाने, प्रकाशन अवधि को मासिक के स्थान पर पाक्षिक करने और आखिरकार उन्हें साप्ताहिक पत्रिकाएं बनाने; विभिन्न ऐतिहासिक अवसरों पर आयोजित कार्यक्रमों पर विशेष संस्करण निकालने के सुझाव भी दिए गए। कुछ साथियों ने अपना टीवी चैनल शुरू करने के सुझाव को अस्वीकार कर दिया।

◆ कमिशन में भाग लेने साथियों की ओर से तथाकथित "प्रेस की स्वतंत्रता" के दुरुपयोग को रोकने के लिए मीडिया के लिए कठोर नियम बनाने का सुझाव भी दिया।

हमने "बहस के प्रमुख बिन्दु" विषय के अन्तर्गत पृष्ठभूमि आलेख में इससे जुड़े छः बिन्दुओं की पहचान की है और प्रत्येक बिन्दु पंर अलग से विस्तार में चर्चा की है। अब हमारे साथियों ने जो कदम उठाने का सुझाव दिया था और इस तरह उन्होंने जो योगदान दिया था, को कम या अधिक पृष्ठभूमि आलेख में दे दिया गया है। इसलिए दस्तावेज के कार्यकर (operative) भाग में कमिशन सत्र में बहस के समय प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों को एक साथ जोड़ा गया है ताकि कमिशन की पूरी कार्रवाई के परिणामों के आधार पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा सके।)

कमिशन पेपर

मीडिया की नैतिकता का पतन

जर्मन विचारधारा में मार्क्स तथा एंगल्स ने लिखा है, "हर युग में शासक वर्ग के विचार प्रभुत्वकारी विचार होते हैं यानी जो वर्ग समाज की भौतिक शक्ति पर आधिपत्य रखता है । वह वर्ग समाज की बौद्धिक शक्ति पर भी शासन करता है । जिस वर्ग के पास भौतिक उत्पादन के साधन होते हैं वह उसी के साथ मानसिक उत्पादन के साधनों को भी नियंत्रित करता है ।"

परिचय

परिभाषा के अनुसार मीडिया वो साधन हैं जिसके द्वारा आम जनता मे खबरें आदि का संचार पहुँचाया जाता है जिससे आपसी संवाद का वातावरण बनें । *" इस परिभाषा के अनुसार , मोटे तौर पर व्यापक मीडिया या Mass Media के प्रमुख रूप हैं –अखबार , टेलिविजन , रेडियो , सिनेमा और इनमें हाल में इटंरनेट शामिल हो गया है ,"*

इस लेख में हम मूलतः समाचार से सबंधित मीडिया, जैसे अखबार और टेलिविजन, पर ध्यान केंद्रित करेगें । यहॉ यह कहना जरूरी है कि 'नई खबरों ' की जो नई संकल्पना सामने आई है उसमें email, sms या मोबाईल फोन द्वारा भेजे गये संदेश अन्य साधन (multi-media), blogging या इंटरनेट पर अपने विचार प्रकट करना इत्यादि भी काफी लोकप्रिय हो रहें हैं ।

हाल ही में वामपंथी विचारधारा और ट्रेड यूनियनों को मीडिया में कुछ तूल दिया जा रहा है । इस वजह से वामपंथी और जनवादी नेतफ्त्व तथा ट्रेड यूनियन नेतृत्व के बीच एक भूल धारणा बन गई है कि मीडिया के चरित्र में कुछ बदलाव आ रहा है । इस कारण से हमारे आंदोलन के कई कार्यकर्ता भी इसी धारणा और भ्रम का शिकार हो रहें है । ऐसी गलत धारणा मूल रूप से इस लिये पैदा हो रही है क्योंकि मीडिया मालिकों के वर्ग चरित्र के बारे में अभी भी कोई साफ़ सोच नही हैं और ना ही वर्ग–विभाजित पूंजीवादी समाज में मीडिया की एक तरफा भूमिका के बारें में कोई सही समझ हैं ।

टी0वी0 चैनलों को कुछ 'साऊंड बाईट' देने की प्रकिया में हमें यह नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि मज़दूर वर्ग के बारे में खबरें दिखानें की आढ़ में मीडिया का मक़सद मज़दूर –प्रेम नहीं बल्कि आम लोगों के बीच मज़दूर संघर्षो की एक नकारात्मक छवि पेश करना है और वामपंथी और प्रगतिशील मजदूर संघर्षो के प्रति आम जनता के मन में कड़वाहट पैदा करना ।

ट्रेड युनियन संघर्षो की नकारात्मक छवि

जब भी अखबारों या टी0वी0 पर किसी हड़ताल की खबर दी जाती है तो इस बात पर ज्यादा जोर दिया जाता है कि जनता को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी, उत्पादन का कितना भारी नुकसान हुआ या सरकार को कितना घाटा हुआ। कभी भी यह खबर नहीं दी जाती कि आखिर हड़ताल का कारण क्या था। मालिकों की

दादागिरी और उनका मज़दूरों के साथ बातचीत करने से इन्कार आदि का कोई जिक्र तक नहीं होता । मज़दूरों और कर्मचारियों के प्रति मालिकों का प्रतिशोध और डराने–धमकाने व आतांकित करने के बारें में मीडिया कोई टिप्पणी नहीं करती ।

बदक़िस्मती से रोजगार और जीविका से जुड़ी समस्याएं गर्म खबर नहीं है जिन पर मोटी–मोटी सुर्खियां लिखी जाएं। ख़बर तभी बनती है जब मीडिया के पास ऑख फेरने की गुंज़ाईश नहीं रहती – जैसे 30 सितंबर की देश–व्यापी एक दिवसीय हड़ताल के दौरान देखा गया । ऐसे समय पर ख़बरे निष्पक्ष नहीं होतीं । 30 सितंबर को अग्रेंजी अख़बारों की कुछ सुर्खिया इस प्रकार थी । "वाम हड़ताल ने सबको मारा (टाईम्स ऑफ इंडिया), "हड़ताल ने उद्योग, बैंकिंग को अपंग बनाया (डेक्कन हेरल्ड), "हड़ताल ने उद्योग, व्यापार को मारा" (विजय टाईम्स)। न्यू इडिंयन एक्सप्रेस ने लिखा' एक दिन का नुकसान और उसके नीचे छोटे अक्षरों में 'बंद का मुद्दा ठीक पर देश का भारी नुकसान' द हिन्दू नामक अख़बार ने सीधे–सीधे लिखा' आम हड़ताल को नज़रअंदाज ही कर दिया, बस अंदर के एक पन्ने में भाजपा द्वारा वामपंथी पार्टियों का हड़ताल का समर्थन करने पर निंदा की खबर छापी। सिर्फ़ बगंलौर के अख़बार में ख़बर छापी कि हड़ताल को मिला–जुला समर्थन मिला ।

अगर गुड़गांव में होंडा मोटर साईकल के मजदूरों पर बर्बर लाठीचार्ज को अख़बार और टी.वी. ने सहानुभूतिपूर्ण तरीके से दिखाया तो सिर्फ इस वज़ह से कि वह घटना पुलिस अत्याचार की चरम सीमा को पार कर गई थी , जिसने न सिर्फ हड़ताली मज़दूरों बल्कि उनके परिवारों तक को नहीं छोड़ा ।

[Online: India Together]

मीडिया का पूंजी–प्रेम

मीडिया का स्वामित्व बड़े कारापोरटरों के हाथ में होने की वज़ह से पूंजीवादी वर्ग का इस पर पूरा नियंत्रण है। इस कारण से पूंजीवादी वर्ग अपने विचारों और मूल्यों को मीडिया का इस्तेमाल करके जनता पर थोपने का कार्य करते हैं । मीडिया का ढ़ांचा और विकास इसी पूंजीवादी वर्ग की राजनैतिक और व्यापारिक ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। हर रोज़ मीडिया हमें यह बताने की कोशिश करती है कि पूंजीवाद ही एक यर्थाथवादी रास्ता है और सरकार को गरीब वर्गो के लिए उठाए गए कदम वापस लेने चाहिएं क्योंकि ऐसा करके ही अमीर वर्ग पर लगे टैक्स कम किए जा सकते हैं। मजदूर वर्ग के हकों को नकारना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से ही आर्थिक विकास हो पाएगा ।

अर्थिक नव–उदारवाद के इस आकमण में, मीडिया ने हमेशा पूँजीवादी वर्ग का साथ दिया है और रात–दिन इस प्रचार में लगी हुई है कि वित्तिय पूँजी–प्रेरित साम्राज्यवादी वैश्वीकरण का कोई विकल्प नहीं हैं। दूसरी ओर उदारवाद, वैश्वीकरण और निजिकरण के विरूद्ध मज़दूर वर्ग के किसी भी विरोध का मीडिया की तरफ़ से न कोई सच्ची छवि पेश की गई हैं, बल्कि मीडिया ने बढ़–चढ़ के एक ऐसी हवा बनाई है जिससे लोगों की बीच मजदूर वर्ग के प्रति एक विद्वेषपूर्ण वातावरण बन सकें।

कंपनियों के वश में मीडिया

मीडिया और सस्कृति पर कंपनियों का नियंत्रण उपभोक्तावाद को बढ़ावा दे रहा है। मीडिया–कारपोरेटों–उपभोक्तावाद का गहरा तालमेल बन गया हैं। पूँजीवादी उत्पादन व्यवस्था के अंतर्गत पूँजी–प्रेमी मीडिया अन्यायपूर्ण उत्पादन सबंधों को तर्कसंगत बनाने का माध्यम बन गया है ।

नव–उदारवाद रचित वैश्वीकरण के माहौल में एकाधिकार पूंजी के प्रभुत्व ने मीडिया को भी जकड लिया है। अस्सी के दशक के मध्य से अमरीका की 50 बड़ी मीडिया कारपोरेट आपस में विलीन हो गई । अब अमरीका में 9 से 10 बड़ी एकाधिकार मीडिया कंपनियॉ रह गई हैं । अमरीकन मीडिया व्यवस्था पर उपरोक्त टिप्पणी दिलचस्प है– *" मीडिया व्यवस्था , मुख्य तौर पर , एक जनवादी विरोधी शक्ति है । इसमें कोई आश्चर्य नहीं । अमरीकी मीडिया व्यवस्था जनवाद के प्रति समार्पित नहीं है , उसका अस्तित्व केवल कंपनियों और उनके अरबपति निवेशियों की झोली भरने तक सीमित हैं"*

[Fair]

ब्रिटेन में केवल पांच बड़ी कंपनियॉ समूचे देश में अपना प्रभुत्व बनाए हुए हैं। अख़बारों का 71 प्रतिशत और इलेक्ट्रोनिक मीडिया का 74 प्रतिशत इन पांच कंपनियों के नियंत्रण में है। सबसे बड़ा हिस्सा न्यूज़ इंटरनैशनल , जो रुपर्ट मरडोक की कंपनी है, के वश में हैं। 1989 में मरडोक के पास अखबार के सरक्यूलेशन का 39 प्रतिशत हिस्सा था, जिसमें ब्रिटेन के बड़े अख़बार शामिल थे। अन्य पूंजीवादी देशों में भी मीडिया का यही हाल हैं ।

विश्व की कुछ बड़ी कंपनियॉ जो मीडिया पर अपना प्रभुत्व बनाए हुए हैं में मुख्य रुप से Time Warner, Walt Disney , Viacom, New Corp , Sony इत्यादि

हैं । मीडिया की दुनियां पर राज करने वाले व्यक्तियों में प्रमुख है Michael Eisner (USA), Rupert Murdoch (Australia-America) Silvio Berlusconi, इटली के प्रधानमंत्री, जिनका नाम काफी कांडो में उछला है। दिलचस्प बात से है कि Berlusconi के नियंत्रण में Fininvest नामक कंपनी भी है जिसका दखल फ़िल्में बनाने , पुस्तकें छापने और टेलिविजन नेटवर्को में भी है। वे इटली के तीन बड़े चैनलों के मालिक हैं और देश की 95 प्रतिशत चैनलों पर अपना अधिकार जमाए हुए है ।

भारतीय मीडिया का स्वामित्व

भारतीय मीडिया के स्वामित्व की छवि को समझना अनिवार्य है। कुछ प्रमुख नाम Annexure 1 और 2 में दिए गए हैं ।

इलेक्ट्रोनिक मीडिया, मूलतः TV Channels में देखा गया है कि मालिकाना कुछ कंपनियों के हाथों में है । उदाहरण के लिए, तामिलनाडू में मारन परिवार के हाथों में है A Sun TV सभी दक्षिण भारतीय भाषाओं के अपने चैनल चलाती है । तमिलनाडू में केवल नेटवर्क पर भी इसी परिवार का नियंत्रण है ।

इसी बीच विदेशी बहुराष्ट्रीय मीडिया कंपनियॉ भारत में प्रदेश कर चुकी है। रुपर्ट मरडोक का Star चैनल भारत में जोर–शोर से अपना कारोबार चलाए हुए है। हाल ही में Star ने मलयालम चैनल Asianet का कुछ हिस्सा ख़रीद लिया है। भारत में प्रवेश करने वाली कुछ अन्य मीडिया बहुराष्ट्रीय कंपनियों में है Viacom, CNN, Sony, Turaer, NBC इत्यादि। विश्व भर में मीडिया मालिकों के पद चिन्हों पर चलते हुए भारतीय मीडिया मालिकों ने भी टेलिविज़न के क्षेत्र में अपने पर फैला लिये है। Annexure 3 में मीडिया मालिकाना की तस्वीर साफ़ है ।

मीडिया कंपनियों के स्वामित्व के रेखाचित्र से ये साफ़ है कि भारत में अखबार और टी0वी0 का नियंत्रण भी मुठ्ठी–भर बड़े पूंजिपतियों के हाथ में है । स्वामित्व के रेखाचित्र से साफ़ हो जाता है कि भारतीय मीडिया पूँजी–प्रेमी और मज़दूर–विरोधी क्यों है। स्वामित्व की पकड़ और विज्ञापनों पर निर्भरता की वज़ह से मीडिया ऐसा कुछ लिखने या दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकती जो पूँजी विरोधी हो या मजदूरों के हक़ में हों। मीडिया मालिक सपांदकों और पत्रकारों के विचारों पर अपना नियत्रंण बनाए हुए हैं क्योकि वे ही सपांदकों को नियुक्त करते है ।

जहॉ तक सरकारी मीडिया कंपनियों का सवाल है, जैसे दूरदर्शन और AIR वे केवल सरकारी प्रचार का माध्यम बन कर रह गई हैं । ऐसा अन्य देशों में भी देखा गया है । ख़बरों में शासक पार्टी को सबसे अधिक समय दिया जाता है चाहे वो केन्द्र में हो या राज्य में । विज्ञापनों पर सरकारी नियंत्रण भी मीडिया के हाथ बॉधने का एक सशक्त माध्यम बन गया है । समय–समय पर मीडिया पर बड़ी कंपनियों की पकड की निदां भी की गई है । 1954 में Frist Press Commission ने मीडिया पर एकाधिकार पूँजी की पकड पर चिन्ता व्यक्त की थी, पर समय के साथ स्थिति बद् से बद्तर हो गई है। 1982 में Second Press Commission को अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए वरिष्ट पत्रकार प्राण चौपड़ा ने कडे शब्दों में लिखा था कि प्रेस को एकाधिकार कंपनियों से अगल करना जरूरी है ।

पत्रकारों के लिए कोई स्वायत्तता नहीं

पत्रकारिता के आचार–शास्त्र के अंतर्गत पत्रकारों को जो थोड़ी स्वायत्तता मिली थी वो भी नव–उदारवाद ने छीन ली। आज पत्रकार या तो स्वायत्त नही है या ना के बराबर स्वायत्तता से जूझ रहे है। नव–उदारवाद के पहले की तुलना में आज पत्रकारिता अपनी दिशा खो बैठी है। आज यह व्यवसाय केवल मीडिया मालिकों की व्यावसायिक और राजनैतिक जरूरतों को पूरा करने में तबदील हो गया है। जो कि पूंजीवादी वर्ग का एक अह्म हिस्सा है और जिनका स्वार्थ शासक वर्ग से जुड़ा है ।

यही कारण है कि आज कई पत्रकार अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं और मालिकों के हाथ की कठपुतली बन कर रह गए हैं । आज देश में आवाज़ उठाने के लिए पत्रकारों के हत्या की वारदातें भी बढ़ रही है। Committee To Protect Journalists के अनुसार कुछ पत्रकार इसलिए अपनी जान गवॉ बैठे क्यों कि उन्होंने भ्रष्टाचार या अन्य किसी संवेदनशील सामाजिक विषय पर लेख लिखें। Annexure 4 में देश–भर में हुई ऐसी घटनाओं का खुलासा है ।

भारत में पत्रकारों की दयनीय हालत

भारत में पत्रकारों की संख्या तेजी से बढ रही है । कुछ सरकारी संस्थओं जैसे Registrar of Newspapers के अनुसार 1950 में फुल–टाईम पत्रकारों की संख्या 2,000 थी । 1960 के शुरूआत में यह संख्या बढ़कर 4,700 हो गई और 90 के दशक में 13,000 । यह सिर्फ 320 बड़े अख़बार ने रजिस्ट्रार को कर्मचारियों के अलावा

अन्य सूचना दी इनमें 1990 में भारत में लगभग 25,000 पत्रकार थे जो वेतन या रिटेनशिप पाते थे । इनमें streagers (जो अख़बार कर्मचारी नहीं पर लेख के हिसाब से पैसे प्राप्त करते हैं और अन्य contributors शामिल नही थे । पर यह ध्यान में रखना जरूरी है कि आज भारत में पत्रकारों की स्थिति अत्यन्त नाजुक है। शासक वर्ग और बड़े पूँजीपतियों के मालिकाना नियंत्रण के चलते, आज पत्रकार शोषण और नौकरी को खोने के ख़तरे का शिकार हैं । एक चकित करने वाली रिपोर्ट के अनुसार "पत्रकारों के कार्यस्थलों की दयनीय स्थिति के बारें में कुछ कहना खतरे से खाली नहीं क्योकि ट्रेड यूनियन और वेज बोर्ड सूचना का इस्तेमाल कर सकते हैं"।

पत्रकारों और गैर पत्रकारों के बीच ट्रेड युनियन आंदोलन को मीडिया मालिकों के स्वार्थ की वज़ह से भारी नुकसान पँहुचा है ।आर्थिक संकट की मार पत्रकारों पर भी बुरी तरह से पड़ी है । 2008 के बाद "कई कंपनी संचालित मीडिया घरों ने भारी तादाद में पत्रकारों और गैर–पत्रकारों को सड़क पर खड़ा कर दिया है । कई सौं पत्रकारों को वेतन में कटौती लेनी पड़ी। हां , अख़बार के पाठक और टी0वी0 के दर्शकों को इसकी भनक तक नहीं पड़ी क्योंकि ये कोई 'ख़बर' नहीं थी । पाठकों और दर्शकों को क्यों डराया जाय ? उन्हें तो बताना है कि हमारी अर्थव्यवस्था इस सबसे ऊपर उठ के है । अगर बता भी दें , तो पाठक दर्शक पूछ सकते है कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी है तो लोगों की नौकरियां क्यों जा रही , उन्हें क्यों निकाला जा रहा है' जिन्हें नौकरियों से हाथ धोना पड़ा उन्हें कहने–सुनने की आज़ादी भी नहीं है। बड़े–बड़े पत्रकार भी टी0वी0 पर अपने दर्शकों को ऐसी ख़बरें देने से कतराते हैं, अपनी खुद की कहानी बताने से डरते हैं ...

*(P. Sainath, The Hindu 18.02.2010)**(P. Sainath, The Hindu 18.02.2010)*

विज्ञापन आय का फंदा

" विज्ञापन देने वालों की पसंद मीडिया की खुशहाली और उसके टिके रहने को प्रभवित करती हैं " [Noan Chmsky] यह समझना ज़रूरी है कि नव–उदारवाद के इस दौर में बाज़ार विज्ञापनों पर अत्याधिक निर्भर है । आम जनता को अर्थिक हाशिये पर खड़ा करने में इस व्यवस्था का निरतंर योगदान रहा है । आर्थिक गातिहीनता और जानलेवा प्रतिद्वदिता पूंजीवादी बाज़ार का अटूट हिस्सा बन गए है। इस स्थिति में उत्पादों और सेवाओं को आगे धकेलने में विज्ञापन एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गए है । साम्राज्यवादी वैश्वीकरण के लिए विज्ञापनों का इस्तेमाल करना पूंजीवाद के लिए अति आवश्यक हो गया है। इसके ज़रिए वे उत्पादों की बिक्री को

बढावा, एक ही तरह के उत्पाद बनाना, अपने ब्रेंड को धकेलना और छोटी कंपनियों को बाज़ार से खदेडने का काम करते हैं। इस सब में मीडिया उनका पूरा साथ देती है और एक उपभेक्तावाद वातावरण तैयार करती है, ख़ासकर मध्यम वर्ग के बीच।

कहा जाता है कि ' विज्ञापन के खर्चे , मीडिया और कंपनियों के बीच घनिष्ठता और सरकार पर मीडिया में निवेश के उदारीकरण की मॉग के बीच एक गहरा सबंध है। 'इलेक्ट्रोनिक मीडिया के निजिकरण के बाद टी0वी0 में विज्ञापनों में भारी बढौतरी हुई है। कार्यकमों के दौरान commercial breaks जो पहले एक दिन में 18 मिनट होते थे, अब बढ़ कर 12 मिनट प्रति घंटा हो गए हैं। विभिन्न देशों की सरकारों को commercial breaks अपनी नीतियॉ बदलनी पड़ी है। आज स्थिति पहले से भी ज्यादा ख़राब है ।

संचार और सूचना तकनीक में तेज विकास के कारण मीडिया में भारी परिवर्तन आया है। मीडिया श्रम–प्रधान उद्योग से पूंजी–प्रधान उद्योग बन गई है । इस बदलाव के बारे में कहा गया है कि "19 वी सदी की शुरुआत में, मज़दूर वर्ग अख़बारों का अहम् हिस्सा था। उस समय सुधारवादी अख़बारों अपने उत्पादन के खर्चे को अख़बार के दाम से पूरा कर लेते थे जो कि अख़बार के संचार से सबंधित था। आज, महंगी व नई टैक्नोलोजी , कच्चे माल और अख़बार को बेचने के बढ़ते मूल्यों की वजह से मीडिया उद्योग विज्ञापनों पर अत्याधिक निर्भर है। यही कारण है कि आज मीडिया विज्ञापन उद्योग का गुलाम बन के रह गई है। मीडिया की इस प्रवृति का फ़ायदा उठाकर विज्ञापन उद्योग ख़बरों और विचारों पर अपनी पसंद थोपने लगे हैं। आपसी स्वार्थ के इस चक्र के चलते मज़दूर वर्ग की समस्याओं और संघर्षो की नकारात्मक छवि पेश की जा रही है क्यों न हो आखिर, मीडिया ख़रीदार उद्योग के बारे में अनुमान है कि उसकी कीमत आज लगभग 22,000 करोड़ रूपये है। "

देश के उप–राष्ट्रपति हामिद असांरी ने भी इस विषय पर एक मीटिंग में अपनी चिंता जताई । उन्होंने कहा : "आर्थिक उदारीकरण की हवा अपने साथ ऐसे बाज़ार के तत्व उड़ा लाई की हमारी मीडिया का चरित्र ही बदल गया । आज मीडिया एक बड़ी व्यवसायिक हस्ती बन गई है । गौर से देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि मीडिया उद्योग बड़े–बड़े व्यापारी कंपनियों की शाखांए बन कर रह गई हैं जिनका मुकाम है मुनाफाखोरी । मीडिया की व्यवसायिक उन्नति विज्ञापनों पर निर्भर है ना कि नए पाठकों , ग्राहकों पर । उन्हें ज़्यादा विज्ञापन मिलें । आज मीडिया किसी व्यावसायिक धंधे , राजनैतिक पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष के स्वार्थ को पूरा करने का माध्यम

बन गई है । समाज के दबे पिसे और कुचले हुए वर्ग की मीडिया में अब कोई जगह है "।

विज्ञापन आय की होड़ में टीवी चैनल सिनेमा पर भी अत्याधिक निर्भर हैं । Bollywood की नई फिल्मों को संचालन अधिकार पाने के लिए चैनलों के बीच मारा–मारी हो रही है । चैनलों की लोकप्रियता TRP (Television Rating Points) और GRP(Gross Rating Point) पर निर्भर करती है । कहा जाता है कि जिस चैंनल पर नई Bollywood फिल्में दिखाई जाती है उसकी रेटिंग बढ़ जाती है। इसका संबध सीधे विज्ञापनों से है। फिल्मों के दौरान 10 सैकेण्ड विज्ञापनों से चैनलों को दो लाख रूपये तक प्राप्त हो सकते हैं।

भारत में हर तरह के मीडिया पर भारी मात्रा में निवेश बढ़ा है । 1981 से 1989 तक निवेश पॉच–गुणा बढ़ा है । 1990 से 1996 के बीच निवेश फिर पॉच–गुणा बढ़ा हैं । एक रिर्पोट के अनुसार 1981 में विज्ञापनों पर खर्च की मात्रा 320 करोड़ रूपये थी । जोकि 1996 से बढ़ कर 4,200 करोड़ रूपये हो गई ।

मीडिया की नैतिकता का पतन

नव–उदारवादी व्यवस्था के हेतु व्यावासायिक विवशता ने मीडिया को नैतिक पतन की चरम सीमा के परे खड़ा कर दिया है। बाज़ार–प्रधान अर्थनीति के सिंद्धात का असर इस तरह पड़ा है कि मीडिया पैसे कमाने का माध्यम बन कर रह गई है और साथ ही शासक और आर्थिक रूप से शक्तिशाली लोगों के लिए प्रचार का साधन। पैसे के तलब ने मीडिया की नैतिकता को कुचल दिया है । साल 2009 के आम चुनावों में मीडिया के इस पतन का पर्दाफ़ाश हो गया । विचारों को चालाकी से संचालित करना बूथ केपचारिंग से ज़्यादा धिनौना है । कुछ लोगों का तो कहना था कि नेता मीडिया को घूस दे रहे थे और मीडिया भी अच्छा लेख छापने के लिए घूस ले रही थी ।

The Hindu अख़बार के अनुसार " आंध्र प्रदेश में 2009 राज्य चुनावों के दौरान प्रार्थीयों और राजनैतिक पाटियों से मीडिया ने पार्टियों से 350–400 करोड़ रूपये बटोरे"। अब स्थिति ये है कि पत्रकार खुद एक दूसरे को दोष देने से कतराते है। उनका कहना है कि पहले छोटे–मोटे भ्रष्टाचार के सामने हमें अपना रास्ता पकड़ने की आज़ादी थी । आज भ्रष्टाचार एक संगठित उद्योग बन गया है जिसमें हमारे मालिकों का पूरा योगदान है । ऐसे में हमें अपनी राह पर चलने की आज़ादी ही नही हैं "।

2009 के चुनावों में मीडिया में भष्टाचार इस तरह संगठित था कि अख़बारों के मार्केटिंग विभाग पावर पाईंट प्रसेन्टेशन बना कर राजनैतिक पार्टियों तथा विशेष प्रार्थीयों को पैकेज और योजनाएँ अलग–अलग दामों में बेच रहे थे । 15 दिन के व्यापक अभियान की क़ीमत थी 20 लाख रूपये तथा 7 दिन के ख़ास अभियान की क़ीमत 25 लाख रूपये । इसके साथ अख़बार के साथ चार पन्नों का खास रंगीन सपलीमेंट आदि का भी प्रस्ताव रखा गया (The Hindu , 19-11-2009)

उधर टीवी चैनल प्रार्थीयों का लाईव कवरेज या ख़ास कार्यक्रम दिखानें में जुटे हुए थे। मीडिया के इस बाज़ारीकरण के पीछे मुख्य कारण है मालिकों की मुनाफाखोरी तथा मीडिया और राजनीति में शक्तिशाली कंपनियों और पैसे की घुसपेंठ।

National Election Watch के अनुसार महाराष्ट्र विधायकों में 184 करोड़पति हैं । 2004 और 2009 के बीच करोड़पति प्रार्थियों की संख्या में 70 प्रतिशत बढ़त हुई है। दूसरी तरफ़ एक औसत M.P. की क़ीमत 1.5 करोड़ रूपये हैं। केंद्रिय केबिनट मेंत्री की क़ीमत 7.6 करोड़ रूपये और 543 सासंदो का मिला–जुला मुल्य 2,800 करोड़ रूपये से अधिक है । अंधेरे आसमान में चमकते सितारों की तरह ।

मीडिया के आचार में बढ़ता खोखलापन और विज्ञापनों पर बढ़ती निर्भरता ने उसे अनैतिकता की खाई में धकेल दिया है। आर्थिक संकट की वजह से और विज्ञापनों पर खर्च में कटौती के कारण मीडिया कंपनियों की आय पर दबाव पड़ रहा है । वरिष्ट पत्रकार व संपादक विनोद मेहता के शब्दों में *" मीडिया उद्योग एक संकट के दौर से गुज़र रहा है । बाज़ार में कंपनियों की भीड़ लगी है और विज्ञापनों की पोटली छोटी पड़ रही है । अपनी गिरती आय को बढ़ाने के लिए हमें नए तरीकों और उपायो के बारे में सोचना पड़ रहा है "।*

मीडिया की भटकावपूर्ण रणनीतियों

ज्वलंत मुद्दों से हटकर सनसनीखेज खबरों पर जोर देना मीडिया की भटकावपूर्ण नीतियों का अहम् हिस्सा बनती जा रही है। उदाहरण के लिए टी वी पर रुचिका गेहरोत्रा केस , आरुषि मर्डर और नवम्बर 2008 में मुम्बई पर आंतकी हमले की खबरें ।

सेक्स और हिंसा से जुड़ी खबरों को इतना महत्व दिया जा रहा है कि समाज में मानसिक विकषतियों को बढ़ावा मिल रहा है। एक सकारात्मक भूमिका अदा करना

तो दूर, आज मीडिया सेक्स और हिंसा की वारदातों को बढ़ावा देने में अपना योगदान दे रही है। पूँजीवादी मीडिया के लिए सेक्स हमेशा से एक व्यावसायिक वस्तु रही है । पत्रकारिता पर अपनी पुस्तक में इयान हारग्रीव्स ने लिखा है कि रूपर्ट मरडोक ने अपने कर्मचारियों को साफ़ कह दिया है कि उनके अख़बार Sun को ' सेक्स , खेल और प्रतियोगिताओं ' को अपना केंद्र बनाना है । अख़बार का ख़ास चिन्ह होगा ' पेज तीन पर लड़कियों की नंगी तस्वीरें ,। मूल बात यह है कि मीडिया के प्रति आकर्षित करने का काम कर रही है ताकि वे पूंजीवादी व्यवस्था के कारण रोजमर्रा की अपनी समस्याओं से अपना ध्यान हटा सकें । मजदूर वर्ग और ट्रेड यनियन आंदोलनों पर बढ़ती पूंजीवादी हिंसा की वारदातों को भी यह पेपर नोट करता है ।

मैंनेजमेंट के हाथों मज़दूर की क्रूर हत्या के बारें में मीडिया या तो चुप्पी साधे रखती है या सही तस्वीर को पाठकों , दर्शको तक नहीं लाती । वही अगर किसी शराब बार के आदि में शराब की वजह से खून–खराबा होता है तो वह एक बड़ी खबर बन जाती है । दोनों खून की निदंनीय वारदातें है , लेकिन मीडिया किस चालाकी से दोनों को पृथक दृष्टि से देखती है नोट करने योग्य है । अमीर वर्ग में अपराध की घटनाओं को ज़ोर देने में मीडिया को व्यावसायिक लाभ मिलता है क्योंकि ञ्च बढ़ जाती है , पर गरीब वर्ग पर हो रहे अपराध और अत्याचार की खबर मीडिया के वर्ग चरित्र से सीधे परस्पर–विरोधी है ।

जड़ को छुपाना और शाखाओं पर रोशनी डालना एक और हथकड़ा है जो मीडिया लोगों का ध्यान बंटाने के लिए इस्तेमाल करती है । हर मुद्दा एक व्यक्ति विशेष का झगड़ा बन कर रह जाता (Sainath)

IPLके लिए खिलाड़ियों की नीलामी से जुड़ा भारत–पाक रिश्तों का मुद्दा केवल शाहरुख़ ख़ान और बाल ठाकरे के बीच एक झगड़ा बन कर रह गया । आसमान छूती हुई महंगाई का मुद्दा प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री के बीच मतभेद की ख़बर बन कर रह गया ।

नव–उदारवाद और मीडिया

आर्थिक नव–उदारबाद के इस दौर में मीडिया की दुनिया भी राज्य क्षेत्र से नीजि क्षेत्र के प्रभुत्व में चली गई । वैश्वीकरण–उदारीकरण–नीजिकरण के सिद्वात ने विश्व–भर में मीडिया को अपनी चपेट में ले लिया है । मीडिया के द्वार अब नीजि

पूंजी के लिए पूरी तरह खुल गए हैं , खासकर इलेक्ट्रोनिक मीडिया । इसका नतीजा ये हुआ कि पहले मीडिया का आम जनता की तरफ़ जो थोड़ा–बहुत झुकाव था वो अब व्यवसायिक स्वार्थ की वजह से पूरी तरह विलीन हो गया है जो तेज़ी से बाज़ार की सस्कृति की तरफ़ बढ़ रहा है ।

वित्तीय पूंजी से प्रभावित नव–उदारवादी आर्थिक नीतियों के कारण आज मीडिया पूरी तरह से अपने पूंजी–प्रेम का इज़हार कर चुकी है और साम्राज्यवादी वैश्वीकरण के मंत्र का प्रचार कर रही है । Tina (There is no alternative) का प्रचार मीडिया टेप–रिकार्डर की तरह पिछले कुछ सालों से किए जा रही है । पिछले दो दशकों में व्यवसाय–सबंधित खबरें अख़बारों का बड़ा हिस्सा बन गई हैं। कंपनियों का हित और दक्षिणपंथी विचारों ने मीडिया में ख़तरनाक घुसपैंट कर ली है। मुनाफ़ा, निवेश व पुंजीवादी दुनिया के सपनों को बेचन में बड़े–बड़े पत्रकार, अर्थशास्त्री और बुद्विजीवी जुटे हुए है । इन विषयों पर लिखने वाले पत्रकार भी इन्ही लोगों के विचारों को बढ़ावा दे रहे है ।

अपने वर्ग–विरोध को दर्शाते हुए मीडिया में वामपंथी और प्रगतिशील विचारों के लिए कोई जगह नहीं है जबकि केवल यही ताक़ते बार–बार आर्थिक सकंट के बारे में विश्व को सचेत करने में जुटी हुई थी । नव–उदारवादी नीतियों की पहली दीवार जब अमरीका में ढही, तब थी मीडिया को उसी पूंजीवादी वर्ग से सहानुभूति हुई । वामपंथी और प्रगतिशील विचारों की विजय के बावजूद मीडिया में आज भी उनके लिए जगह नहीं है ।

भारत का अनुभव मीडिया द्वारा वर्ग–पक्षपात की पुष्टि करता है । वामपंथी नेतृत्व में ट्रेड यूनियनों ने नव–उदारवादी नीतियों के विरोध में अनेक सधर्ष और आंदोलन किए पर मीडिया न सिर्फ़ शासक वर्ग के हितों का झंडा उठाए खड़ी रही बल्कि मजदूर वर्ग की आवाज़ को दबाने और किसी भी तरह के विरोध को कुचलने का काम करती रही । लेखों में सच को छुपाना और तथ्यों को मोड़–तोड़ के पेश करना मीडिया के वर्ग–पक्षपात को पूरी तरह से सामने ले आया है ।

सिर्फ कोई अबूझ ही इस बात से इंकार करेगा कि वामपंथी ट्रेड यूनियनों के निजिकरण और विदेशी–निवेश के विरूद्ध संघर्षो के चलते ही यह स्थिति पैदा हुई है कि आज भारत सीना ठोक यह कर रहा है कि विश्व आर्थिक संकट का प्रभाव उस पर ज़्यादा नही पड़ा । यह निदंनीय है कि मीडिया ने तब हमारे संघर्षो और आंदोलनो को नकारा , सरकार की नीतियों का समर्थन किया लेकिन आज वो उसी

शासक वर्ग, बड़े पूंजिपतियों और विदेशी वित्त के गुलामों को इस बात का श्रेय दे रही है ।

वामपंथी राजनीति पर मीडिया का प्रहार

मीडिया द्वारा वामपंथी और जनवादी विचारधारा का निर्लज विरोध अपनी चरम सीमा तक पहुँच गया है । वामपंथी विचारों के प्रति वर्ग विद्वेष इस कद्र बढ़ गया है कि खबरों और तथ्यों को मोड़–तोड़ कर लिखा जा रहा है खासकर समाजवादी देशों से सबंधित ख़बरें , जैसे चीन , क्यूबा , वियतनाम , उत्तर कोरिया और कुछ लातिन अमरीकी देश जहाँ प्रगतिशील सरकारें है ।

समाजवादी क्यूबा के एतिहासिक अस्तित्व के इलावा , लातिन अमरीका के प्रमुख देशों में जो राजनैतिक बदलाव आया है , उससे विश्व को पूंजीवादी वर्ग बहुत घबराया हुआ है । उसकी इस घबराहट और असहिष्णुता का मीडिया पूरी तरह से समर्थन कर रही है और इसका इज़हार अनुचित और पक्षपाती तरीके से पेश कर रही है । जैसे ही वेनेजुएला की शावेज सरकार की पूंजीवादी–विरोधी नीतियों का पता चला , यह साफ हो गया की आम जनता की भावनाओं को स्थापित मीडिया ढक रहा था । नीजि क्षेत्र की मीडिया कंपनिया घरेलू और विदेशी अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शावेज़ सरकार को नीचा दिखाने में लगने लगी ।

पश्चिम बंगाल एक और उदाहरण है । हाल ही में मीडिया ने राज्य की वाम–फ्रंट सरकार के विरूद्ध पुरजोर वर्ग युद्ध आरम्भ कर दिया है । विकष्त और प्रेरित खबरों की वज़ह से आज नंदीग्राम और सिंगूर जबरन ज़मीन दख़ल का पयार्य बन गए है ।

वाम–विरोधी , जन विरोधी और पूंजी प्रेमी वर्ग, जिसे साम्राज्यवाद से पूरी शह मिली है , को बचाने के लिए मीडिया एक ढाल की भूमिका अदा कर रही है । राज्य में आतंक फैलाने के लिए मासूम मजदूर–वर्ग की निर्मम हत्या की जा रही है , पर मीडिया एसी रोजमर्रा की वारदातों पर चुप्पी साधे है । तथा–कथित माओंवादियों द्वारा आतंक और सामाजिक असुरक्षा का वातावरण बनाया जा रहा है पर इसकी धोर निंदा करने के बजाए मीडिया वामफ्रंट सरकार की तरफ ऊगँली उठाने पर आमादा है ।

मीडिया के इस दोहरे चेहरे का पर्दाफाश हो चुका है । जब बंगाल में सीटू के नेतष्त्व में मज़दूरों अपनी मांगो के लिए आवाज़ उठाई , तब मीडिया ने बढ–चढ़ के इस संघर्ष को आर्थिक प्रगति के पथ का रोड़ा करार कर दिया । दूसरी तरफ़ जब राज्य की वामफ्रंट सरकार ने आर्थिक विकास के लिए कदम उठाए तब इसी मीडिया ने अख़बारों और टी वी चैनलों पर रोजाना प्रेरित, ग़लत और विकृत ख़बरो को बयान करना शुरू कर दिया और राज्य सरकार के विरूद्ध एक विद्वेषपूर्ण माहौल बनानले में अपना पूरा योगदान दिया । इससे एक बार और साफ़ हो जाता है कि मीडिया का पुंजीवादी वर्ग की तरफ़ कितना झुकाव है ।

टी0 यू0 पर अत्याचार पर चुप्पी

दुनिया भर में ट्रेड यूनियन सगठंन से जुड़े लोगों की हत्या , अपहरण , हिरासत , धमकियॉ , नौकरियों खोना आदि की धटनाएँ बढ़ रही है । अमरीका में यूनियनों को खत्म करने में $ 4 billion का खर्चा किया जा रहा है । यह एक उद्योग की शक्ल ले चुका है जिसका काम डर और धमकी से यूनियनों को तबाह करना।

एक रिर्पोट के अनुसार 2007 में 115 टी0यू0 कार्यकर्ताओं का खून किया गया, 1600 मेम्बरों पर धातक हमले किए गए , 1700 को जेलों में ठूंस गया और लगभग 9000 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया । लगभग 10,000 मजदूरों की ट्रेड यूनियन में काम करने की वज़ह से नौकरियॉ छीन ली गई । ट्रेड यूनियनों पर इस हमले पर मीडिया की स्पष्ट चुप्पी उसकी मज़दूर –विरोधी चरित्र का सुबूत है ।

भारत में भी मज़दूरों को कई तरह के हमलों का सामना करना पड़ रहा है। यूनियनों को खत्म करने के लिए मैनेजमेंट कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर रही है , जैसे डराना , धमकाना , नौकरी से बरखास्त करना या दण्डित करना। पर ऐसी ख़बरे नहीं छपती ।

भारत में न्यूज मीडिया का फैलाव

भारत में अख़बारो, प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया उद्योग का भारी विकास हुआ है। इसका मुख्य कारण है वैज्ञानिक और ताकनीकी कांति । आज प्रिंट मीडिया के बाज़ार में भारत विश्व में दूसरे नबंर पर है । 2000 से 2007 के बीच अख़बारों का संचार बढ़कर 66 प्रतिशत पर पहुँच गया है । दिलचस्प बात ये है कि सबसे ज़्यादा पाठक मिले 13 प्रांतीय भाषाओं के अख़बारों को । Annex 5 में इसका वर्णन है ।

टी वी न्यूज चैनलों की संख्या में भी भारी विकास हुआ है । भारत में उपग्रह (satellite) चैनल 1991 में प्रवेश किए थे । आज हिन्दी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं को मिलाकर लगभग 100 चैनल है , जिसमें ज़्यादातर 24 घंटे ख़बरों का प्रसारण करते है । National Readership Survey 2006 (The Hoot Org.) के अनुसार भारत में आज 12 करोड़ घरों में टी वी है । सीधी तरह से कहा जाए तो देश में आधे से ज़्यादा जनता ऐसी जगह पर सोती है जहॉ टी वी सेट मौजूद है (Robin Jeffrey)

सरकारी आंकड़ो के अनुसार भारत में 300 million लोग अख़बार पढ़ते है , 400 million टी वी देखते है , 150 million रेडियों सुनते है और 50 million internet का प्रयोग करते है ।

चर्चा के मुख्य विषय

मीडिया उद्योग में तेजी से आये बदलाव को ध्यान में रखते हुए हमारी चर्चा को निम्नलिखित विषयों पर गौर करना चाहिए :

1 संचार सांधनो में तकनीकी कांति ।

2 देश के कोने–कोने तक मीडिया की पहुँच ।

3 वैचारिक रूप से पूंजी–प्रेमी मीडिया की भूमिका का भंडाफोड़ ।

4 मज़दूर वर्ग के हित को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक वैकल्पिक मीडिया नेटवर्क का गठन ।

5 जनता के बीच पारस्परिक संपर्क और संचार बनाए रखना ।

6 हमारी पत्रिकाओं और अख़बारों का गुणात्मक सुधार और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहॅचना ।

संचार माध्यमों की तकनीक में भारी बदलाव आया है । आज अति आधुनिक उपायों से ख़बरे दुनिया के किसी भी कोने तक मिनटों में पहुँचाई जा सकती है ।

पूंजी–प्रेमी मीडिया इस तकनीकी बदलाब का पुरजोर फ़ायदा उठा रही है और पूंजीवाद के स्वार्थ और संदेशो का प्रचार कर रही । साथ ही मज़दूर–विरोधी विचारों का जम कर विरोध कर रही है । मजदूर आंदोलन मीडिया के इस प्रहार को मूक दशर्क बन कर नहीं देख सकता ।

तकनीकी विकास का फ़ायदा सिर्फ पूंजीवादी वर्ग क्यों उठाए ? हमें भी एक वैकल्पिक आधुनिक मीडिया नेटवर्क का गठन करना चाहिए जो मज़दूरों के विचारों और आवाज को दुनिया के हर कोने तक पहुँचाए । हालाँकि ऐसा करना आसान नहीं है पर यह नामुमकिन भी नहीं । इसके लिए हमें आर्थिक और अन्य मदद लगातार चाहिए । जन–विरोधी मीडिया का सामना करने के लिए जन–प्रिय मीडिया प्रणाली का होना अति आवश्यक है । कुछ देशों में जैसे लातिन अमरीका में इस तरह की कोशिश से हम भी सबक ले सकते है ।

हमारे संगठन से संबधी कार्यो में भी हमें तकनीकी विकास का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए । सांगठनिक ऑकड़े , सूचनाएँ , अभियान सबंधित पर्चे इत्यादि देश के हर क्षेत्र तक जल्द से जल्द पहुँचाने में यह अतयंत लाभप्रद होगी ।

यह समझना ज़रूरी है कि पूँजीवादी समाज में तकनीकी उत्पादों का स्वामित्व भी पूँजीपति वर्ग के हाथों में रहेगा । इस वजह से मज़दूर वर्ग इस तकनीकी विकास से वंचित रहेगा । हमें इस चुनौती का डटकर सामना करना चाहिए और मज़दूर वर्ग से संपर्क और गहरे करने चाहिए , तभी हम मीडिया द्वारा चलाये गए जन–विरोधी अभियानों को नाकाम कर पांएगे ।

हमें अपनी विचारधारा और समझ को लोगों तक पहुँचाना होगा और उन्हें समझाना होगा कि कोई भी तकनीकी साधन मानव साधन से ऊपर उठ कर नहीं है । हमें मीडिया के दोहरे रूख का भंडा फोड़ना होगा । हमारे अपने कार्यकर्ताओं के बीच मीडिया के बारे में ग़लत धारणाओं को मिटाना होगा ।

हमारे अपने साथी ये समझते हैं कि अगर हमारे किसी कार्यक्रम को टी वी या अख़बार में दिखाया गया तो वह सफल हुआ है। यह गलत धारण है। हमारे आंदोलनो और संघर्षो की सफलता या विफलता का मीडिया कवरेज से कोई लेना देना नहीं है ।

मीडिया पर अपनी समझ को साफ करते समय अपने सांगठनिक अख़बारों और पत्रिकाओं के सुधार को नहीं भूलना चाहिए । सीटू सेंटर , राज्य समितियों व फेडरेशनों द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं को एक बड़ी भूमिका

निभानी है । वैचारिक लेखों के इलावा हमें अपनी गतिविधियों और सधंर्षो की सूचना देश–भर के मज़दूरों तक पहुँचानी है ।

गुणात्मक और अन्य सुधार लाने में सीटू सेटंर को एक अहम् भूमिका अदा करनी है । मज़दूर वर्ग की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए लेखों में और सुधार , राज्य और अन्य समितियों द्वारा गतिविधियों का लगातार ब्यौरा कुछ ज़रूरी कदम है । पत्रिकाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में भी राज्य समितियों, नेतृत्व व आम सदस्यों का योगदान आवश्यक है ।

निषकर्ष के रूप में हम इस महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डालना चाहते है कि मजदूर वर्ग में जागषति का होना ज़रूरी है और साथ ही उनमें आदर्शवादी समझ पैदा होनी चाहिए । उनका लामबंद होना जरूरी है क्योकि सामाजिक बदलाव के लिए और क्रांति और संघर्ष के लिए इस सामाजिक ढाँचे की अहम भूमिका है । इसलिए पूंजीवादी मीडिया का विरोध इसी दृष्टिकोण से करना चाहिए और साथ ही बुर्जुआ मीडिया के चौतरफा आक्रमण का पुरजोर सामना करना चाहिए । हमें नव–उदारवादी व्यवस्था से हर क्षेत्र पर जूझना होना, केवल ट्रेड यूनियनों के मुद्दे पर ही नहीं। यह आर्थिक, सामाजिक, सांस्कषतिक क्षेत्रों में लड़ा जाने वाला राजनैतिक युद्ध होगा । रहनुमा होने के नाते , मजदूर वर्ग को हर क्षेत्र में इस संघर्ष की अगुवाई करनी होगी ।

राबर्ट डब्ल्यू मैक्चेसने ने अपनी पुस्तक *"पत्रिकारिता , प्रजातंत्र और वर्ग संघर्ष "* में लिखा है कि " पूंजीवादी मीडिया में सुधार लाना प्रजातंत्र के संघर्ष का एक हिस्सा है । पूँजीवादी वर्ग के अगूँठे के नीचे दबी हुई मीडिया के चलते एक बेहतर दुनिया की कल्पना करना भी असंभव है "।

ANNEXURE - I

NEWSPAPERS OWNERSHIP PICTURE IN INDIA

NAME OF THE NEWSPAPER CHAIN	LANGUAGE	NAME OF THE OWNER
Bennett Coleman & Co. Ltd. (*Times of India etc.*)	English, Gujarati, Hindi	Jain Family
Indian Express Newspapers (*Bombay*) Pvt. Ltd. (i) Indian Express (North based) (ii) New Indian Express (South)	English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Tamil, Telugu	Two Goenka families (Divided in 1998 into two entities)
The Statesman Ltd.	English, Bengali	Tata Group
Malayala Manorama Co. Ltd.	Malayalam	The MRF family
Hind Samachar Ltd. (*Punjab Kesari*)	Hindi, Punjabi, Urdu	Chopra family
Hindustan Times Ltd.	English, Hindi	Birla family
Ananda Bazar Patrika Ltd.	Bengali, English	Sarkar family
Lok Prakashan Ltd. (*Gujarat Samachar*)	Gujarati	Shreyans Shah family
Kasturi & Sons Ltd.(*The Hindu*)	English	Kasturi family
Aaj Prakashan Ltd. (*Aaj*)	Hindi	S.V.Gupta
Sandesh Ltd. (*Sandesh*)	Gujarati	Falgunbhai Patel
Mathrubhumi Printing and Publishing Co. Ltd. (*Mathrubhumi*)	Malayalam	M.P.Veerendrakumar acquires major interest 1998
Ushodaya Publications (*Eenadu*)	English, Telugu	Ramoji Rao
Jagran Prakashan Ltd.	Hindi	Gupta family
Thanthi Trust	Tamil	B.S.Adityan in the form of a trust
The Printers (Mysore) Ltd. (*Deccan Herald, Prajavani*)	English, Kannada	K.N.Hari Kumar
Rajasthan Patrika Ltd.	English, Hindi	Kothari family
Amar Ujala Prakashan	Hindi	Agarwal & Maheshwari family
Sakal Papers Ltd.	Marathi	Pawar family
Dinamalar	Tamil	Family of late T.V.Ramasubbaiyer as a partnership
Kumar Publications Trust(*Dinakaran*)	Tamil	Now in the hands of Moran Family Group
Bartaman Printers & Publishers Pvt. Ltd.	Bengali	Arun Sinha

ANNEXURE - II

SOME TELEVISION NEWS CHANNELS IN INDIA

NEWS CHANNELS	OWNERSHIP
CNN-IBN	Global Broadcast NewsTurner Broadcasting System Inc (a Time Warner company)
NDTV 24x7	NDTV Ltd
Times Now	Bennett, Coleman & Co. Ltd. Reuters
DD news	State Owned
Headlines Today	India Today Group
NewsX	INX Network
NDTV India	NDTV
Zee News	Essel Group
Aaj Tak	India Today Group
Sahara Samay	Sahara India Parivar
India News	Independent News Service Private Ltd (India TV)
P-7 News	Pearls Broadcasting Corporation Pvt. Ltd.
STAR News	News Corporation
Live India	Broadcast Initiatives Ltd
CNEB	Complete News & Entertainment Broadcast Pvt Ltd (CNEB)
News 24	BAG Films & Media Limited
Azad News	TVU Network Corporation
Focus TV	M3 Media Pvt. Ltd.
IBN-7	Network 18
Total TV	*Serbia Broadband - Srpske kablovske mreže (SBB)*
CNBC-TV18	TV18 (India)
ET Now	Bennett, Coleman & Co. Ltd.Reuters (a Thomson Reuters company)
NDTV Profit	NDTV Ltd.

In addition to the above there are many more regional languages TV news channels, such as, Indiavision, Manorama News, Asianet, Kairali People, Hind TV, TV9, Tara News, PTC News, Mh1 News, New Live, 24 Ghanta, NE TV, IBN Lokmat, Star Ananda, STAR Majha, Punjab Today, Kolkata TV, Zee 24 Taas, New Bangla, ETV News, NTV, TV5 News.

ANNEXURE – III

PRINT MEDIA EXPANDED TO ELECTRONIC MEDIA

SL. NO.	NAME OF THE GROUP	OPERATING BRANCHES
1.	Times of India	News Paper, Television, Radio
2.	Sun TV	News Paper, Magazine, Television, Cable and DTH
3.	Zee TV	Cable, DTH, Television, Film
4.	India Today	Radio, News Paper, Television, Weekly
5.	Bhaskar	Cable, Television, News Paper
6.	Mid Day	Radio, Television, News Paper
7.	Anada Bazar Patrika	Radio, Television, News Paper

ANNEXURE – IV

SOME COUNTRY-WISE NUMBER OF JOURNALIST MURDERED

NAME OF COUNTRY	NUMBER OF KILLINGS (1995-2004)
Iraq	36
Algeria	33
Columbia	30
Russia	29
Philippines	22
India	16
Sierra Leone	15
Brazil	12
Afghanistan	10
Bangladesh	10
Mexico	9

ANNEXURE – V

The following table gives the details of the consititution of Wage Boards along other relevant informations

S. No	Name of the Wage Board	Date of appointment of the Wage Board	Date on which final report was submitted o the Government	Date of acceptance of the recommendations by the Government	Remarks
I.	Wage Board for Working Journalist	02-05-1956	NA	10-05-1957	DIVITA WAGE BOARD
II.	(a) Wage Boards for Working Journalists	12-11-1963	17-07-1967	27-10-1967	SHINDE WAGE BOARD
	(b) Wage Boards for Non-journalists News paper Employees	25-02-1964	17-07-1967	18-11-1967	
III.	(a) Wage Board for Working Journalists	11-06-1945	13-08-1980	26-12-1980	Was converted into One-man Tribunal on 9th February 1979
	(b) Wage Board for Non-journalists News paper Employees	06-02-1976	13-08-1980	20-07-1981	
IV.	Wage Boards for Working Journalists and Non-Journalist Newspaper Employees	17-07-1985	30-05-1989	31-08-1989	U N Bachavat Wage Board
V.	Wage Boards for Working Journalists and Non-Journalist Newspaper Employees	02-09-1994	25-07-200	05-12-2000	MANISANA BOARD 15-12-2000
VI.	Wage Boards for Working Journalists and Non-Journalist Newspaper Employees	24-05-2007			NARAYANA KURUP WAGE BOARDS MAJITHA WAGE BOARD W.E.F. 4/3/2009

ANNEXURE – VI

CIRCULATION FIGURES OF NEWSPAPER IN INDIA

(Figures in '000)

LANGUAGE	2000	2001	2002-3	2003-4	2004-5	2005-6	2006-7	2000-7
Assamese	321	332	409	548	414	448	638	99%
Bengali	2,461	2,537	1,822	2,854	2,679	3,046	3,149	28%
English	7,851	8,512	10,000	8,978	10,771	12,915	13,257	69%
Gujarati	2,813	3,734	2,374	4,652	4,805	5,307	5,326	89%
Hindi	25,577	23,014	32,287	32,158	33,774	37,643	43,077	68%
Kannada	1,392	1,067	2,397	1,596	1,946	2,032	1,884	35%
Malayala	2,976	2,992	3,192	3,438	3,151	3,193	3,576	20%
Marathi	4,485	4,148	5,292	4,865	5,227	5,897	6,091	36%
Oriya	2,057	2,039	2,839	2,656	2,912	3,215	3,116	51%
Punjabi	1,535	1,354	1,856	1,639	1,546	1,482	1,255	-18%
Tamil	1,740	1,914	2,053	1,912	2,129	2,010	2,734	57%
Telugu	1,682	1,651	3,059	2,730	2,902	3,895	5,728	241%
Urdu	3,614	3,029	4,625	4,664	5,279	6,003	7,083	96%
TOTAL	**58,504**	**56,323**	**72,205**	**72,690**	**77,535**	**87,086**	**96,914**	**66%**

जुलाई 2010

कीमतः 25 रु

सेन्टर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन
13 – ए राउज़ ऐवेन्यू नई दिल्ली–110002
फोनः 23221288, 23221306 फैक्सः 23221284
के लिए तपन सेन
द्वारा प्रकाशित

प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए–21 झिलमिल इंडस्ट्रीयल एरिया,
जी टी रोड, शाहदरा, दिल्ली–110095
द्वारा मुद्रित